# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-11] आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पहला दिवस [संख्या-1

**गुरूवार,**

29 जून, 1989

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

**परिचय**

**मन्त्रिमण्डल के नये सदस्यों का परिचय**

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्रिमण्डल के नये सदस्यों का परिचय।

**मुख्यमन्त्री** (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल शुरू हो उससे पहले पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में मन्त्रिमण्डल का जो विस्तार हुआ उसके नये मन्त्रियों का परिचय करा दूं।

श्री अशोक गहलोत, गृह मन्त्री

श्रीमती कमला, कृषि मन्त्री

श्री गुलाबसिंह शक्तावत, स्वायत्त शासन मन्त्री

श्री रामसिंह विश्नोई, सहकारिता मन्त्री

श्री दामोदरदास आचार्य शिक्षा, राज्य मन्त्री

श्री सुजानसिंह यादव, मत्स्य एवं लाटरी राज्य मन्त्री

श्री महेन्द्र परमार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मन्त्री

श्री भैरूंलाल मीणा, जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री

श्री दीपचन्द राठौड़, भू-जल राज्य मंत्री

श्री हीरालाल इन्दोरा, खनिज राज्य मन्त्री

श्री धनराज मीणा, सहकारिता उप मन्त्री एवं श्री ललित भाटी, एकीकृत ग्रामीण विकास उप मन्त्री

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न। श्री रतनलाल ताम्बी।

**जहाजपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**

1. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या मुख्य (प्राविधिक शिक्षा) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण स्थापित करने की मांग है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जहाजपुर 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ? यदि हां तो उक्त संस्थान वहां अब तक स्थापित नहीं करने के क्या कारण है ?

(3) अब सरकार कब तक संस्थान स्थापित करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) औद्योगिक प्रशिक्षण की संस्थान की स्थापना के लिए क्या कोई मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या ?

**राज्य मन्त्री, प्रावैधिक शिक्षा** (सुश्री गिरिजा व्यास) : (1) जहाजपुर में पूर्व से ही राजकीय मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया हुआ है।

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ही वहां पर मिनी आई. टी. आई. की स्थापना की जा चुकी है।

(3) राज्य सरकार द्वारा मिनी आई. टी. आई. की स्थापना की जा चुकी है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं विकास तथा कुशल कारीगरों की आवश्यकता एवं मांग को ध्यान में रखते हुये उस क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाता है।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री महोदया का जवाब विडम्बना का लगता है। मैंने प्रश्न पूछा था आई. टी. आई. के लिए, मिनी आई. टी. आई. तो मैं जानता हूं। यह मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि वह सीमित रूप से माडा योजना के अन्तर्गत खोला हुआ है, उसमें सिर्फ ट्राइबल छात्र भर्ती हो सकते हैं बाकी छात्र भर्ती नहीं हो सकते, अनुसूचित जाति के भी हैं दूसरे लोग भी हैं। मेरा प्रश्न तो था आई. टी. आई. के लिए और उत्तर दे रही हैं मंत्री महोदया मिनी आई. टी. आई. का, जैसे मैं जानकार नहीं होऊं मिनी आई. टी. आई. के बारे में, जो आप कह रहे हो मैं जानता हूं उस बात को।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : इलाके में नहीं जाते होंगे आप।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : इलाके में तो मैं मन्त्री महोदय से अधिक जाता हूं। इलाके से ही आया हूं। यह जवाब कोई जवाब नहीं है, मैं इस जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। मेरा प्रश्न है आई. टी. आई. के सम्बन्ध में। पिछली विधान सभाओं में भी मैंने इस बात को कई बार उठाया लेकिन ऐसा ही जवाब दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्ट जवाब दिलाया जाय।

**सुश्री गिरिजा व्यास** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय के प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्रीजी का मन्तव्य सदन के सामने रखना अपना उत्तरदायित्व समझती हूं। टी. ए. डी. में 1983-84 में निर्णय लिया गया कि ट्राइबल छात्र कुछ ही जगह पर आई. टी. आई. से लाभान्वित न होकर अधिक जगह पर इन आई. टी.

(सुश्री गिरिजा व्यास)

आई. से लाभान्वित हों इसलिए इन आई. टी. आई. को खोला जाए। निश्चित रूप से, जैसा कि सदस्य महोदय अभी कह रहे थे, ट्राइबल छात्रों के प्रवेश के लिए ही इसका प्रावधान हुआ था। दूसरी बात, यह कोर्स केवल छः महीने का है इसलिए सैल्फ एम्प्लायमेण्ट को ध्यान में रख कर ही इस का निर्णय लिया गया। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने, जब अपने पिछले बहुत से दौरे उन्होंने किये, उस दौरान भी जैसे ही माननीय सदस्य महोदय की भावना सामने आई कि मिनी आई. टी. आई., आई. टी. आई. के मन्तव्य को पूरा नहीं करती है, स्वयं ही वहां से घोषणा कर दी। टी. ए. डी. में तो अभी निर्णय लिया गया कि इन मिनी आई. टी. आई. में रेगुलर कोर्सेज चला दिये जाएं, लेकिन वह निर्णय जो उन्होंने नैक्स्ट ईयर के लिए लिया था, इसी वर्ष के लिए लिया गया। वैसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि पिछले वर्ष दो या तीन ट्रेड खोल कर हमने आई. टी. आई. की स्थापना की है इसलिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने लेवल पर निर्णय लिया कि मिनी आई. टी. आई. में एक या दो ट्रेड रेगुलर विषय के खोल दिये जायं जिससे कि यह रेगुलर में आ जायं और केवल छः महिने के कोर्स नहीं रहें और इनके एग्जाम्स भी डायरेक्टोरेट से न हो कर एन. सी. वी. टी. से ही हों ताकि उनको भी मान्यता मिल सके। इनमें भी ट्राइब के अतिरिक्त 60 : 40 का जो रेशो है उस रेशो के अनुसार ही दूसरे छात्र भी इसमें प्रवेश ले सकें। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अब मिनी आई. टी. आई. रेगुलर आई. टी. आई. में परिवर्तित होने जा रही है।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मैंने एक पत्र लिखा था कुछ समय पूर्व कि जहाजपुर क्षेत्र में आई. टी. आई. बहुत आवश्यक है। उसमें सब बातें मैंने लिखी थी। मुझे यह उत्तर दिया गया था कि मैं इसे स्थापित करने के मामले को दिखवा रहा हूं। उस उत्तर को आये 4-5 महिने हो गये, यह दिखवाया क्या? मामला बिलकुल दूसरा है। यह मामला उससे जुड़ता नहीं है। मेरा अनुरोध यह है, आप जो यह जो कह रहे हैं कि इसमें एक या दो कोर्स बढ़ा देंगे, ट्रेड जोड़ देंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। आई. टी. आई. पूरी होगी सब प्रकार के ट्रेड उसमें हों और सब और सब प्रकार के लोग उसमें भर्ती हो सके और वह प्रेक्टिकल शिक्षा के माध्यम से चलें।

इसमें टाडा वाले भी अपने कई प्रकार के नियम रखते हैं। उसका इस मामले से कोई समन्वय बैठता नहीं है इसलिए जो मेरी मूल समस्या है उसका इस उत्तर से या मुख्य मन्त्रीजी का वक्तव्य अभी सुनाया उससे, हल हो नहीं पाता है। इसी आधार पर इस प्रश्न को मैंने लगाया था वर्ना मेरी जानकारी में तो पहले से ही यह सब बातें हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं, नं. एक, कि क्या राज्य सरकार ने मिनी आई. टी. आई. नहीं खोलने का निर्णय कर लिया

(4)



(श्री सी. पी. जोशी)

है ? आपने जो वित्तीय प्रावधान रखे हैं अगली आई. टी. आई. खोलने के, उन वित्तीय प्रावधान के अलावा क्या आप मिनी आई. टी. आई. को आई. टी. आई. कि में कन्वर्ट कर रही हैं ? हमको यह स्पष्ट हो जाय कि यह जो मिनी आई. टी. आई आप आई. टी. आई. में कन्वर्ट कर रही हैं उनके अलावा नयी आई. टी. आई. खुलेंगी और उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, आप मिनी आई. टी. आई. को आई. टी. आई. में बदल रही हैं। मिनी आई. टी. आई. के अन्दर प्रोविजन है शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को एडमिशन देने का आई. टी. आई. बनने के बाद शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लेंगे या नहीं लेंगे ? उनकी पर्सेण्टेज कितनी मुकर्रर की गयी है और जनरल की कितनी की गयी है? अनुसूचित जाति की कितनी सीट रिजर्व की जायेगी ? इस बारे में स्पष्ट जवाब दें अन्यथा मिनी आई. टी. आई. को आई. टी. आई. में बदलने से कोई फायदा नहीं होगा ट्राइबल लोगों को।

**सुश्री गिरिजा व्यास** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं कि मिनी आई. टी. आई. का कन्सेप्ट नहीं है, मिनी आई. टी. आई. का कन्सेप्ट केवल सुविधा की दृष्टि से पहले रखा था। इस प्रश्न के उत्तर में दोनों उत्तर समाहित हो जाते हैं। माननीय श्री सी. पी. जोशी जी का

**श्री सी. पी. जोशी** : माननीय मन्त्री महोदया, यह अलग चीज है। Don't say mini I. T. Is, What you have said you have started a trend only. Say it very frankly.

माननीय मन्त्रीजी या तो आप यह कहें कि मिनी आई. टी. आई. जैसी कोई चीज राजस्थान में नहीं रहेगी।

**सुश्री गिरिजा व्यास** : मिनी आई. टी. आई. नाम की कोई चीज नहीं है।

**श्री सी. पी. जोशी** : अब आप को नये आई. टी आईज. खोलेंगे उनमें मिनी आई टी. आईज. को कन्वर्ट करेंगी या नई आई. टी. आई. अलग खोलेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : पहले जवाब सुन लीजिये।

**सुश्री गिरिजा व्यास** : अब जो नई आई. टी. आई. खोलने जा रहे हैं वह तो हम खोलेंगे ही। उनमें मिनी आई. टी. आईज. हैं उनको कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए निश्चित रूप से नए वित्तीय प्रावधान होंगे।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट,

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि आई. टी. आई. हों चाहे मिनी आई. टी. आई. हो उनमें से जितने भी छात्र निकलते हैं उन छात्रों को रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है ? इस सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार ने कोई अध्ययन करवाया है और क्या इसका फालोअप एक्शन लेने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

**मुख्य मन्त्री** (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, इनमें से निकलने वाले छात्रों को दरअसल में नौकरी देने का तो एश्योर नहीं किया जा सकता लेकिन सैल्फ एम्प्लायमेंट वाली बात जरूर उनके लिए आती है। सैल्फ एम्प्लायमेंट के लिये ट्राइ-सम की ओर दूसरी बहुत सी योजनाएं हैं, इनमें से बैंकों से कर्जा वगैरा लेकर सैल्फ एम्प्लायमेंट लगाया जाता है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अध्ययन करवाया है क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट

**श्री रमजान खां**

### अजमेर जिले में नये विद्यालय

2. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष सरकार ने अजमेर जिले में कितने प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया था और किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किस-किस प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष अजमेर जिले में कितने नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? विद्यालय किस-किस पंचायत समिति में किस-किस गांव में किस मानदण्ड से खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पंचायत समितियों से प्राप्त सूचियों को मद्दे नजर रखते हुए यह विद्यालय खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**शिक्षा राज्य मन्त्री** (श्री दामोदरदास आचार्य) : (1) जी नहीं।

(2) राज्य में इस वर्ष (सत्र 1989–90) में 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया है। अभी तक इसमें से कोई भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(3) इस वर्ष (1989–90) अभी तक नवीन प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं।

(4) अभी तक इस वर्ष विद्यालय खोले ही नहीं गये हैं।

**श्री रमजान खां** : अध्यक्ष महोदय, मैंने 1989–90 का पूछा ही नहीं है। मन्त्री महोदय ने अपने मन से पता नहीं कहां से जवाब दे दिया। मैंने तो यह पूछा है कि कितने विद्यालय खोले हैं और कहां-कहां खोले गये हैं ? यह सूची पूछना चाहता हूं।

**श्री दामोदरदास ग्राचार्य** : शायद प्रश्न को आपको ठीक करना पड़ेगा उसका उत्तर लेने के लिये, ग्रापने इस वर्ष का पूछा था। पहले सत्र की बात करते तो मैं उस हिसाब से जवाब दे देता।

**श्री रमजान खां** : अध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च ग्रौर ग्रप्रेल तक इस वर्ष में विद्यालय खोले हैं इन्होंने तो वह इस वर्ष नहीं गिने जायेंगे तो कब गिनेंगे ? मैंने वर्ष 1989-90 नहीं पूछा है। मैंने तो इस वर्ष मार्च ग्रौर ग्रप्रेल में कितने विद्यालय खोले हैं ग्रापने उसके लिए पूछा है। वर्ष 1989-90 पूछता तो मन्त्री महोदय यह जवाब देते तो ठीक रहता। इसका उत्तर दिलवाग्रो साहब।

**श्री ग्रध्यक्ष** : श्री नवरंग सिंह।

**श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, नीतिगत सवाल मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रापने खोले हैं ग्रपने ग्रधिकार के तहत, मुख्य मन्त्री जैसी घोषणा की कि पंचायती राज में चले तो मैं जानना चाहता हूं यह ग्रागे जो उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे वह शिक्षा विभाग द्वारा खोले जायेंगे या पंचायती राज विभाग खोलेगा ? एक तो यह जानकारी चाहता हूं। दूसरा विद्यालय खोलने में देरी की जाती है तो क्या इस वर्ष जितने भी विद्यालय खोले जायेंगे उच्च प्राथमिक थे, चाहे प्राथमिक थे सैकण्डरी तो खोले ही नहीं, ग्रौर दूसरे जो थे, स्वीकृतियां इन्होंने जारी की मार्च में, बाद में जाकर कहीं विद्यालय खुले ग्रौर खुले ही नहीं, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली बार जो स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

**श्री रमजान खां** : सप्लीमेंटरी तो जब हो जब मेरे मूल प्रश्न का जवाब ग्रा जाय, मूल प्रश्न का जवाब मन्त्री महोदय ने दिया ही नहीं ग्रौर ग्रापने सप्लीमेंटरी शुरू कर दी। मेरे सवाल का जवाब तो ग्राने दीजिये।

**श्री नवरंग सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रपनी बात को समाप्त करता हूं।

**श्री रमजान खां** : सप्लीमेंटरी बाद में ग्रलाऊ कीजिये पहले मेरे मूल प्रश्न का जवाब तो दिलवाएं, मेरे प्रश्न का जवाब आया ही नहीं है।

**श्री नवरंग सिंह** : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो विद्यालय मार्च में खोल दिए वह ग्रप्रेल, मई में यह चला नहीं सके। इसलिए मैं ग्राश्वासन चाहता हूं सरकार से कि जो भी पिछली बार स्वीकृतियां जारी हुई हैं उन सब को 1 जुलाई, 1989 से चालू कर दिया जायेगा, ग्रध्यापक भेज दिये जायेंगे ग्रौर दूसरे साधन उपलब्ध करवा दिये जायेंगे ?

**श्री ग्रध्यक्ष** : माननीय मन्त्रीजी

**श्री दामोदरदास ग्राचार्य** : ग्रध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं वह वास्तव में इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। उन्होंने जो पूछा है कि क्या पहले खोले गये विद्यालय एक तारीख से शुरू हो जायेंगे या नहीं।

(श्री दामोदरदास आचार्य)

हो जायेंगे वह तो शुरू ही हैं, जहां अध्यापकों की कमी है, निश्चित तौर से वह पूरी कर दी जायेगी।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : कोई पूरी नहीं हुई।

**श्री नवरंग सिंह** : 50 पर्सेण्ट से अधिक विद्यालय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं माननीय मन्त्रीजी जिनके आपने आदेश निकाल दिये हैं पर आज की तारीख में न उनमें अध्यापक गये हैं और न भवन ही उपलब्ध हैं, उनका आप क्या करेंगे ? 1 जुलाई तो दो दिन बाद आने वाली है।

**श्री डूंगरराम पंवार ( टीबी )** : जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं खोला है उनके लिए क्या कर रहे हैं ?

**श्री रमजान खां** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को इसलिए टालना चाहते कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष तक न तो कोई प्राथमिक विद्यालय खोला गया न उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला गया इसलिये अपनी गलती को छिपाने के लिए मन्त्री महोदय जवाब नहीं देना चाहते हैं और राजनैतिक भेद-भाव के कारण ऐसा किया जा रहा है।

**श्री दामोदरलाल आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, गलती तो माननीय सदस्य कर रहे हैं और पूछना चाहे हैं कि आपने जवाब ठीक नहीं दिया। लेकिन इनकी जानकारी रखता हूं और मैं उनको बता सकता हूं कि...

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : बताओ ना ?

**श्री दामोदरदास आचार्य** : आपने पूछा कि पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की नीति निर्धारित है ? मैंने कहा कि कोई नीति नहीं है। फिर आपने आगे पूछा कि यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? दो स्थान पर आपके यहां नहीं है अभी तक प्राथमिक विद्यालय गेगल और हाथी खेड़ा बाकी सब जगह आपके यहां हैं। और कोई आप जानकारी चाहते हैं ? जहां तक प्राथमिक विद्यालय खोलने का सवाल है आपके क्षेत्र में...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : खोल देओ।

**श्री दामोदरदास आचार्य** : खोल देंगे। निश्चित तौर से खोल देंगे। ये खुलाना चाहेंगे तो खोल देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट

**श्री पुष्पा जैन।**

**राजकीय उपक्रमों का लेखा—जोखा**

3. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन राज्य के किस किस उपक्रम में अब तक कुल कितनी-कितनी शुद्ध हानि अथवा लाभ हुआ है ? कृपया विवरण सदन को मेज रखें।

(सुश्री पुष्पा जैन)

(2) जिन उपक्रमों में हानि हो रही है उनमें हानि को रोकने के लिये राज्य सरकार ने क्या-क्या निर्देश दिये हैं और निर्देशों के अनुसार ऐसे प्रत्येक उपक्रम में हानि रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं और क्या-क्या उपाय किये हैं तथा उसका क्या परिणाम हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**राजकीय उपक्रम मन्त्री** (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) वर्तमान में राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधीन कुल 40 राजकीय उपक्रम हैं, इन उपक्रमों से प्राप्त अंकेक्षित अथवा प्रोविजनल लेखों/सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1987–88 में उन उपक्रमों के शुद्ध लाभ अथवा हानि (कर प्रावधान से पूर्व) की स्थिति संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शायी गयी है । साथ ही वर्ष 1987–88 के अंत तक इन उपक्रमों में संकलित हानि (एकुमुलेटेड लोस) तथा संचय एवं आधिक्य (रिजर्वस एवं सरप्लस) जिसमें कर प्रावधान, लाभांश आदि के बाद लाभ के आधिक्य को सम्मिलित किया गया है, की स्थिति भी उक्त परिशिष्ट में दर्शायी गयी है । एक उपक्रम राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में वाणिज्यिक लेखे तैयार नहीं किये जाते हैं अतः इसकी सूचना उक्त परिशिष्ट में नहीं दर्शायी गयी हैं । (व्यवधान)

**श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, पाठ तो मत पढ़वाओ । जवाब दिलवाओ । (व्यवधान)

**श्री रामकिशन वर्मा** : ठीक से समझने की तो कोशिश करो ।

(2) जिन उपक्रमों में हानि हो रही है उनमें हानि को रोकने के लिये सरकार ने समय-समय पर कदम उठाये हैं, राजकीय उपक्रम ब्यूरो के सितम्बर, 1984 में पुनर्गठन का उद्देश्य भी मुख्य रूप में इन उपक्रमों के कार्यों का मूल्यांकन कर इन्हें घाटे की स्थिति में उबारने एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुझाव/मार्ग दर्शन देना है । इस दिशा में राजकीय उपक्रम ब्यूरो बराबर प्रयत्नशील है । ब्यूरो द्वारा अब तक 32 राजकीय उपक्रमों/निगमों के कार्यों का मूल्यांकन कर इनकी उत्पादकता बढ़ाने, लाभदायकता में वृद्धि करने आदि से सम्बन्धित सुझाव सम्बन्धित उपक्रमों को भिजवाये जा चुके हैं, इनके अतिरिक्त 8 राजकीय उपक्रमों का द्वितीय मूल्यांकन भी किया जा चुका है, शेष उपक्रमों के कार्य मूल्याकन का कार्य प्रगति पर है, सुझावों की अनुपालना हेतु इन राजकीय उपक्रमों से त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है ।

उपक्रमों के कार्य मूल्यांकन करते समय इन उपक्रमों की पूंजी संरचना, हानि की स्थिति में पूंजी विनियोजन की आवश्यकता, रोकड़ स्थिति, शोधन क्षमता, कामशील पूंजी, प्रबन्धक संचालन सम्बन्धी कार्य सम्पादन (भौतिक) एवं आर्थिक क्षमता आदि का अध्ययन किया जाता है । ब्यूरो की बैठकों में इन उपक्रमों के कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट पर चर्चा करते समय

(श्री रामकिशन वर्मा)

सम्बन्धित उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी और प्रशासनिक सचिवों को भी सम्मिलित किया जाता है।

ब्यूरो द्वारा दिये गये सुझावों की अनुपालना से इन उपक्रमों की उत्पादकता एवं लाभदायिकता में वांछित सुधार होने की आशा की जाती है। जिनका एक बार कार्य मूल्यांकन हो चुका है उनका दुबारा भी कार्य मूल्यांकन किया जा रहा है एवं उचित मार्ग-दर्शन दिये जा रहे हैं। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। जिसके परिणाम तुरन्त प्राप्त होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती तथापि कालान्तर में इन प्रयासों/सुझावों की क्रियान्विति से लाभ मिलना अवश्यं-भावी है।

कार्य-मूल्यांकन के अतिरिक्त ब्यूरो द्वारा उपक्रमों की कार्य-प्रणालियां, वेतन संरचना एवं अन्य प्रबन्धकीय पहलुओं पर भी समय-समय पर मार्ग-दर्शन निर्देश दिये गये हैं जिनका उद्देश्य उपक्रमों की व्यवस्था में आवश्यक सुधार लाना, खर्चों में कमी एवं वित्तीय अनुशासन की दिशा में कदम उठाना है।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** यह रिपोर्ट तो हमारे पास आ गई मन्त्रीजी, यह रिपोर्ट तो हमने पढ़ ली।

**श्री शोपत सिंह :** यह स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई जवाब दे रहे है क्वेश्चन का ?

(व्यवधान)

**श्री डूंगरराम पंवार :** जो कुकर्म किये हैं उनका फल भोगना पड़ेगा।

**श्री मोहन छंगाणी :** यह क्या तरीका है ?

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकर्ता सुनें।

**श्री मोहन छंगाणी :** हम जो प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब आना चाहिए और हमारी रक्षा करना आपका धर्म है। अध्यक्ष महोदय यह इस तरह से कोई प्रश्नों का जवाब दिया जाता है ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय छंगाणी जी।

**श्री डूंगरराम पंवार :** उपक्रम की जगह कुकर्म लगाता हूं जो किये हुए हैं वे भोगने पड़ेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य। जरा प्रश्नकर्ता सुनलें यह गौर से। माननीय मंत्रीजी

**श्री रामकिशन वर्मा** (यातायात मंत्री) : उपक्रमों के अधिकारियों की दक्षता में सुधार की दृष्टि से विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित किये गये है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

**श्री अध्यक्ष :** यह उपक्रमों का मामला है।

**श्री मोहन छंगाणी :** अध्यक्ष महोदय, हम प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। आप निर्णय कर लीजिये हमारे प्रश्न का जवाब आया या नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य।

**श्री मोहन छंगाणी :** माननीय पुष्पाजी तो बैठी रहेगी।

**श्री शोपत सिंह** : मंत्रीजी के 15 मिनट बोलने के बाद में आपको क्या समझ में आया। हमको बता दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्रीजी बुलन्द आवाज में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपक्रमों में इनके कुकर्मों से घाटा हो रहा है उसे भी तो बतला दें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय पुष्पा जी। प्रश्न तो आयेगा, अभी आजायेगा। सप्लीमेंटरी में आयेगा। जवाब आ जायेगा। माननीय सदस्य। अभी तो जनरल बात है। सप्लीमेंटरी में आयेगा। माननीय पुष्पाजी।

**सुश्री पुष्पा जैन** . मन्त्री महोदय आपके भाषण से ऐसा लग रहा है। तलबानी तो आपने बहुत की लेकिन सफेद हाथी आपके काबू में नहीं आ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि आपने इतने जो निर्देश दिये, सुझाव दिये, गाइड-लाइन दी उसके बावजूद भी यह कार्पोरेशन आपके काबू में नहीं आये, आपको गाइड-लाइन के बावजूद अगर घाटे को लाभ में परिवर्तित नहीं किया तो आपने अब तक इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? दूसरा, मैं यह भी जानना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, कि क्या यह सच है कि 1982-83 के बजट भाषण में माननीय श्री चन्दनमल जी बैद ने कहा था....(व्यवधान)

सौरी। हां, क्षमा चाहती हूं। चन्दन मलजी। हां क्षमा चाह रही हूं मैं। चन्दन मलजी बैद ने इन्हीं उपक्रमों के बारे में चिन्ता प्रकट करते हुए कहा था कि प्रधान मन्त्रीजी के बीस सूत्री कार्यक्रम में सार्वजनिक उद्योगों की कार्य-कुशलता और उनकी क्षमता के उपयोग और आंतरिक साधनों की उत्पादन की शक्तियों को बढ़ाकर उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाये जाने पर बल दिया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों की अगले वर्ष के प्रारम्भ में गहन समीक्षा करेंगे और उनके पूरे भाषण में की जो सार था वह यही था कि अगर यह कार्पोरेशन सुधार नहीं कर सकते तो लिहाजा इन्हें बन्द कर दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहूंगी कि उसके बावजूद भी इस सरकार ने अब तक क्या किया? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि कई कार्पोरेशन अपने उद्देश्य से हटकर दूसरे दूसरे काम कर रहे है। जैसे एग्रो-इन्डस्ट्रीज है वह शक्कर बना रही है, शक्कर बेच रही है, कोयला बेच रही है तो आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं। क्यों टेक्सपेयर्स पर आपने ये हाथी बांध रखा है?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मन्त्रीजी।

**सुश्री पुष्पा जैन** : और भविष्य में आप इनके बारे में और कितने कार्पोरेशन के बारे में जो निरन्तर आपकी गाइड-लाइन के बावजूद घाटे में जा रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष** : सप्लीमेंटरी बाद में लूंगा

**सुश्री पुष्पा जैन** : आप इसी सदन में आज ही स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मन्त्रीजी। सप्लीमेंट्री बाद में लूंगा।

**श्री रामकिशन वर्मा** (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने जो चिन्ता जाहिर की वह चिन्ता बिल्कुल सही है लेकिन जब ...

**श्री शोपत सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मुख्य मन्त्रीजी देवें। बहुत ही अहम् सवाल है। राजस्थान के करोड़ों रूपये इन उपक्रमों में लगे हुये है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री शोपत सिंह** : यह सारे घाटे में जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं ? इनका कद बहुत छोटा है। यह क्या करेंगे ? क्या बतायेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय शोपत सिंह जी।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी बंगाल में तो प्रोफिट में चल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं सप्लीमेंटरी बाद में लूंगा। अभी सप्लीमेंटरी अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

**श्री रामकिशन वर्मा** : जब 1982-83 में माननीय चन्दनमलजी की चिन्ता को आपने बताया तो उसके बाद 84 में एक ब्यूरो की संरचना की गयी। उसका गठन किया गया और ब्यूरो के अन्दर मुख्य सचिव अध्यक्ष हैं, वित्त सचिव उसके सदस्य हैं, उद्योग सचिव उसके सदस्य है, राजकीय उपक्रम सचिव सदस्य हैं, डाक्टर प्रकाश टण्डन एक्सपर्ट हैं, चेयरमेन, नेशनल कौंसिल आफ एप्लायड रिसर्च हैं, डाक्टर कान्ता आहूजा, प्रोफेसर आफ इकानामिक्स है और जो चीफ एक्जीक्यूटिव लोग हैं, इन सबको इस बात के लिए वहां पर रखा गया कि इसकी पूरी तरह से देखभाल करें। इस बात को जांच लें कि वहां पर घाटे के कारण क्या है तो कई जो कारण आये उसमें रामेटेरीयल का उपलब्ध न होना, कई दफा मजदूरों की स्ट्राइक वगैरह का होना। कई बातें ऐसी हैं और समय समय पर लोगों के वेतन के अन्दर जो बढोतरी हुई है, वह भी कई कारणों में से एक है। फिर हम यह इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि इन घाटों को रोका जाए और उसमें सुधार किया जाय।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : 26 में से 24 अण्डरटेकिंग्स लॉस में चल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय जोशी।

**श्री शोपत सिंह** : इन उपक्रमों में कुल कितने करोड़ का घाटा है आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन उपक्रमों में कुल कितने करोड़ का घाटा है ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं नम्बर से ले रहा हूं। नम्बर से जो सप्लीमेंटरी के लिए हाथ उठायेंगे उनको पहले लूंगा। माननीय विद्या जी। नम्बर से लूंगा।

**श्रीमती विद्या पाठक** ( सांगानेर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने इतने वर्षो से इतने प्रयास किये हैं और जितना आपने सुधार करके बैठना चाहा है उतना ज्यादा छप्पर तोड़ा है। मैं आपसे पूछना

(12)



(श्रीमती विद्या पाठक)

चाहती हूं आप हानि घटा तो नहीं सकते पर बढ़ाने के लिये, क्या-क्या प्रयास किये। श्रोनेस्टली यही बात बता दो। एक प्रश्न तो मेरा यह है। दूसरा मैं यह पूछना चाहती हूं कि श्रार. एस. ई. बी. श्रौर आर. एस. श्रार. टी. सी. जिसके लिए केन्द्र की हर मिटिंग में श्रापको लताड़ पड़ती है उसको सुधारने के लिए श्रापने कोई प्रयास नहीं किया। जितना प्रयास किया उतना घाटा बढ़ रहा है। सहकारी अपेक्स बाडीज को श्रापने इसके अन्तर्गत राजकीय उपक्रम माना है। उसके श्रन्तर्गत श्रापने श्रभी तक कोई कार्यवाही नहीं की उसका घाटे श्रांकने की या उसके मूल्यांकन की भी। इसको बता दीजिये। मैं यह पूछना चाहती हू कि श्रापके जो केन्द्र में स्पीकर महोदय हैं उनकी जो बेबी है यह संजीवनी फोडन प्रोडक्शन इसकी वजह से श्रापको कितना घाटा इंकर किया है। श्रापके केन्द्र में गृह मंत्री की जो एक बेबी हैं जोहरीन श्रपेक्स जो कम्पनी हैं उसका जोरावर वनस्पति श्रापने श्रलवर में जिसके लिए परमीशन दी है। इसकी वजह से कितना घाटा हुश्रा? माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि श्राप कृपा करके मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर श्रलग से दिलवाये।

**एक माननीय सदस्य** : हमको भी पूछ लेने दो।

**श्रीमती विद्या पाठक** : नहीं, आप इन चार प्रश्नों का उत्तर दें।

**श्री श्रध्यक्ष** : हरजीराम जी श्राप बोलें।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय श्रध्यक्ष महोदय, यह हाऊस की रिक्वेस्ट है। करोड़ों रूपये का घाटा ये श्रमीर लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए.... (व्यवधान)

इन्होंने श्रपने चाचा का माल समझा है पूरे सरकार के खजाने को श्रोर उसके बाद इस इश्यू को टालना चाहते हैं ये।

**श्री श्रध्यक्ष** : माननीय, मन्त्री जी।

**श्रीमती विद्या पाठक** : इसका जवाब दिलवाइये।

**श्री श्रध्यक्ष** : माननीय मन्त्रीजी। यह श्रापने विद्याजी श्रलग-श्रलग रखा है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : यह सब उपक्रम में श्राने वाला है, माननीय श्रध्यक्ष महोदय।

**श्री श्रध्यक्ष** : मानीय मन्त्री जी।

**श्री प्रणवीर व्यास** : माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं।

**श्री श्रध्यक्ष** : श्राप बैठिये प्लीज।

**श्री प्रणवीर व्यास** : कि कोटा में टेनरीज को बन्द कराने के अन्दर मिस-मैनेजमेंट था यह मजदूरों की वजह से बन्द हुई। श्रभी मन्त्री महोदय ने यह कहा कि मजदूरों की वेतन वृद्धि की वजह से यह घाटे में जा रहे हैं। मैं श्रापसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय उपक्रमों में शोषण हो रहा है श्रौर उस शोषण को रोकने का तरीका

(श्री प्रणवीर व्यास)

यह जो अफसरशाही है यह जो मैनेजमेंट है। ये इन उपक्रमों को चाट रहे हैं बिल्कुल और साफ कर रहे हैं। इसका अभी तक कोई हल नहीं आया। पिछली बार भी जब राज कीय उपक्रमों की बात आई थी तब भी सवाल हमने किए थे।

**श्री अध्यक्ष** : एक एक अपना हाथ उठा लेते हैं मैं उनका नाम नोट कर लेता हूं। अपनी मर्जी से मत बोलो। और लोगों का भी राइट है। उसमें गड़बड़ होती है। इसको देख लें। मैं नम्बर से अपने आप सप्लीमेंट्री कर दिया करूंगा। अपनी तबियत से नहीं। दूसरों को नुकसान होता है। माननीय मन्त्रीजी।

**श्री रामकिशन वर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक विद्युत मण्डल में घाटे का कारण पूछा है, विद्युत मण्डल में हम पड़ौसी राज्यों से भी बिजली लेते हैं, वह हमको महंगी भी मिलती है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : घाटे की संख्या बता दो आप तो कि तमाम घाटा है। बाकी तो आपकी वजह से हो रहा है और आप अक्षम हैं इनको रोकने में। यह सबको मालूम है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय विद्याजी, जवाब आने दीजिये। जवाब सुनिये। (व्यवधान)

**श्री नवरंगसिंह** : अध्यक्ष महोदय, खेती के लिये सभी स्टेट्स से महंगी बिजली दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : अपनी मर्जी से चाहे जो बोलने लग जाते हैं जो सप्लीमेंट्री चाहते हैं वहां बैठे रहते हैं। यह गलत है।

**श्री शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय राजकीय उपक्रमों में जो घाटे की स्थिति है उससे इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी लोग चिन्तित हैं। इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** (डेगाना) : चिन्तित तो सभी हैं लेकिन इसका समाधान का अधिकार तो आपके पास हैं।

**श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : आप जैसे धन का दुरुपयोग कोई नहीं करता है।

**श्री शिवचरण माथुर** : लालचन्दजी, मेहरबानी करके सुन लीजिये। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा राजकीय उपक्रम, अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड है। इसके बारे में सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने यहां पर जिक्र किया। उसमें राजस्थान का करीब एक हजार करोड़ से ज्यादा रुपया लगा हुआ है। वह कर्जे के रूप में लगा हुआ है। हमने अभी जो, फाइनेन्स कमीशन आया था यही प्रश्न हमने उनके सामने रखा था। कुछ इनहेरेन्ट डिफिकल्टीज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे उपक्रम में घाटा रहेगा। उसमें दो तरह का मिक्स है। एक तो मिक्स है, जिसमें हम खेती के लिए बिजली देते हैं। उसमें जितनी बिजली हैं, जो जनरेशन कास्ट आती है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कास्ट है उसमें काफी फर्क होता है। वह एक प्रकार से घाटे का कारण

(14)



(श्री शिवचरण माथुर)

बनेगा ही और एक सोशल काज है, हम इसको अवाइड नहीं कर सकते। कोई भी अवाइड नहीं कर सकता।

**श्री शोपत सिह** : सेठों को सस्ती बिजली दे रहे हो।

**श्री शिवचरण माथुर** : सुनिये, मेरी बात सुनिये। जहां हम लाभ ले सकते हैं उसमें बिजली की कमी होती है तो हमको काटना पड़ता है। आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल तक बिजली की बहुत कमी राजस्थान में थी। उद्योगों पर 50 पर्सेन्ट, 60 पर्सेन्ट, 80 पर्सेन्ट और कभी-कभी तो 100 पर्सेण्ट कट लगाना पड़ा था। लेकिन हमने किसानों को भले ही 6 घण्टे दी हो, 8 घण्टे दी हो, बिजली देने की बात थी। तो जिस सेक्टर से पैसा आ सकता है उसको हमें कट करना पड़ता है, सोशल आब्लीगेशन के कारण और जहां से घाटा होता है उसको चलाना पड़ता है। एक तो मुख्य कारण यह है।

दूसरा, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जहां से बिजली पैदा होती है वह स्रोत हमारे लिए बहुत कम है। हमारा अपना पावर का अपना जनरेशन केवल कोटा में होता है और हाइडल का जनरेशन भी कोटा में ही होता है। कुछ दिनों से माही में हमारा जनरेशन शुरू हुआ है जिसको अपना कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की टोटल बिजली की वेलेबिल्टी का करीब-करीब वन-थर्ड से थोड़ा ज्यादा है बाकी हमको या तो बिजली बाहर से लेनी पड़ती है, इन्टर स्टेट प्रोजक्ट में जो हमारा हिस्सा है उससे या जब हमको कमी पड़ती है तो हमारे पड़ौसी प्रदेशों से जहाँ पर बिजली अधिक उपलब्ध है, उनसे मंहगी खरीदनी पड़ती है। या एक तीसरा स्रोत अभी गैस का मिला है, अन्ता में हमारा पावर हाऊस बना है। उस पावर हाऊस में हमको दस बार पर 1 रुपया 7 पैसे में हमको बिजली वह देते हैं। और उसमें अगर ट्रान्समीशन का खर्चा लगाया जाय तो 20-25 पैसा और आ जाते हैं।

**श्री शोपत सिह** : क्यों लेते हो।

**श्री शिवचरण माथुर** : बिजली चाहिये इसलिए ले रहे हैं।

**श्री शोपत सिह** : इससे सस्ती मिल सकती है।

**श्री शिवचरण माथुर** : कहां से मिल सकती है। वेस्ट बंगाल से नहीं आ सकती।

**श्रीमती विद्या पाठक** : मुख्यमन्त्री महोदय, यह आर. एस. ई. बी. पर बहस थोड़े ही हो रही है। आप तो जवाब दीजिये दूसरा यह जोरावर वनस्पति प्रोडक्शन, संजीवनी फोडर, आर. एस. आर. टी. सी, सहकारी अपेक्स बाडीज, आप एक पर चलेंगे सो एक घण्टा आप भी ले लेंगे।

**श्री शिवचरण माथुर** : यह अलग प्रश्न है इससे सम्बन्धित नहीं है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : यह राजकीय उपक्रम है। इनको राजकीय उपक्रम नहीं मानते आप?

**श्री शिवचरण माथुर** : यह नहीं है राजकीय उपक्रम।

**सुश्री पुष्पा जैन** : मुख्य मन्त्री जी, यही कारण है जिनकी वजह से कार्पोरेशन घाटे में जा रहे हैं। आपके संसद सदस्य आपके पार्लियामेंट के मन्त्री सारे के सारे आब्लाईज हो रहे हैं इन कार्पोरेशन से। आपके रिश्तेदार आब्लाइज हो रहे हैं, इन कार्पोरेशन के जरिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या।

**श्री शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन यह कर रहा था बिजली बोर्ड के जो काम करने के तरीके हैं, या जो हमारे सोशल आब्लीगेशन्श है, आज भारत सरकार या प्लानिंग कमीशन उसका 6 पर्सेन्ट का रिटर्न हमसे एक्सपेक्ट करता है, जो आज की परिस्थिति में 6 पर्सेंट का रिटर्न सम्भव नहीं है। हमने फाइनेन्स कमीशन को यही कहा कि यह ऐसे उपक्रम हैं जिनमें घाटा होना स्वाभाविक है इसलिए यह जो कुछ भी कर्जा हमारे ऊपर है उसको आप लोन-इन परपच्यूरशन में कन्वर्ट कर दीजिये ताकि हमेशा ही यह लोन बना रहे लेकिन उसको चुकाने का सवाल नहीं आवे। मैं मानता हूं इसको सभी जानते हैं। अभी हमको जो अन्ता की बिजली मिली है, मैंने निवेदन किया कि 1 रूपया 7 पैसा हमको दस बार पर मिल रही है। इसको ट्रांसमीट करने का जो खर्चा होगा वह अलग होगा। हमारे उद्योगों पर जो अधिक से अधिक रेट है बिजली की वह एक रुपया है। हम इस बीच में कई बार उसको बढ़ा भी चुके हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय महोदय (व्यवधा )

**श्री शिवचरण माथुर** : उजलाजी, मैं बहुत गम्भीर बात निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिये तो सही उसको। इसलिए सबसे बड़े उद्योगों में घाटे की स्थिति जो मैंने निवेदन की उसका कारण यह है। आर. एस. आर. टी. सी. जो काफी बड़ा उद्योग है जिसमें हमारी काफी पूंजी लगी हुई है, उसमें अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सारे भारत के रोडवेज कार्पोरेशन में, शायद हमारा ही कारपोरेशन ऐसा है जिसने पिछले पांच-छः साल से लगातार प्रोफिट कमाया है। प्रोफिट हमारा पांच करोड़ भी आया है, चार करोड़ आया है। आज भी वह प्रोफिट में हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं, कई बार मान लीजिये किसी आदमी को रखना पड़ता हैं और उनको निकालने वाली बात आती है तो, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का आर्डर आ गया कि उनको आपको रखना पड़ेगा। इससे एक प्रकार से कार्पोरेशन का पे-बिल बढ जाता है। कोशिश यह की जाती है कि उसमें एफिशिएन्शी लाने के लिए, पूरी तरह से प्रयत्न किये जाय। उनका फिजिकल इवेल्यूएशन परफोरमेन्स इवेल्यूएशन और फिजिकल इवेल्यूएशन करने के लिए हमने ब्यूरो ऑफ पब्लिक एण्टरप्राइज कायम की है 84 में 1 ब्यूरो ऑफ पब्लिक एण्टरप्राइज में केवल सरकारी अधिकारियों को ही नहीं रखा लेकिन जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि इकानामिस्ट

(16)



(श्री शिवचरण माथुर )

और एक्सपर्टस को इसमें शामिल किया जाए वह बाकायदा अपना इवेल्यूएशन गवर्नमेन्ट को पेश करते है और उसमें डाइरेक्शन देते हैं उन एन्टरप्राइजेज को कि इन डाइरेक्शन्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद आपका घाटा पूरा हो सकता है। एक तो, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह रहा।

दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ उपक्रम ऐसे भी शुरू हो गये जो राजकीय क्षेत्र में आने नहीं चाहिए थे. जैसे बीड़ी का उपक्रम है, फर्नीचर का उपक्रम था उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं. इनका क्या करें। क्या नहीं करें। लेकिन सरकार के सामने हमारे सामने समस्या आती है, प्रश्न उपस्थित हो जाता है इन उपक्रमों में काम करने वाले मजदूरों का, और उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करने की दृष्टि से इनको हमको चलाना पड़ता है।

**श्री शोपत सिंह** : भ्रष्ट अधिकारियों के नहीं है, और दूसरे लोगों के, मन्त्रियो के नहीं है ?

**श्री शिवचरण माथुर** : इसलिए जहां तक यह सवाल है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन उपक्रमो में घाटा नहीं हो। इस घाटे को कम करने की कोशिश की जाय और यह लाभ करने की स्थिति में अपने आपको ला सकें यह कोशिश की जाती है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री शोपत सिंह।

**श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह भी कहा है, वह आज यह मानकर चलते हैं कि आज कोई भी कारखाने में, उपक्रम में केपिटल लगाइये, चाहे लेबर लगाइये वह कमाती नहीं, मैनेजमेन्ट कमाता है अगर मैनेजमेन्ट आपकी अच्छी नहीं है तो कोई भी उपक्रम कमा नहीं पायेगा। हमारे राजस्थान में मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कारण फेल्योर ऑफ ब्यूरो क्रेटीइजेशन है, पहली बात तो मुख्य मन्त्रीजी आप मंजूर करेंगे उसकी सांठ-गांठ राजनीतिज्ञों के साथ, दूसरा कारण है इसलिए दो कारण है।

**श्री सी. पी. जोशी** : यह अनुभव है क्या आपका खुद का ?

**श्री मोहन छंगाणी** : अनुभव है, मैं मन्त्री रह चुका हूं इसलिए मुझे अनुभव है।

**श्री माणक डाणी** : किस व्यक्ति का पालिटिशियन से सम्बन्ध नहीं है (व्यवधान)

**श्री मोहन छंगाणी** : इसलिए हम चाहेंगे, मुख्य मन्त्रीजी, जितने भी उपक्रम घाटे में हैं, रीको का डिसऑनेस्टी का प्रश्न था, ऐसे उपक्रम हैं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी अच्छी तरह से जानते है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जितने भी राजकीय उपक्रम है सब के सब घाटे में चल रहे हैं उसके बारे में कोई नीति बनाइये .......

**श्री शिवचरण माथुर** : कुछ उपक्रम ऐसे भी हैं जो फायदे में चल रहे हैं....

**श्री मोहन छंगाणी** : जैसे रोड़वेज है...

**श्री शिवचरण माथुर** : जैसे रोडवेज आर. एस. एम. डी. सी. है, आर. एस. एम. एम. है ...

**श्री शिवचरण सिंह** : आर. एस. एम. डी. सी. नहीं है....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : स्टेट टैनरीज घाटे में चल रही है....

**श्री मोहन छंगाणी** : आर. एस. एम. डी. सी. का मामला तो ऐसा है कि जब लन्दन में बिजली हो रही थी तो मोमबत्ती वालों ने राजा के पास प्रदर्शन किया था आप इंगलैण्ड में सारे का सारा अन्धेरा कर दीजिये और सारे पर्दे लगा दीजिये, सूर्य की रोशनी न जाये, तब हमारी कैन्डल्ज बिकेगी, तो इस तरह से आर. एस. एम. डी. सी. चल रही है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है....

**श्री शिवचरण सिंह** : आर. एस. एम. डी. सी. की सबलेटिंग करके कर रही है जो आपकी नीति और नियम के विरुद्ध है, मैं आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं, सबलेटिंग करके कर रही है....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय श्री शिवचरण सिंह जी।

**श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने जो पब्लिक एन्टरप्राइजेज ब्यूरो की स्थापना की, पब्लिक एन्टरप्राइजेज ब्यूरो की रिपोर्ट आ गई। उस समय से लेकर आज तक कितने पर्सेन्ट उपक्रमों में आपने लाभ अर्जित किया है और क्या उस ब्यूरो की रिपोर्ट में कुछ ऐसे उपक्रमों के बारे में ऐसी भी रिपोर्ट दी गई है कि यह कभी भी फायदे में नहीं आ सकती तो ऐसे उपक्रम जो कभी भी फायदे में नहीं आ सकते और उनमें जो वर्कर्स हैं उनसे ज्यादा खर्चा वहां की मैनेजमेंट पर हो रहा है। ऐसे जो उपक्रम हैं उनके बारे में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं तो ऐसे उपक्रमों में आपने कितने पर्सेन्ट लाभ अर्जित किया और तीसरा मेरा निवेदन है कि हर उपक्रम के अन्दर जो आफिसर लगाये गये हैं या चेयरमैन लगाये हैं तो पर ईयर के खर्चे में आंकड़े क्या आपने एकत्रित किये हैं। एक-एक आफिसर तीन-तीन चार-चार गाड़ियां लेकर पानी की तरह पैसा बहा रहा है जिसके कारण यह उपक्रम घाटे में जा रहे हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, इसको डिमाण्ड के समय ले लीजिये, ज्यादा बैटर होगा। आधा घण्टा निकल चुका है इस प्रश्न पर What purpose is being served ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जोशी जी, अभी करता हूं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमेशा खुद ही कहते रहे हैं...

**श्री अध्यक्ष** : आपस में नहीं बोले, माननीय सी. पी. जोशी।

**श्री विजय सिंह** : माननीय अध्यक्षजी, हाऊस का समय खराब हो रहा है। अगर आपको विशेष आवश्यकता हो रही है तो

(श्री विजय सिंह)

आप इसके लिए अलग से चर्चा के लिये कह दीजिये।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य विद्युत मण्डल, मिरनल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन, यह बेशिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के साधन हैं। लेकिन जब यह सवाल उठाया गया तो आपकी नजर सिर्फ इन पर ही क्यों है। आपका स्टेट टेनरीज की तरफ ध्यान क्यों नहीं है ? जो राजकीय उपक्रम बन्द हो गये, जिनके चलने की स्थिति नहीं है उनमें निरन्तर जो पूंजी लगी है उसके ब्याज से हम मरते जा रहे हैं, हमको निरन्तर घाटा होता रहे। ऐसे उद्योगों की तरफ ध्यान देकर उनसे निजात पाने के लिये-भी कोई गाइड लाइन और उसमें कोई असरदार तरीके से प्रभावी ढंग से कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं सिर्फ आर. एस. ई. बी., रोडवेज, कार्पोरेशन की तरफ ही नहीं, इनके अलावा जिनमें अत्यधिक घाटे हैं, वूलन मिल का क्या हुआ, स्टेट टैनरीज जो राजस्थान की बेसिक चीज है, आप उनका उद्योग स्थापित करें, टैनरीज के द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हो सकता है, उन पर फैल्योर है, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार उन फैल्योरेज को देखें और उसके लिये कुछ करे।

**श्री शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इसलिये निवेदन किया कि जितने भी राजकीय उपक्रम हैं उनमें पूंजी निवेश के लिहाज से, चार-पांच जिनका मैंने जिक्र किया उनमें सबसे ज्यादा पूंजी निवेश है अगर जो मैंने जिक्र किया उसमें 80 पर्सेन्ट मान लीजिये बाकी दस-बीस पर्सेन्ट है। यह यही बात है कि राजकीय उपक्रम घाटे में है। राजस्थान टैनरीज की बात आपने कही है, इसके सम्बन्ध में एक एन. आई. आर्ट आफर दी है। उसके बारे में एक कमेटी बना करके उसको लेने वाली बात कर रहे हैं। कई और उद्योगों के बारे में जो सरकार की तरफ से नहीं चल सकते, उनके बारे में हमारा माइन्ड बड़ा ओपन है, हम घाटे की स्थिति में नहीं रख कर उनको चलाना चाहते हैं, यह हमारा दृष्टिकोण है। इसमें बेसिक इण्डस्ट्रीज में या बड़े उद्योगों में स्टेट बढ़े यह बात समझ में आती है, फर्नीचर का काम ले लें, कहीं बीडी का काम ले लें। इसलिये यह बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है राजकीय कोष में यह उपक्रम कम से कम घाटा दें, यह हमारी कोशिश है और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ब्यूरो एन्टरप्राइजेज की नियुक्ति की गई थी। और मैं आपको बताऊं, यह जो इवैल्यूशन होता है वह केवल सरकारी अधिकारी नहीं करते उसमें एक्सपर्ट्स शामिल किये जाते हैं। इकानामिस्टस है, एक्सपर्ट्स हैं जो इवैल्यूशन करके एन्टरप्राइजेज को लिखते हैं, गवर्नमेन्ट को लिखते हैं उसके मुताबिक कार्यवाही भी की जाती है।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट श्री शोपत सिंह।

**हरा चारा की मशीनों की खरीद**

3. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) **एवं श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा हरा चारा पैदा करने वाली मशीनें खरीदी गई हैं अथवा केन्द्र से उपलब्ध हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी, कब व कितनी राशि की तथा इन्हें कहां-कहां पर लगाया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब तक इन मशीनों से कितना हरा चारा कहां-कहां पैदा किया गया ?

(3) हरा चारा पैदा करने वाली मशीनों के गन्तव्य स्थान तक पहुँचने पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

**कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला)** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसका कोई अधूरा जवाब देकर माननीय सदस्यों के.... (व्यवधान)

आप सुनिये तो सही, इसमें ऐसे महत्व पूर्ण मुद्दे हैं ......

**श्री जगतसिंह दायमा** : + + +

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करती हूं कि मेरा जो नेक्स्ट डे आवे जवाब देने का, उस दिन आप इसको लिस्ट कर दीजिये क्योंकि बीकानेर से और मालपुरा से इसी के कुछ प्रश्नों का जवाब आना था वह आ नहीं पाया....

**श्री शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की जाये, हमारे सदन की परम्परा नहीं रही है। दायमा जी ने यहां पर बात की, मैं समझता हूं अच्छी स्थिति नहीं हैं ।

**श्री जगतसिंह दायमा** : किस तरह के भाषण दे गये हैं बलराम जी जाखड़ साहब ।

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है ।

**श्री जगतसिंह दायमा** : यह जानबूझ कर कराया जा रहा है ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य....

**श्रीमती कमला** : सही बात तो छुपाने की बात नहीं है, जवाब देने की तैयारी की बात है ।

**श्री अध्यक्ष** : रिमार्क पास नहीं करें, इससे क्या फायदा ?

**श्री शोपत सिंह** : तैयारी से जवाब दीजिये ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय यह सही है लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिये, मैं भी सहमत हूं लेकिन मुख्य मन्त्रीजी आपको यह भी कहना चाहता हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने राजस्थान में जो भाषण दिए और यह कहा कि + + + इस प्रकार की बातें कहने वाला व्यक्ति यदि

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(20)



(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान के हाउस के बाहर कह सकता है तो हाउस में रहने वाले सदस्य उसका जवाब निश्चित रूप से देंगे। + + + (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट। श्री बिरदमल सिंघवी।

**श्री माणक डाणी :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता लोकसभा जायेंगे तो वहां जवाब भी दे दिया जावेगा कि किसने क्या बोला।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 5

**लोक अदालतें**

5. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अब तक कुल कितनी लोक अदालतें लगीं तथा इनमें कुल कितने मामलों का निपटारा हुआ ?

(2) क्या गत एक वर्ष में लोक अदालतों की संख्या में कोई कमी आई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार ने कारणों की जांच की है ?

(3) लोक अदालतों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(4) क्या लोक अदालतों के गठन, कार्यकलाप आदि पर नजर रखने के लिए कोई समिति कार्यरत है ? क्या इसके लिए कोई नियम आदि भी बनाये गये हैं ? यदि हां, तो नियमो निर्देशों आदि की प्रति सदन की मेज में रखें।

**विधि मन्त्री** (श्री रघुनाथ विश्नोई) :

(1) राज्य में 30 नवम्बर, 1985 से अब तक कुल 252 लोक अदालतें लगीं तथा इनमें कुल 3,45,154 मुकदमों का निपटारा हुआ।

(2) हां, यह बात सही है कि वर्ष 1987–88 के मुकाबले में वर्ष 1988–89 में कम लोक अदालतें आयोजित हुई हैं तथा कम संख्या में लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमें निर्णीत हुए हैं। वर्ष 1987–88 में कुल 70 लोक अदालतें आयोजित हुई जिनमें कुल 90,275 मुकदमें निर्णीत हुये तथा वर्ष 1988–89 कुल 18 लोक अदालतें आयोजित हुई जिनमें कुल 30.178 मुकदमें निर्णीत हुए। इसका कारण यह है कि विधि विभाग, राजस्थान सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी संघ से समझौता कर लिया तथा यह इकरार किया कि लोक अदालतों का कार्य अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को नहीं करना पड़ेगा। अतः लोक अदालतों के कार्य के लिए स्टाफ के नव सृजित पदों की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है। कारणों की जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) एवं (4) राजस्थान में लोक अदालतों के गठन व कार्यकलापों आदि पर निगाह रखने के लिये राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति तथा राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड कार्यरत हैं। भारत सरकार ने लीगल सर्विस आँथोरिटी अधिनियम भी पारित किया है तथा नियम भी बनाये हैं परन्तु इस अधिनियम के लागू होने की तारीख घोषित नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर पूर्व में बनाये गये नियम व समय-समय पर राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड ने लोक अदालतों के कार्यकलापों के गठन हेतु सर्क्यूलर्स जारी कर निर्देश दिये हैं जिनकी प्रतियां संलग्न की जा रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सस्ते न्याय की दृष्टि से। लोक अदालतों के विषय में हम सब से अग्रणी है। वह बहुत जोर-शोर से घोषणा की गई और खुशी की बात है। राजस्थान में 3 लाख 45 हजार मुकदमों का एक बहुत बड़ा एरियर लोक अदालतों के माध्यम से निकला लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले दो साल से, अध्यक्ष महोदय, यह सारे जो सरक्युलर पेश किये हैं 1986 तक के, उसके बाद में कोई सरक्युलर जारी नहीं हुआ और लोक अदालतों को जिस जोर-शोर से प्रचार हुआ, वह काम बन्द हो गया। आप कहते हैं कि विधि विभाग ने समझौता किया। विधि विभाग भी आपकी सरकार का है। कोई दूसरा करने वाला नहीं था। आपने समझौता किया। आपने कहा कि हम इसके लिये स्टाफ लगा देंगे। स्टाफ लगाकर लोक अदालत का काम चालू रखेंगे आज तक कोई स्टाफ नहीं लगा है लोक अदालत का काम चल रहा है यह कहना बिल्कुल गलत है कोई स्टाफ आपने लगाया नहीं है लोक अदालत का कोई काम नहीं हो रहा है आपने सरक्यूलर जारी किया कम से कम माननीय विधि मन्त्री महोदय को मालुम होना चाहिये कि लोक अदालत और लीगल एड बिल्कुल अलग-अलग चीज है। आपने लीगल एड का सरक्यूलर पेश कर दिया। लीगल एड के नियम है। लोक अदालतों का काम और लीगल एड का काम बिल्कुल अलग से है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय विधि मंत्री जी को इतना तो ज्ञान होना चाहिये। आपने यह भी कहा कि लीगल एड के लिये कानून बन चुका है परन्तु वह नियम लागू काम चालू रखेंगे। आज तक कोई स्टाफ नहीं लगा है। लोक अदालत का काम चल रहा है, यह कहना बिल्कुल गलत है। कोई स्टाफ आपने लगाया नहीं। लोक अदालत का कोई काम नहीं हो रहा है। आपने सरक्यूलर जारी किया। कम से कम माननीय नहीं हुआ है। क्या जब तक वह लागू नहीं होगा तब तक लोक अदालत का काम सस्पेन्ड रखेंगे। हमारे हाईकोर्ट के न्यायाधीश रूचि लेकर काम करते थे। हमारे कई सेशन जज काम करते थे। कई मन्त्री महोदय उद्घाटन करने गये हैं। पब्लिक वर्कर्स वहां गये हैं। लोगों की समस्या हल हुई है। सस्ता न्याय हुआ है लेकिन जिस तरह से आपने लोक अदालतों के साथ मखौल किया है, ऐसा मखौल किसी के साथ नहीं हुआ

(श्री बिरदमल सिंघवी)

है। लोक अदालतों का काम ठप्प है। मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आखिर बात क्या है। आपने जो समितियां बनायी हैं। क्या आपने पता लगाया है कि उन्होंने क्या सिफारिश की है और राज्य सरकार ने कभी उस पर विचार किया है? कोई विचार नहीं किया है। लोक अदालत के लिये स्टाफ नहीं लगाया है। आप बता सकते हैं कि यह स्टाफ है?

**श्री विजेन्द्रपाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एयरकन्डीशनर चालू करवाइये। गर्मी लग रही है।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। श्री नाथूसिंह।

**श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :** अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि लोक अदालत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट के जजेज ने राज्य सरकार को पत्र लिखे हैं। यदि हां तो क्या दूसरा, क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लोक अदालतों की उपेक्षा करने के लिये, जो लोक अदालत लगाने वाले थे उन्होंने कुल साधन मांगे थे, परन्तु वे साधन आपने उपलब्ध नहीं कराये इसलिये उन्हें लोक अदालतें बन्द करनी पड़ी। क्या यह सही है कि कोर्ट के सामने 60,000 मुकदमें पेन्डिग हैं। कुल मिला कर और भी ज्यादा है।....इनका निपटारा करने के लिये, सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिये, क्या राज्य सरकार ने कोई नीति बनायी है। लोक अदालतों को चलाने के लिये? इस सम्बन्ध में आप कब तक उनको स्टाफ और साधन मुहैया करा देंगे। क्या जजेज ने जो पत्र लिखे हैं, उन पत्रों के सम्बन्ध में आपने या निर्णय लिये हैं।

**श्री अध्यक्ष :** श्री सम्पतसिंह।

**श्री सम्पतसिंह (नगर) :** अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर जो मुकदमें सुलझाये गये हैं सरकार की तरफ से इन लोक अदालतों में वे मैच्युड थे, कम्परोमाइज के थे, उनको तस्दीक कराया जाता था लोक अदालत में, उनको ही हमने गिना दिया कि हमने इतने मुकदमों का फैसला किया मैं जानना चाहूंगा कि जो कन्ट्रोवर्सियल केसेज हैं जिसमें लड़ाई-झगड़े बदस्तूर हैं उनकी सिधेसीधे सुनवाई की जाती है लोक अदालत में जिससे कोई कन्स्ट्रक्टिव बात सामने आये। अदालत के कहने पर राजीनामे की तस्दीक तो क्लर्क भी करा देता है।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) :** अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि लोक अदालतें चलाकर हमने साधारण जनता का बहुत अच्छा काम किया है लेकिन क्या आपने इन लोक अदा-के अन्दर कोई क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि फलां नेचर के मुकदमें का फैसला यहां किया जायेगा, फलां नेचर के मुकदमें का फैसला कोर्ट के जरिये होगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स है तो कृपया मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** (विधि मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार ने लोक अदालत का काम बन्द कर दिया है। यह बिल्कुल असत्य है। मैंने वर्ष वार आंकड़े दिये हैं। पहले 1985 में जो लोक अदालतें काम कर रही थी। उनकी संख्या ज्यादा थी और उसके बाद में कम हुई हैं। मुकदमों का निपटारा जो राजीनामे के जरिये होता था वह कम हुआ है। सवाल इसके अन्दर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति का है। इसके अन्दर यह बात सामने आयी थी कि जो अदालत, जो कोर्ट का पीरियड है उसमें अगर जिले में लगती है तो वह कर्मचारी उसके अन्दर इन्कार नहीं करते लोक अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं तो जो कर्मचारी साथ में काम करेगा और उसमें आए एक्स्ट्रा समय लगता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा कर्मचारी और लगा देंगे। आप यह समझ रहे हैं। सरकार ने यह आदेश दे दिया कि लोक अदालत को मना कर दिया, ऐसी बात नहीं है। श्री दिनकरलाल जी मेहता को लोक अदालत चलाने के लिये जज मुकर्रर किया है। लोक अदालत लगने पर सुप्रीम कोर्ट का जज भी आता है। लोक अदालत द्वारा जो मुकदमें निर्णित किये गये हैं, उसके लिये एक मुल्यांकन कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट मंगायी है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य सम्पतसिंहजी ने बताया कि सिर्फ राजीनामे के जरिये मामलों को तस्दीक कराया जाता है। परन्तु जो दूसरे एक्सीडेन्ट के केसेज हैं उनको नहीं लिया गया है। सबसे ज्यादा मामलों का निपटारा लोक अदालत में राजीनामे के केसेज का हुआ है और लाखों रुपयों का पेमेंट लोक अदालत के जरिये हुआ है जो एवोर्ड थे और कई वर्षों से जिनके मामले पेन्डिंग थे इमीजियेट उनको फायदा मिल सकता था उसका निपटारा किया गया है। अब जो कुछ स्टाफ लोक अदालत के लिये मांगा गया है उस पर निर्णय करने के लिये मामला वित्त विभाग को भेजा गया है। इस पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि विधिक सहायता समिति और लोक अदालत का कोई सम्बन्ध नहीं है। लोक अदालत से सम्बन्ध का सवाल नहीं है। आपने दूसरा सवाल यह किया कि लोक अदालत में मुकदमों का निपटारा करने के लिये, उसकी निगाह करने के लिये क्या व्यवस्था है। इसके लिये जवाब दिया है किन्तु वे समझे नहीं है ओर आपने सप्लीमेंटरी कर दी। इसके अन्दर, निगाह रखने के लिये जो बाडिज बनायी है उसका जिक्र किया है।

**श्री रामचन्द्र जाट (बनेडा)** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने एक बात कही कि लोक अदालत के माध्यम से ज्यादातर एक्सीडेन्ट के मुकदमों का फैसला हुआ है। लेकिन इन केसेज में इन्सुरेंस कम्पनी के दबाव में आकर कई क्लेम्स के जो टोटल अमाउन्ट से कसन्ड किये गये हैं, कई मुकदमों में जिसमें हजारों के क्लेम्स मन्जूर होने चाहिये थे उसमें मामूली-मामूली रकम देकर आपने निपटारा किया है। क्या आप ऐसे केसेज का पुनरीक्षण करेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं, बिल्कुल ऐसा हुआ है। आपने इन्सुरेंस कम्पनी के दबाव में आकर गरीबों के क्लेम केसेज में मामूली मामूली रकम देकर सैक्सन करवाई है। आप इनको पुनरीक्षण करवाइये। यह सही है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय भैरोंसिंह जी।

(12.00 म.)

**नेता, प्रतिपक्ष (श्री भैरोंसिंह शेखावत)**:

(श्री भैरोंसिंह शेखावत )

महोदय, मैं मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा, लोक अदालत चलाने के लिये क्या राज्य सरकार हाईकोर्ट को निर्देश दे सकती है ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : ऐसा कोई निर्देश आज तक न दिया है, न देने का प्रश्न उपस्थित होता है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को लोक अदालतें चलाने के लिये न कोई निर्देश दिये हैं, न निर्देश देने की आवश्यकता है।

**श्री मोहन प्रकाश** : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जनता को शीघ्र न्याय मिले, इसके लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? (व्यवधान)

लोक अदालतें गठित करने के पीछे मंशा यह थी कि लोगों को शीघ्र न्याय मिले इसके बाबत सरकार की क्या योजना है ?

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। (व्यवधान)

**श्री बिरदमल सिंघवी** : स्टाफ कब तक दिलवा देंगे, यह जवाब दिलवा दीजिये।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं आया। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या हमारी राज्य सरकार ने लोक अदालतें चला कर इन मुकदमों का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि इस नेचर का चलेगा, इस नेचर का नहीं चलेगा ? नहीं तो होता क्या है, जब जब लोक अदालतें चली हैं अपने जिले में मैंने एज एन एडवोकेट जोइन किया है, इसमें समस्या यह है कि कई दलाल बीच में साधारण जनता को बहका देते हैं कि तेरा मुकदमा फलाने में चल रहा है, तू मेरे साथ चल, मैं चलकर तेरा मुकदमा निपटा दूंगा लोक अदालत के अन्दर, इससे फायदे की बनिस्बत साधारण जनता को नुकसान होता जा रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार के मुकदमों का क्या क्राइटेरिया फिक्स करके साधारण जनता, जो भोली भाली है, किसी के बहकावे में आकर लुटती है, उनके फैसले नहीं होते हैं इसके लिये हमारी राज्य सरकार और माननीय मन्त्री महोदय कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिससे लोक अदालतों की प्रशंसा हो, साधारण जनता जो पिसती जा रही है, लुटती जा रही है वह बचे ? क्या इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार और माननीय मन्त्री महोदय करेंगे ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इस लोक अदालत की जो योजना बनाई थी उसका मुख्य उद्देश्य यह था, विशिष्ट सेवा भावी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा शास्त्रियों, विधि शास्त्रियों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से आपसी विवाद सर्वमान्य चेतना और मानवीय सद्प्रयास से सिद्धान्त के आधार पर पक्षकारों के मध्य कानूनी विवाद का राजीनामे के जरिये निराकरण कराया जाय। जहां तक इन मामलों को समझौते द्वारा निपटाया जाय तो वर्तमान में न्यायालय में नहीं पहुंचे हैं। इस तरह से जो माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दुरूपयोग हो रहा है, दुरुपयोग होने का प्रश्न ही नहीं है। यह योजना ऐसे सद्भावी लोगों के, समाज शास्त्री सिंधु लोग, इस तरह के लम्बे वर्षों तक जो मुकदमें पड़ें हैं उनको निपटाने की है। जितने भी मामले समझौते से निपटाये जा सकते है, इन लोक अदालतों में ऐसे हजारों मामले निपटाये गये हैं। जो लोक अदालतों में कई वर्षों तक पैसे से जोरबार करते थे, इस संयुक्त प्रयास से मुकदमें निपटाये गये हैं। यह वालियण्टरी और राजीनामे के जरिये प्रयास किया गया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट– 2 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### खाद्यानों की खरीद

1. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1-1-1988 से केन्द्रीय सरकार द्वारा किस-किस खाद्यान्न के समर्थन मूल्य कब-कब और कितने-कितने निर्धारित किये हैं ?

(2) इन खाद्यान्नों की राज्य में खरीद के लिये क्या व्यवस्था की गयी और अब तक कितने-कितने मूल्य का कितना-कितना कौन-कौन सा खाद्यान्न खरीदा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1988–89 व 1989-90 के खरीफ जिन्सों तथा 1988-89 रबी जिनका विवरण 1989-90 सत्र में किया जाना है, के समर्थन मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित हैं :—

(रु./क्विन्टल)

| फसल | फसल वर्ष | विपणन वर्ष | समर्थन मूल्य |
|---|---|---|---|
| धान | 1988-89 | 1988-89 | 160.00 |
| | 1989-90 | 1989-90 | 175.00 |
| | | | सामान्य |
| ज्वार | 1988-89 | 1988-89 | 145.00 |
| बाजरा मक्का | 1989-90 | 1989-90 | 155-00 |
| गेहूं | 1988-89 | 1989-90 | 183.00 |
| जौ | 1988-89 | 1989-90 | 145.00 |
| अरहर | 1988-89 | 1988-89 | 360.00 |
| मूंग उड़द | 1989-90 | 1989-90 | 400.00 |
| चना | 1988-89 | 1989-90 | 325.00 |

वर्ष 1988-89

समर्थन मूल्यों की घोषणा कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनके तार क्रमांक 13/1/88-एफ ई एस.ई.एस दि. 5/5/88 से धान की, तार क्रमांक 13–/4/88-एम ई एस-ई एस दिनांक 13/11/87 से गेहूं की, जौ व चना की, क्रमांक एल-15017-2/88 एम. पी. एस. दिनांक 28.5.88 से ज्वार बाजरा व मक्का की तथा पत्र क्रमांक एल.–15017/2/88-एम. पी. एस. दि० 28.5.88 से अरहर, उड़द व मूंग के लिए वर्ष 1988-89 हेतु की गई है।

वर्ष 1989-90

भारत सरकार के तार क्रमांक 13/2/89

260



(कृषि मंत्री)

एफ. ई. एस.-ई. एस. दिनांक 29.5.89 से धान, ज्वार बाजरा, रागी व दालें मूंग, उड़द व अरहर का समर्थन मुल्य वर्ष 1989-90 वर्ष के लिये घोषित किया गया है।

(2) राज्य में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद भारतीय खाद्य निगम एवं इसकी सब एजेन्सी राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम तथा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के द्वारा की जाती रही है। इसके लिये वर्ष 1988-89 में 144 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये तथा वर्ष 1989-90 में 133 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 1988-89 में गेहूं की कोई खरीद नहीं हो पाई, वर्ष 1989-90 में अब तक 105685 मै. टन गेहूं की खरीद हो चुकी है।

वर्ष 1988-89 में ज्वार, बाजरा, मक्का की खरीद की व्यवस्था नेफेड की सब एजेन्सी राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के माध्यम से 11478 मै0 टन बाजरा, 55 मै0 टन मक्का और 221 मै. टन ज्वार की खरीद की गई है। धान, अरहर, मूंग, उड़द व चना की समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा खरीद नहीं की गई है।

वर्ष 1988-89 में बाजरा लगभग 166 लाख रू0 राशि का, मक्का लगभग 0.79 लाख रू0 राशि का एवं ज्वार लगभग 3.20 लाख रू0 राशि का क्रय वर्ष 1988-89 में धान व दालें समर्थन मूल्य पर क्रय नहीं की गयी। वर्ष 1989-90 में गेहूं अब तक लगभग 1934.0 लाख रू0 का क्रय किया गया।

अतारांकित प्रश्न संख्या-2

(स्थगित)

**ग्रामों का विद्युतीकरण**

3. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, एवं कितने प्रतिशत गांव शेष हैं?

(2) विद्युतीकृत गांवों का जिलेवार कितना-कितना प्रतिशत है? विवरण सदन सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1988-89 में कितने गांवों में कितने विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था एवं कितने कनेक्शन कब तक दे दिये गये थे?

**उत्तर**

(1) राज्य में 1981 की जनगणना पुस्तिकानुसार माह मार्च, 1989 तक 67.38 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं 32.62 प्रतिशत गांवविद्युतिकृत होने शेष हैं।

(2) विद्युतिकृत गावों का जिलेवार विद्युतिकरण प्रतिशत का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 1988-89 में 17000 कृषि कनेक्शन विभिन्न ग्रामों में जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके सापेक्ष 31 मार्च, 1989 तक 19585 कृषि कनेक्शन दे दिये गये थे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

**भरतपुर क्षेत्र के विद्युत् उपभोक्ताओं के खराब मीटर**

4. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कैटेगरीवाइज कुल कितने-कितने विद्युत् उपभोक्ता है ? संख्या सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त उपभोक्ताओं में से कैटेगिरीवाइज भरतपुर क्षेत्र के कितने-कितने उपभोक्ताओं के मीटर कब से खराब हैं ? वह क्यों नहीं बदले गये ? कारण तथा खराबी निवारण सहित संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भरतपुर क्षेत्र के कितने–कितने खराब मीटर लेबोरेटरी तथा उपखण्डों में पड़े हैं ? सिंगल फेज व थ्री फेज खराब मीटरों की स्थिति सदन की मेज पर रखें। सरकार स्वयं इनको कब तक ठीक कराने की मंशा रखती है ?

(4) खराब मीटरों की वजह से भरतपुर क्षेत्र के कितने-कितने उपभोक्ताओं से सिर्फ मिनिमम चार्ज लिया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान में 31 मार्च, 1988 तक (उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) कुल उपभोक्ता 23,86,298 थे जिनका कैटेगरीवाइज विवरण नियमानुसार है :

| क्रमांक | उपभोक्ता केटेगरी | उपभोक्ताओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | घरेलू | 16,14,003 |
| 2. | अ-घरेलू | 3,72,464 |
| 3. | औद्योगिक | |
| | लघु | 77,200 |
| | मध्यम | 4,981 |
| | बड़े | 580 |
| 4. | सार्वजनिक प्रकाश | 5,410 |
| 5. | कृषि | 2,98,127 |
| 6. | सार्वजनिक जल प्रदाय | 10,181 |
| 7. | अन्य | 3,352 |
| | | 23,86,298 |

(2) भरतपुर क्षेत्र में 31.3.89 तक लगभग 68,517 उपभोक्ता हैं। इनमें से 6,676 उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं। केटेगरीवाइज विवरण निम्नानुसार है :–

| क्रमांक उपभोक्ता केटेगरी | उपभोक्ताओं की संख्या | खराब की संख्या |
|---|---|---|
| 1–घरेलू | 44,990 | 2,568 |
| 2–अघरेलू | 11,788 | 1,065 |
| 3–औद्योगिक | 3,044 | 281 |
| 4–सार्वजनिक प्रकाश | 153 | 7 |
| 5–कृषि | 8,266 | 2,755 |
| 6–सार्वजनिक जलप्रदाय | 260 | — |
| 7–अन्य | 16 | — |
| कुल | 68,517 | 6,676 |

उक्त खराब मीटरों की संख्या सामान्यतः एक वर्ष तक की अवधि के है जिनको बदलने की कार्यवाही निरन्तर उपलब्धता के अनुसार पूरे वर्ष जारी रहती है व हर वर्ष लगभग इतने ही मीटर खराब हो जाते हैं।

28



(उर्जा मंत्री)

(3) वर्तमान में भरतपुर जिले के सिंगल फेज व थ्री फेज के खराब मीटर जो प्रयोगशाला व उपखण्डों में पड़े हैं उनका विवरण निम्नानुसार है :—

| मीटर का प्रकार | प्रयोगशाला में | उपखण्डों में |
|---|---|---|
| सिंगल फेज | 536 | 915 |
| थ्री फेज | 78 | 554 |

खराब मीटरों को सुधारने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है।

(4) जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब है उनसे मण्डल नियमानुसार मिनिमम/औसत चार्ज, मीटर बदले जाने तक वसूला जा रहा है व खराब मीटरों को उपलब्धता के अनुसार रिपेयर्ड मीटर/नये मीटर/लगाकर बदला जा रहा है।

**कुचामन व नावां क्षेत्र के सहायक अभियन्ता विद्युत कार्यालय**

5. **श्री हरीश कुमावत** (नावां) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुचामन सहायक अभियन्ता ओ. एण्ड एम. कार्यालय में श्री सीताराम, कनिष्ठ अभियन्ता का स्थानान्तरण 132 के. वी. जी. एस. एस. राजीयासर, जिला गंगानगर में दिनांक 14-3-1989 को किया गया था तथा उन्होंने वहां ड्यूटी जोइन नें कर उसकी अनुपालना नहीं की जबकि कुचामन से उन्हें रिलीव कर दिया गया था ? क्या उसके बावजूद दो माह बाद ही दि० 4-5-1989 को पुनः उनका स्थानान्तरण कुचामन में ही कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों जबकि 10 वर्षों से वे कुचामन में ही लगे हुए हैं व उनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें भी हैं ?

(2) क्या उक्त कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें मुख्य मन्त्री, राज्य मन्त्री, अध्यक्ष विद्युत मण्डल, निदेशक, सतर्कता विभाग, विद्युत मण्डल एवं मुख्य अभियन्ता ओ. एण्ड एम. को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई और दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) माह मार्च, 1989 को कुचामन व नावां सहायक अभियन्ता कार्यालय में सर्विस लाइन वन पोल स्कीम में कितने-कितने कनेक्शन्स किन-किन व्यक्तियों को दिये गये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्णित भाग (3) में माह मार्च 1989 में जिन लोगों को कनेक्शन हुए उनको डिमान्ड नोटिस जारी होने की तारीख, जोब ऑर्डर जारी होने की तारीख व कनेक्शन होने की तारीख क्या-क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्णित भाग (3) में माह मार्च, 1989 में जिन लोगों के कनेक्शन हुए उन कुओं पर पहले से अर्थात माह फरवरी, 1989 तक किन-किन लोगों के किस किस्म का व किस नाम से कनेक्शन था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, श्री सीताराम, कनिष्ठ अभियन्ता का स्थानान्तरण 132 के.वी.जी.एस.एस. रजियासर पर किया गया था लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने वहां ज्योइन नहीं किया। उनका स्थानान्तरण निरस्त कर पुनः कुचामन प्रशासनिक हित में स्थानान्तरण किया गया है। इनके विरुद्ध कुछ शिकायतें मुख्य अभियंता (परिचालन एवं संधारण) के कार्यालय में प्राप्त हुई है।

(2) जी हां, शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर विभागीय जांच की जा रही है। जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने से पूर्व इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी सम्भव नहीं हैं।

(3) माह मार्च, 1989 में कुचामन एवं नावां सहायक अभियन्ता कार्यालयों के अधीन एक पोल के क्रमशः 64 एवं 21 कनेक्शन दिये गए हैं। दिए गए कनेक्शनों की ग्रामवार व नाम सहित सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) माह मार्च, 1989 में जिन आवेदकों को कनेक्शन दिए गए उनका डिमाण्ड नोटिश जारी होने, जोब आर्डर जारी होने एवं कनेक्शन देने की तिथियों का विवरण भी उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया गया है।

(5) माह मार्च, 1989 में जिन आवेदकों को एक पोल/सर्विस लाइन स्कीम में कनेक्शन दिए गए थे उनमें उन्हीं कुओं पर जिस जिस नाम से व जिस-जिस श्रेणी के कनेक्शन दिए हुए थे उनकी सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**बाड़मेर जिले में ग्रीन कार्ड योजना**

6. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा): क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड योजना लागू करने के बाद से अब तक कितने लोगों को ग्रीन कार्ड जारी किये गये हैं? गांव अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन ग्रीन कार्ड धारकों को राज्य सरकार की घोषित नीति अनुसार सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं में लाभान्वित करने में प्राथमिकता दी जाती है? यदि हां, तो अब तक कितने धारकों को किस प्रकार लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड योजना लागू होने से 31-3-89 तक 923 लोगों को ग्रीन कार्ड जारी किये गये। गांव अनुसार ग्रीनकार्ड धारकों की सूची संलग्न है।

(2) ग्रीन कार्ड धारकों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(27) चि. स्वा./3/83 दिनांक 31-12-85)

(परिवार कल्याण राज्य मंत्री)

(प्रतिलिपि संलग्न है) में अंकित सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रीन कार्ड धारकों को सुविधायें देने की घोषणाओं की पालना के सम्बन्ध में लगभग सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं। लाभार्थियों का विवरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित नहीं किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**बालोतरा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र**

7. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में किन-किन जिलों में कहां-कहां औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बालोतरा औद्योगिक कस्बे में उक्त केन्द्र की स्थापना का मामला राज्य सरकार के पास कब से विचाराधीन है ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) अब कब तक यह व्यवस्था हो जायेगी ?

**उत्तर**

(1) वर्तमान में राज्य में जिन-जिन स्थानों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) राज्य सरकार ने राज्य में 68 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न स्थानों पर खोलने का लक्ष्य निधारित किया हुआ है, जिसमें बालोतरा भी शामिल है। वित्तीय कठिनाई के कारण एक साथ लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। वर्तमान में 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं।

(3) वित्तीय साधन उपलब्ध होने के साथ-साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

**सीकर जिले में कुओं पर विद्युत कनेक्शन**

8. **श्री केशरदेव महरड़ा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में गत वर्ष विद्युत मण्डल ने कितने कृषि कुओं को कनेक्शन किये हैं ?

(2) क्या कृषि कुआ कनेक्शन पंचायत समितिवार दिये जाते हैं ?

(3) गत चार वर्षों में लक्ष्मणगढ़ (सीकर) तेहपुर एवं धोद पंचायत समितियों के किन-किन ग्रामों के किन-किन कृषकों को कृषि कुआ कनेक्शन दिये गये हैं तथा किस मानदण्ड से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केशरदेव महरड़ा)

(4) पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में वर्ष 1989-90 में कितने कृषि कनेक्शन दिये जाने हैं ? अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए कितने कृषि कुओं पर कनेक्शन रखे गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में गत वर्ष (1988-89) में 133 कृषि कुओं के कनेक्शन किये गए हैं।

(2) जी हां, कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य पंचायत समितिवार आवंटन कर विद्युतिकृत ग्रामों मे लक्ष्यों के आधार पर कनेक्शन दिये जाते हैं।

(3) गत चार वर्षों (1985-86 से 1988-89 तक) में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर एवं धोद में पंचायत समितिवार लक्ष्यों के आवंटन के आधार पर कृषि कनेक्शन के आवेदकों को ग्रामवार लक्ष्यों के अनुसार तथा समय-समय पर राज्य सरकार/मण्डल द्वारा जारी वरीयता मानदण्डों के अनुसार कनेक्शन दिये गये हैं। पंचायत समितिवार जिन कृषकों को कृषि कनेक्शन दिये गये हैं उनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(4) वर्ष 1989-90 के कृषि कुओं का कनेक्शन देने का कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं हुआ है। अतः इस बारे में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य का ओवर ड्राफ्ट

9. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : एवं सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक जनवरी, 1988 से लेकर अब तक निर्धारित सीमा से अधिक राज्य का कितना-कितना ओवर ड्राफ्ट कब-कब कितने-कितने समय के लिए रहा ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्धारित सीमा से अधिक ओवर ड्राफ्ट होने के कारण क्या हैं और इसका समायोजन किस प्रकार किया गया।

उत्तर

(1) ओवर ड्राफ्ट की धन राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(2) निर्धारित सीमा नहीं होने के कारण प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या—10
(स्थगित)

उदयपुर–मादड़ी बस सेवा

11. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) मादड़ी पंचायत समिति, झाड़ोल जिला उदयपुर में वर्तमान में उदयपुर से मादड़ी कौनसी निजी बसें किस-किस नंबर की कब-कब चलती हैं ? इनका उदयपुर से मादड़ी क्रमशः प्रस्थान एवं आगमन का समय क्या है ?

(श्री कुबेरसिंह)

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में इस मार्ग पर चार निजी बसों को विभाग ने परमिट दे रखा था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वर्तमान में मात्र तीन बसों को ही परमिट दे रखा है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रातः उदयपुर से मादड़ी जाने हेतु कोई निजी बस उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभाग इस ग्रामीण, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों की जनता की सुविधा हेतु उक्त प्रातः कालीन बस प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उदयपुर से झाड़ोल वाया उबेस्वर वाली बस जो रात्रि झाड़ोल में रुकती है उसके मार्ग को मादड़ी तक करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त मार्ग पर निजी बस सेवा बन्द कर निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर चार बसों की परमिट स्वीकृत हैं जिनके पंजीयन नम्बर निम्न प्रकार हैं—

1. आर आर जे 5041
2. आर पी जे 3031
3. आर जे वाई 4793
4. आर एस जे 5841

समय सारणी बसों के पंजीयन नम्बर के आधार पर नहीं बल्कि मार्ग पर स्वीकृत परमिटों की संख्या के अनुसार निर्धारित की जाती है। बसों के उदयपुर से मादड़ी क्रमशः प्रस्थान एवं आगमन का समय निम्न प्रकार है :—

| उदयपुर प्रस्थान | मादड़ी पहुँच | मादड़ी प्रस्थान | उदयपुर पहुँच |
|---|---|---|---|
| 10.30 | 13.45 | 4.45 प्रातः | 8.00 |
| 14.00 | 17.15 | 6.45 | 10.00 |
| 16.30 | 19.45 | 8.30 | 11-45 |
| 18.00 | 21.15 | 14.00 | 17.15 |

(2) जून 1986 से पूर्व इस मार्ग पर दो परमिट स्वीकृत थे, किन्तु जून 1986 से 4 परमिट स्वीकृत हैं।

(3) जी हां। एक बस की प्रातः कालीन सेवा उपलब्ध है।

(4) जी हां। मार्ग का सर्वेक्षण करा कर उसे मादड़ी तक वृद्धिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं। साधनाभाव के कारण निगम वर्तमान में केवल विद्यमान राष्ट्रीकृत मार्गों के संचालन के ही सुदृढीकरण हेतु प्रयत्नशील है।

अतारांकित प्रश्न संख्या–12
(स्थगित)

**राजकीय मोटर गैराज, जयपुर में वाहनों की नीलामी**

13. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या मोटर गैरेज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर में राजकीय मोटर गैरेज से वाहनों की नीलामी की गई ?

(2) कौन-कौन से वाहनों को कब-कब किन-किन कारणों से कितने-कितने में किन किन को बेचा गया। सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 में हुई निलामियों में बेचे गये वाहनों की सूचियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**पचपदरा में यातायात व्यवस्था**

14. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ऐसे कितने गांव हैं जहां अभी तक यातायात व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब कब तक आवश्यकता के सन्दर्भ में समुचित व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ऐसे 67 गांव हैं जिनमें परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे गांवों की सूची संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। मार्ग पर रेत के टीले होने के कारण सर्वेक्षण नहीं हो सका।

(3) रास्ता वाहन संचालन योग्य होने पर ही यह व्यवस्था की जा सकती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

**प्रशासन में मितव्ययता**

15. **श्री हरिश्चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने प्रशासन में मितव्ययता बरतने एवं खर्च पर अंकुश लगाने के लिये आयोजना एवं गैर-आयोजना व्यय में कटौती करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब और अब तक किस-किस विभाग में किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी मितव्ययता हुई है ?

(2) क्या आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत जो योजनाएं प्रारम्भ नहीं हुई, उनको भी स्थगित किया गया है ? यदि हां तो ऐसी कितनी योजनाएं स्थगित की गई तथा इससे कितनी राशि की बचत हुई ?

उत्तर

(1) मितव्ययता बरतने के लिए पदों के सृजन एवं सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों पर चालू वित्तीय वर्ष में प्रतिबन्ध लगाया हुआ है जो फिलहाल 30-6-89 तक है। साथ ही गैर आयोजना व्यय में 5 प्रतिशत कटौती का सामान्य (जनरल) निर्णय लिया गया है। विभागों को कटौती करके पुनः बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन लेखानुदान होने के कारण विधान सभा द्वारा पूर्ण बजट पारित होने तक नवीन सेवाओं पर व्यय नहीं किया जा सकता।

**पथ परिवहन निगम में आरक्षित पद**

16. **श्री केशरदेव महरड़ा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अधिकारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रोस्टर के अनुसार आरक्षित पदों का कोटा पूरा नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पदोन्नति के समय जोन आफ कन्सीडरेशन का ध्यान नहीं रखा जाकर बैकलॉग समाप्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और कितने पदों को समाप्त मान लिया गया है ?

(4) केन्द्रीय सरकार की नयी नीति के अनुसार आरक्षित रिक्त पड़े पदों को कब तक नियुक्ति देकर भरने का राज्य सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के कुल एस.सी. 10 एवं एस. टी के 4 अधिकारी कार्यरत हैं। नामवार सूची संलग्न है।

(2) योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित पदों का कोटा पूरा नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार रिक्त पदों को अग्रेषित कर दिया जाता है।

(3) यह सही नहीं है कि पदोन्नति के समय जोन आफ कन्सीडरेशन का ध्यान नहीं रखा जाकर बैकलॉग समाप्त कर दिया जाता है। योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित पदों को अग्रिम तीन वर्ष तक अग्रेषित किया जाता है। अभी पदों को समाप्त नहीं माना गया है। उपयुक्त उम्मीदवार मिलने पर पद भरे जायेंगे।

(4) रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

## भरतपुर जिले में भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

17. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम चतुर्थ फेज के तहत भरतपुर जिले में कितने कार्य प्रस्तावित हैं और उन कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई या नहीं ?

(2) यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(3) इन कार्यों से कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

### उत्तर

(1) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के चतुर्थ फेज के तहत केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग के 13 सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित एवं स्वीकृत किये गये एवं इनकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी हैं ।

(2) स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं ।

(3) इन कार्यों से 3.51 लाख मानव दिवस सृजित किये जाने का प्रस्ताव है । पर अब इस वर्ष यह योजना समाप्त हो चुकी है । इन कार्यों में से जो कार्य गत वर्ष तक प्रारम्भ हो चुके थे वे इस वर्ष अधूरे रहे, उनमें से कार्यों को छांटकर पूर्ण कराने का दायित्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का है जो जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत जिला स्तर पर रोकी जाने वाली कुल प्रावधान की 20 प्रतिशत राशि में से जिस प्रकार उचित समझेगा, राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए निर्धारित करके चुनी हुई अधूरी सड़कों को पूरा करावेगा ।

## राज्य के राजकीय उपक्रम

18. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने राजकीय उपक्रम हैं ?

(2) किस-किस का पूंजी विनियोजन क्या-क्या है ?

### उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो, राजस्थान, के अधीन राजस्थान में कुल 40 राजकीय उपक्रम हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है ।

(2) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधीन उक्त 40 उपक्रमों में से 39 उपक्रमों की वर्ष 1987-88 के अन्त में, इनके अंकेक्षित अथवा प्रोविजल लेखों/सूचनाओं के अनुसार पूंजी विनियोजन की स्थिति

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार है। एक उपक्रम राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में वाणिज्यिक लेखे तैयार नहीं किये जाते हैं। अतः इसकी स्थिति उक्त परिशिष्ट में नहीं दर्शाई गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**विद्यालय खोलने के मानदण्ड**

19. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सीनियर/उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

राज्य में विद्यालय खोलने अथवा क्रमोन्नत करते समय स्थानीय मांग विद्यालय की छात्र-संख्या, फीडर स्कूलों की स्थिति, भवन व्यवस्था, गांव की जनसंख्या तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार बनाया जाता है।

**ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना**

20. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना लागू किये जाने के बाद से कितने प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाये तथा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी गयी तथा कितना-कितना लक्ष्य था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

**राज्य के मिडवे**

21. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में कहां-कहां मिडवे हैं ? उनसे विभाग को कहां-कहां कितनी-कितनी हानि किस-किस मिडवे से हुई ? नुकसानदे मिडवे चालू रखने के क्या कारण हैं ? भविष्य में और अधिक नुकसान न हो इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही विभाग करने जा रहा है ?

(2) राज्य के औद्योगिक नगर कोटा को जाने वाले पर्यटकों की सुख सुविधा खाने पीने हेतु क्या विभाग मिडवे बनाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो मिडवे कब तक बना दिया जायेगा।

**उत्तर**

(1) वर्तमान में बहरोड, महुआ, रतनपुर, रतनगढ़, ब्बर, गुलाबपुरा, एवं पोकरण में मिडवे कार्यरत हैं। इनमें से केवल रतनगढ़ मिडवे से वर्ष 1988-89 में 45 हजार रुपये की कार्यकारी हानि हुई है। जिसे जनहित एवं यात्रियों की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए बन्द करना उचित नहीं हैं, व इसमें मुनाफे के उपाय जारी हैं। लम्बी दूरियों पर यात्रा करने वाले पर्यटको को सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कभी-कभी हानि वाली इकाई को भी चालू रखना पड़ता है।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(2) कोटा आने वाले पर्यटकों की सुख-सुविधा हेतु देवलों में मिडवे बनाने की योजना है, जिसके प्रस्ताव भारत सरकार को वित्तीय स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही मिडवे निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त टोंक में एक कैफेटेरिया के निर्माण प्रस्ताव भी भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

(अतारांकित प्रश्न सं. 22 स्थगित)

**प्रसारण लाइनों का रख रखाव**

23. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 11 के. वी., 33 के. वी., 132 के. वी, व 220 के. वी. प्रसारण लाइन एवं 33/11 सब स्टेशनों, 132 के.वी. जी. एस. एस. एवं 220 के.वी. जी. एस. एस. के रख रखाव के क्या-क्या शैड्यूल हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन रख-रखाव शैड्यूलों की कड़ाई से पालना की जा रही है ? इन शैड्यूलों की अनुपालना नहीं होने के कारण किन-किन अधिकारियों को गत 5 वर्ष में दोषी पाया गया है ?

(3) यदि अधिकारी दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) 11 के.वी., 33 के.वी., 132 के. वी. व 220 के. वी. प्रसारण लाइन एवं 33/11 सब स्टेशनों, 132 के. वी. जी. एस. एस. एवं 220 के. वी. जी. एस. एस. के रख रखाव सम्बन्धित विद्युत मण्डल के मान्य शिड्यूलों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सामान्यतः उक्त लाइनों एवं सब स्टेशनों का रख रखाव मण्डल के मान्य शिड्यूलों के अन्तर्गत ही रख रखाव सम्बन्धित सामग्री व स्टाफ की उपलब्धि के अनुसार की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन शिड्यूलों की अनुपालना नहीं होने के कारण गत 5 वर्षों में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया।

(3) चूंकि कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(शिड्यूलों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**माडा प्रवर्तक योजनाओं का क्रियान्वयन**

24. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माडा प्रवर्तक योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत समिति के मार्फत किया जाता है ? यदि हां तो भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर एवं मांडलगढ पंचायत समिति ने 1980–81 से 1988–89 के लिये कितनी–कितनी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राशि किस–किस प्रयोजन से आंवटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन-जिन कार्यों हेतु 1981-82 से 1988–89 के बीच राशि आंवटन हुई थी वह काम हो गया है ? यदि हां तो उसका पूरा विवरण तथा बचत किस–किस मद में कितनी-कितनी हुई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जितनी राशि दी गई उनकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा हिसाब प्रस्तुत हो गये हैं। यदि हां तो कौन-कौन से प्रस्तुत हुये और कौन-कौन से शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या माडा योजना के 1981 से 1989 के बीच भीलवाडा जिले में हुये कार्यों को पंचायतों के मार्फत कराये गये अथवा पंचायत समिति में अथवा ठेकेदार द्वारा कराये गये थे ? प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, माडा योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत समितियों के मार्फत किया जाता है। पंचायत समिति जहाजपुर एवं मांडलगढ में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1988-89 तक के लिए परिशिष्ट-1 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों हेतु राशि आवंटित की गई।

(2) जी हां, वर्ष 1981–82 से 1988–89 के बीच जिन–जिन कार्यों हेतु राशि आवंटित की गई थी तथा उसके उपयोग व बचत राशि का ब्यौरा परिशिष्ट-2 में अंकित है।

(3) जी हां, पंचायत समितियों द्वारा उपयोग की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं व इसका समायोजन भी कर लिया गया है तथा जो शेष है उनका ब्यौरा परिशिष्ट-2 पर अंकित है।

(4) जी हां, माडा योजना अन्तर्गत 1980–81 से 1989 के बीच जो-जो कार्य कराये गये उनका ब्यौरा पंचायत समिति वार निम्नानुसार है :

1. पंचायत समिति मांडलगढ में समस्त निर्माण कार्य पंचायत समिति व पंचायतों के माध्यम से कराये गये।

2. पंचायत समिति जहाजपुर में निम्न प्रकार से पंचायत समिति, पंचायत व ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का ब्यौरा परिशिष्ट-3 पर अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

### ग्राम टोकी (लाडनूं) के आम रास्ते पर अतिक्रमण

25. **श्री हरजीराम बुरड़क** : (लाडनूं) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल में सम्पन्न हुई प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत ग्राम भरनावा तहसील लाडनूं जिला नागौर में ग्राम टोकी की जनता द्वारा एक कटाण के आम रास्ते के अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खोलने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या इस प्रार्थना-पत्र पर मौका देखा गया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की

(श्री हरजीराम बुरड़क)

गयी ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? मौका मुआयना रिपोर्ट की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम टोंकी की जनता द्वारा एक कटाणी के ग्राम रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था उस पर नायब तहसीलदार, लाडनूं द्वारा मौके पर ही भू-अभिलेख निरीक्षक निम्बीजोधा को शीघ्र मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये एवं उनकी मदद के लिये पटवारी हल्का भरनावा, ढींगसरी व निम्बीजोधा को लगाये गये।

(2) भू-अभिलेख निरीक्षक निम्बीजोधा ने दिनांक 20/6/89 को मौका मुआवना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम टोंकी के भाखरानाडी तक के ग्राम रास्ते में किये गये अतिक्रमण का विवरण बताया गया है। जिसके अनुसार ख. नं. 129/181, 129/182, 129/179, 126 व 129/180 पर अतिक्रमण होना पाया गया जो राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन गोवा व रास्ता कटाणी दर्ज है। अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 आर एल. आर. एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किये जाकर नोटिस जारी कर दिये गये हैं। जिनकी सुनवाई की पेशी 30/6/89 रखी गई है। मौके की की रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

(सूची अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## कोटा जिले के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवा

26. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मंडी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ?

(2) क्या राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसें चलाई जा रही हैं ? उनमें से कितने मार्ग बन्द हैं ?

(3) बन्द राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कब तक बस सेवायें प्रारम्भ कर दी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्या इन मार्गों को खुला किये जाने का विचार राज्य सरकार रखती है।

**उत्तर**

(1) कोटा जिले में अब तक कुल 23 मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

(2) जी हां। कोई भी राष्ट्रीयकृत मार्ग पूरा का पूरा बन्द नहीं है, कोटा से कोटडादीपसिंह वाया बुढादीत राष्ट्रीयकृत मार्ग का बुढादीत से कोटडादीप सिंह तक का 6 कि. मी. का भाग संचालन योग्य न होने के कारण निगम द्वारा इस मार्ग के उक्त भाग पर वाहन संचालन नहीं किया जा रहा है।

(3) बूढ़ादीत से कोटडादीपसिंह तक का 6 कि. मी. मार्ग ठीक होते ही वाहनों का संचालन कोटडादीप सिंह तक का प्रारम्भ कर दिया जावेगा। अतः किसी राष्ट्रीयकृत मार्ग को खुला किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

**बारां कालेज में पी. जी. कक्षाएं**

27. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां कॉलेज मे स्नातकोत्तर कक्षाऐं खोलने की मांग पिछले वर्षों से चली आ रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) अब इस कॉलेज में कब तक पी. जी. कक्षाऐं खोले जाने की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां, यह सही है कि बारां कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाऐं खोलने की मांग फरवरी, 87 में आयी थी।

(2) इस वर्ष बजट में 10 नये विषय खोलने का प्रावधान रखा गया है। अतः राज्य सरकार इस पर अन्य महाविद्यालयों के प्रस्तावों के साथ विचार कर गुण-अवगुण के आधार पर कोई निर्णय लेगी।

**अग्निकाण्ड से क्षति की पूर्ति**

28. **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब ग्रामीण परिवारों की झोपड़ियों तथा उसमें रखे सामान की अग्निकाण्ड से होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु झोपडी बीमा योजना लागू की है। यदि हां, तो कब से कहां-कहां लागू की गई ?

(2) इस योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए कितनी राशि किस रूप में तथा किस आधार पर दी जाती है ?

(3) इस योजना के लागू होने के बाद किस-किस जिले में कितनी घटनाओं पर कितने लोगों को कितनी-कितनी राहत प्रदान की गई ?

**उत्तर**

(1) जी हां, यह योजना राज्य के सभी जिलों में दिनांक 1/5/88 से लागू की गई है।

(2) इस योजना में नियुक्त दावा जांच एवं निपटारा अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे गरीब परिवार जिनकी कुल वार्षिक आय 4,800/-रू. से अधिक नहीं हो, उनकी झोपडी की अग्नि से हुये नुकसान का आंकलन कर झोपडी को हुये नुकसान के पेटे 1,000 रू. की अधिकतम सीमा तक और उसमें रखे सामान के पेटे 500 रू. तक सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। जिसका भुगतान ओरियन्टल बीमा कम्पनी द्वारा सीधे प्रभावित परिवार को चैक/मनी आर्डर द्वारा किया जाता है। यदि प्रभावित परिवार को राज्य सरकार द्वारा कोई तत्काल सहायता राशि प्रदान कर दी गई है तो उसे कम कर बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाता है।

(3) योजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक अग्नि की घटना से गरीब परिवार की झोपड़ियों को हुये नुकसान के पेटे का राहत

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

की संख्या एवं राशि सहित जिलेवार विवरण संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या-29 (स्थगित)

**अनाधिकृत वाहनों से निगम को होने वाली हानि**

30. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंजमण्डी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यातायात विभाग द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान में कितने वाहन अनाधिकृत रूप से सवारियां लाते ले जाते हैं और उसके कारण करों की चोरी होती है और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हानि होती है ?

(2) इस अवैध कार्यवाही को रोकने के लिये यातायात विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है तथापि यह कहा जा सकता है कि अनाधिकृत वाहनों के चलने से कर की चोरी होती है और साथ ही निगम को भी हानि होती है।

(2) अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए सितम्बर, 1988 से पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त चैकिंग दलों का गठन किया गया है। सितम्बर, 1988 से अप्रेल 1989 तक इन चैकिंग दलों द्वारा 19496 चालान बनाये जाकर 121.29 लाख रू. जुर्माने की राशि वसूल की गई है।

**दलीय स्थिति**

**जनता दल के पदाधिकारी**

**श्री अध्यक्ष** : जनता दल के निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आठवीं राजस्थान विधान सभा में जनता दल विधायक दल को दल के रुप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। जनता दल ने अपने पदाधिकारियों के मनोनयन की सूचना दी है जो निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| श्री कल्याणसिंह कालवी | नेता |
| श्री महेन्द्र शास्त्री | उप नेता |
| श्री यदुनाथ सिंह | सचेतक |
| श्री भगराज चौधरी | सचिव |
| श्री सम्पतसिंह | सचिव |

**सदस्य का त्याग पत्र**

**श्री हरिदेव जोशी का विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र**

**त्याग पत्र की सूचना**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री हरिदेव जोशी, जो आठवीं राजस्थान विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा से निर्वाचित हुए हैं, ने राजस्थान विधान सभा की सद-

(श्री अध्यक्ष)

स्यता से दिनांक 9 मई, 89 को त्यागपत्र दे दिया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है।

मेंज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय सचिव।

**सदन पटल पर रखे गये पत्रादि**

**विधेयकों का विवरण**

**राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक**

**सचिव, राजस्थान विधान सभा :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

1. राजस्थान भूमि एवं भवन-कर (संशोधन) विधेयक, 1989

2. राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989

3. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989

4 राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1989

5. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1989

6. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1989

7. राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) विधेयक, 1989

**श्री अध्यक्ष :** श्री बुलाकीदास कल्ला।

**अध्यादेश**

**राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1989**

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 3) सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(2) के अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, (1989 का अध्यादेश संख्या 3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**अध्यादेश जारी करने का राज्य सरकार का अधिकार**

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर। मुझे इस पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में इस सदन में इस सवाल पर काफी लम्बी चौड़ी बहस हुई थी ···

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र पर यहां कोई भी····

**श्री अध्यक्ष :** नियमों में आब्जेक्शन हो तो··· (व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** मेरी बात सुनिये। नियम मैं बता रहा हूं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आपत्ति नहीं की जा सकती, अध्यक्ष महोदय।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : हिन्दुस्तान में लगभग सभी हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में और हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में इस बात की भर्त्सना की है कि यह ऑर्डिनेन्स, जो कांस्टीट्यूशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाना चाहिये, उनको रुटीन की तरह से सरकार को जारी नहीं करना चाहिये। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर राजस्थान विधान सभा पर नहीं है? क्या राजस्थान सरकार उनको मानने के लिये बाध्य नहीं है? क्यों इस प्रकार से आर्डिनेन्स जारी करने के बाद हम लोगों को परिनियत संकल्प रखना पड़ता है और उसमें भी यही आपत्ति उठानी पड़ती है कि सरकार ने आर्डिनेन्स जारी करने का एक तरीका ऐसा अपना लिया है जिसमें कांस्टीट्यूशन के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार भी किया है, जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के ज्युरिस्डिशन में है। या तो सरकार यह कह दे कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बाध्य नहीं है, या फिर इस तरह से आर्डिनेन्स जारी करने की प्रथा को समाप्त करे? जब विधान सभा आ रही है उस समय कानून लायें और इस तरह से आर्डिनेन्स जारी नहीं किया जाय, यह मेरी आपत्ति है।

(व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने केवल आपत्ति रखने के लिए आपत्ति रखी है

**श्री अध्यक्ष** : माननीय भाभड़ा जी, मेज पर जिस समय रखा जायगा उस समय आपत्ति नियमों में नहीं

(व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : यह आपको कहा है कि परिनियत संकल्प लाने के लिये आप हमें बाध्य कर रहे हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूं, आप इस विधान सभा के काम को अनावश्यक रूप से बढ़ाने के लये...

**श्री अध्यक्ष** : नियमों में नहीं है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं है?

**श्री अध्यक्ष** : नियमों में जो है वह नहीं रखा है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप यह बताइये, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिये बाध्य नहीं है सरकार? आप यह रूलिंग दे दीजिए कि बाध्य नहीं है, मैं मानूंगा।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : राजस्थान के बारे में निणय नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह आब्जेक्शन का समय नहीं है। (व्यवधान)

**श्री बिरदमल सिंघवी** : विशेष परंपरा थी जब आर्डिनेन्स लाने के लिये रखा था। परन्तु इन्होंने तो आर्डिनेन्स को रेगूलर फीचर बना दिया।

(44)



**श्री अध्यक्ष** : आब्जेक्शन डिस अलाउड । नाट अलाउड ।

**श्री बिरदमल सिंघवी** : आर्डिनेन्स को रेगूलर फीचर बना लिया है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नरपतराम बरबड़ ।

**सदन पटल पर रखे गये पत्रादि**

**अध्यादेश**

**राजस्थान अभिवृति (संशोधन) अध्यादेश, 1989**

**श्री नरपतराम बरबड़** (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 4) सदन की मेज पर रखता हूं ।

**राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1989**

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व ( संशोधन ) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 5) सदन की मेज पर रखता हूं ।

**राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989**

अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 7) सदन की मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(2) के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों अध्यादेशों को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गुलाबसिंह शक्तावत ।

**जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1989**

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** ( स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 6) सदन की मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(2) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

**नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1989**

**श्री राजेन्द्र चौधरी** (देवस्थान राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा मन्दिर ( संशोधन ) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 2) सदन की मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(2) के अन्तर्गत नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

**अधिसूचनाएं**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन वर्मा ।

**श्री रामकिशन वर्मा** (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं, जिनके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुबन्धित बसें कर मुक्त की गई हैं, वह सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना सं. एफ–5/2/परि./89 दिनांक 10-3-1989।

2. अधिसूचना स. एफ-5/5/परि./89 दिनांक 15-4-1989।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती कमला भील।

**श्रीमती कमला भील** (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 14/1/50/मु. बा. अ./स. क. वि./36339 दिनांक 1 अगस्त, 1988 जिसके द्वारा किशोर न्याय (राजस्थान) नियम, 1987 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखती हूं।

**प्रतिवेदन एवं लेखे**

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मुख्यमंत्री

**श्री शिवचरण माथुर** (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

**गंगानगर शुगर मिल्स लि० का वार्षिक प्रतिवेदन, 1986–87**

1. कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 6/9 (ए) के अन्तर्गत दी गंगानगर शुगर मिल्स लि., के वर्ष 1986–87 का वार्षिक प्रतिवेदन, एवं

**राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वित्तीय विवरण, 1988–89**

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय–व्यय का अनुमान) वर्ष 1988–89।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरालाल इन्दौरा

**राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० का 41वां प्रतिवेदन, 1987–88**

**श्री हीरालाल इन्दौरा** (खनिज राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 6/9 (ए) की उपधारा 3 का भाग (ब) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987–88 सदन की मेज पर रखता हूं।

**अधिनियम का परिशोधित पाठ**

**राजस्थान जागीर सम्बन्धी विनिश्चय और कार्यवाहियां (विधि मान्यकरण) अधिनियम, 1955**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रघुनाथ विश्नोई।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राजस्थान जागीर सम्बन्धी विनिश्चय और कार्यवाहियां (विधि मान्यकरण) अधिनियम, 1955 का परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

(46)



## शोकाभिव्यक्ति

**श्री अध्यक्ष :** शोकाभिव्यक्ति, स्व. महारावल साहब ।

**श्री शिवचरण माथुर** (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे बीच में से एक ऐसे व्यक्तित्व और साथी का देहावसान हुआ जिसके सम्बन्ध में हम लोग बहुत चिन्तित हैं और जिनके जाने की पूर्ति सम्भव नहीं है ।

हमारे इस सदन के बहुत ही महत्व-पूर्ण और मूल्यवान विधायक और इस सदन के पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह महारावल साहब का दिनांक 6 जून को देहावसान हो गया ।

महारावल साहब इस सदन में अपनी स्पष्टवादिता, वाक्-पटता और महत्वपूर्ण विषयों पर गम्भीर चिंतन के लिए जाने जाते थे । महारावल साहब जब भी इस सदन में उपस्थित रहते थे, इस सदन की गरिमा को बढ़ाते थे । बहुत लम्बे अर्से से मेरा स्वयं का उनसे बहुत नजदीक का परिचय था और मैं जानता हूं कि वह एक भूतपूर्व राजा होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे । उनके घर पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था । मैंने स्वयं ने देखा है कि जब वह अपने इलाके में जाते थे तो लोग उनको बहुत आदर, श्रद्धा और प्रेम की दृष्टि से देखा करते थे । महारावल साहब का जन्म 7 मार्च, 1908 को ग्राम सेलाना जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) में हुआ । शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर के मेयो कालेज में हुई तथा बाद में वह इगलैण्ड गये जहां उन्होंने पोस्ट डिप्लोमा और प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया । 15 नवम्बर, 1918 को उनका राज्यारोहण हुआ और 16 फरवरी, 1928 को उनको पूरे शासन के अधिकार प्राप्त हुए । 1931 से 1947 तक वह नरेन्द्र मण्डल की स्थाई समिति के सदस्य रहे । वह मेयो कॉलिज की ओर से विशिष्ट सम्मान पदक लॉर्ड ऑफ ऑनर को प्राप्त करने वाले सम्माननीय व्यक्ति भी रहे । साथ ही इगलैण्ड में आप द्वारा जन-कल्याणकारी कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में सी. सी. एस. आई. और 1947 में जी. सी. आई. की उपाधि से अलंकृत किया गया ।

महारावल साहब 1952 से 1958 तक राज्य सभा के सदस्य रहे । 1958 से स्वतन्त्र पार्टी के निर्माण के बाद उसके अध्यक्ष बनाये गये । 1961 से 1972 तक स्वतन्त्र पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे । 1962 में प्रथम बार स्वतन्त्र पार्टी के टिकिट से आसपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से आप राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और विपक्ष के नेता पद पर काम करते रहे । 1967 1972 के चुनावों में आप डूंगरपुर क्षेत्र से पुनः विधायक बने तथा 1977 के चुनावों में जनता पार्टी के टिकिट पर चित्तौड़गढ़ से विधायक चुन लिए गये । जनता पार्टी के शासन काल में महारावल साहब विधान सभा के गरिमामय अध्यक्ष पद पर आसीन हुए तथा 1979 में इस पद से

(श्री शिवचरण माथुर)

उन्होंने त्याग पत्र दिया। 1985 में आप कांग्रेस पार्टी के टिकिट पर विजय-श्री प्राप्त कर पुनः विधायक निर्वाचित हुए। आपने विधान सभा में नेता संयुक्त विधायक दल एवं प्रतिपक्ष के नेता पद पर कार्य किया। 1985-86, 86-87 एवं 87-88 में राजस्थान विधान सभा की नियम समिति के सदस्य भी रहे।

सामाजिक कार्य-कलापों के अन्तर्गत महारावल साहब ने अजमेर के डी. ए. वी. हाई स्कूल की स्थापना में आर्थिक योगदान आदिवासी तथा स्वर्ण छात्रों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी। डूंगरपुर में बाधा सेवा संघ की स्थापना में आर्थिक सहयोग किया। उन्होने अपने जीवन काल में जनता के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम तथा प्रयास किये।

महारावल साहब एक सुयोग्य राजनेता एवं प्रखर वक्ता थे साथ ही राजस्थान के क्रिकेट एसोशिएशन व क्रिकेट क्लब ऑफ इन्डिया के पांच संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। महारावल साहब ने अपने सिद्धांतों व नीतियों के प्रति कभी किसी से समझौता करने की आदत नहीं रखी। आप में विलक्षण प्रतिभा, प्रशासनिक क्षमता, ओजस्वी वाणी, समझबूझ एवं साहस उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। वह लम्बी अवधि से अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले करीब एक साल से हम सब लोग चिंतित थे उनके स्वास्थ्य के बारे में और कुछ दिनों पहले समाचार भी इस प्रकार के आये थे उससे सभी की चिंता बढ़ गई थी।

मैं, अध्यक्ष महोदय, उनके देहावसान के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डूंगरपुर गया था। मैंने देखा कि वहां के लोगों को अपने नेता को खोने में कितना दुःख था, कितनी वेदना थी। लोग लम्बी कतार बनाकर उनके दर्शन करने के लिए वहां पर इकट्ठे थे, घंटों इकट्ठे थे और जब उनका दाह संस्कार करने के लिए शव-यात्रा निकली तो वहां हजारों लोग, आदिवासी वहां पर मौजूद थे। उस क्षेत्र में ही नहीं लेकिन पूरे राजस्थान में एक बहुत ही विचारक, सूझ-बूझ से काम करने वाला व्यक्ति और अपनी बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहने वाला व्यक्ति हमारे बीच में से चला गया। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस क्षति को अपनी क्षति मानते हैं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे बीच में देश का एक बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं रहा। भारत सरकार के संचार मंत्री श्री वीरबहादुरसिंह जी का निधन भी, जब वह पेरिस गये थे, वहां जाकर अचानक बीमार हो गये और वहां ही उनका देहावसान हो गया। वीर बहादुरसिंह जी एक बहुत छोटे परिवार, और गरीब परिवार में पैदा हुए और पैदा होने के बाद में उन्होंने कठिन परिश्रम से लोगों का प्यार जीत करके, प्रेम जीत करके अपने आप

( श्री शिवचरण माथुर )

को एक प्रिय नेता बनाने में सफलता प्राप्त की। उनका जन्म 18 फरवरी, 1935 को गोरखपुर जिले में हरनाही ग्राम में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में वीर बहादुरसिंहजी ने गोरखपुर विश्व विद्यालय से एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1951 में छात्र जीवन काल में उन्होंने छात्र आंदोलन में भाग लेकर संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया। 1954 में जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गये। इसके अतिरिक्त आप अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे। बाद में श्री वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। 1967 में प्रथम बार आप उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए उसके पश्चात् 1969 में मध्यावधि चुनाव में राज्य विधान सभा के सदस्य विजयी घोषित हुए। 1974 तथा 1980 के मध्यावधि चुनाव तथा 1985 के आम चुनावों में भी आप निर्वाचित हुए। 1970 में साझा सरकार में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उप मंत्री के पद को सुशोभित किया। श्री वीरबहादुर सिंहजी, श्री कमला पति त्रिपाठी और श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी की सरकार में भी उपमंत्री की हैसियत से कार्य करते रहे। केबिनेट मंत्री के रूप में आपने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री श्रीपति मिश्रा और श्री नारायण दत्त तिवारीजी सरकारों में भी काम किया दिनांक 24 जून, 1985 को आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद का कार्य भार सम्भाला। श्री नारायण दत्त तिवारी को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाए जाने के पश्चात् आप केन्द्रीय मन्त्री मण्डल में संचार मंत्री के पद पर आए। अपने जीवन काल, में श्री वीर बहादुर सिंह ने सदैव गरीबों और असहायों के लाभ हेतु कार्य किया। पिछले दिनों बहुत नजदीक से वीरबहादुर सिंह जी से परिचय करने का, समझने का, उनकी कार्य प्रणाली को जानने का मुझे मौका मिला। मैंने देखा कि, वह वैसे तो केंद्रीय मंत्रियों के पास बहुत कम लोग मिलने आते हैं। और आते भी हैं तो अपाइन्टमेन्ट लेकर आते हैं, लेकिन वीर बहादुरसिंह जी को मैंने पाया कि उनके यहां उनका दरबार खुला था। कोई भी व्यक्ति बिना अपाइन्टमेन्ट लिये, चाहे जब वहां जा सकता था। सीधे उनकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कोई व्यक्तिगत उनकी समस्याओं से परिचित हों, तो वह बात कहने से पहले पूछा करते थे, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी स्थिति कैसी है? वह सीधे उसकी जानकारी के बारे में पूछते थे जिससे कि आने वाला व्यक्ति महसूस करता था कि वह जिससे मिलने आया है, उससे लगाव रखता है। यहां तक कि वह अपने क्षेत्र के नहीं, बल्कि सारे उत्तर प्रदेश के जितने लोग उनसे मिलने आते थे, उनको बहुत नजदीक से मिलने की चेष्टा करते थे, और उनकी समस्याओं को समझते थे, और सही मायने में वह गरीब, पीड़ित मानव के बहुत ही यशस्वी नेता थे। राजस्थान से उनका बहुत नजदीक का सम्बन्ध बन गया और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी काफी इलाकों में गये और वहां पर भी उन्होंने राजस्थान के लोगों से भी

(श्री शिवचरण माथुर)

अपना परिचय और नजदीक का परिचय प्राप्त करने की कोशिश की। यहां पर भी वह बहुत लोकप्रिय रहे। बहुत कम उम्र में उनका देहावसान हुआ है। मुश्किल से उनकी उम्र 53 साल की थी। जब वे पेरिस जा रहे थे, उसके एक दिन पहले मैं उनसे मिला था और उन्होंने कहा था कि मुझे कभी कभी थकावट हो जाती है। मैं जा तो रहा हूं लेकिन जाकर वहां चेकअप भी कराऊंगा और जब मेरी कांफ्रेंस है, उसके बाद तीन चार दिन वहां पेरिस में किसी अच्छी जगह पर विश्राम भी करूंगा मैंने उनसे कहा कि मैं आपको इस प्रकार से काम करता देखता हूं, इसलिये भी कि आप यूरोप में जा रहे हैं, तो कुछ देर विश्राम भी करके आयें, क्या पता था कि वह वहां जायेंगे और फिर वापस कभी हिन्दुस्तान में सजीव नहीं लौटेंगे जब वह यहां से गये, तो कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि पेरिस में उनको हृदय रोग हो गया है और उसके बाद पक्षाघात हो गया। बहुत प्रयत्नों के बावजूद भारत सरकार ने यहां से कुछ डाक्टर्स को भी भेजा, लेकिन वह ऐसी स्थिति में पहुँच गये थे कि उनको बचाना असम्भव हो गया था। वह हमारे बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी क्षति को न केवल उनके परिवार की क्षति मानता हूं। बल्कि समूचे राज्य की क्षति मानता हूं। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को बहुत प्यारा हो, बहुत कम होता है समाज में। मैं उनके देहावसान पर मेरी ओर से और इस सदन के माननीय सदस्य की ओर से श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। उनके शोक-संतप्त परिवार को ईश्वर इस दुख को सहने की शक्ति दे, इसके लिये प्रार्थना करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे बीच से हमारे सदन के एक माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ शर्मा, जिनका जन्म 25 जुलाई, 1903 को हुआ था उनका भी देहावसान हो गया। श्री शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में आगरा इलाहबाद से बी. एस. सी., व एल. एल. बी. की परीक्षा उतीर्ण की। 1951 में अजमेर विधान सभा के लिये ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए और अजमेर राज्य का राजस्थान राज्य में विलय होने पर राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। अजमेर विधान सभा अवधि में आप पी. ए. सी. के चेयरमेन रहे। आप जीवन प्रयत्न कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे। भारत विभाजन के समय बाहर से आये शरणार्थियों के पुनर्वास में आपका सक्रिय योगदान रहा। गरीबों और पिछड़ी जातियों के उत्थान में आप सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री शर्मा का आकस्मिक निधन अजमेर में 2 अप्रेल, 1989 को हो गया। मैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे इसके लिये प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, इसके लिये भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

अभी यह जानकारी मिली है कि हमारे इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री हरलालजी मीणा का 21 जून को देहावसान हो गया। श्री हरलालजी मीणा का जन्म 1 मई, 1924 को जिला चित्तौड़गढ़ में हुआ था। आप तीसरी, चौथी व पांचवी विधान सभा में प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से

(श्री शिवचरण माथुर)

कांग्रेस के टिकिट पर निर्वाचित हुए । श्री मीणा ने हरिजन एवम आदिवासी संस्थाओं में अध्यापक रहकर विद्यार्जन प्राप्त करवाया । आप विधान सभा की कई समितियों के सदस्य रहे । पिछड़े वर्ग के उत्थान में आपकी विशेष रूचि रही । मैं उनकी आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके दुखी परिवार को इस दुख को सहने की ईश्वर शक्ति दे, इसके लिये भी प्रार्थना करता हूं ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने महारावल श्री लक्ष्मणसिंह जी, श्री वीरबहादुरसिंहजी, जगन्नाथ जी शर्मा और हरलालजी मीणा के सम्बन्ध में जो भावनाएं व्यक्त की है, मैं भी उन भावनाओं में अपने आप को शामिल करता हूं ।

महारावल साहब के निधन से हमने एक ऐसा योग्य व्यक्ति खोया है, जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं है । जिन लोगों से उनका निकट का सम्बन्ध था वह तो उनसे परिचित थे ही, लेकिन आम व्यक्ति में उनके प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा थी, वह बहुत ही कम व्यक्तियों के सम्बन्ध में मिलती है । विद्वत्ता के नाते मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी संस्कृति और हिन्दी का विद्वान इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं । सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि विद्वान होने के उपरान्त भी उनमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत गर्व नहीं था । वह खिलाड़ी थे, खेल जगत में उन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की । खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया और खेल जगत में किस प्रकार से यह देश आगे बढे, इस सम्बन्ध में कई बार रचनात्मक सुझाव भी दिये । लेकिन राजनीति में प्रवेश करने के बाद भी उन्होंने खिलाड़ी भावनाओं को नहीं छोड़ा । विधान सभा में कई बार किसी भी सदस्य को गर्व हो सकता है, अभिमान हो सकता है, लेकिन इस सदन में मैंने महारावल साहब को एक व्यक्ति पाया, कि किसी भी समय उनसे कोई भूल हो गयी, तो उस भूल को स्वीकार करने में उनको कोई संकोच नहीं होता था । वे हमेशा विनोदप्रिय और हंसमुख रहते थे कोई व्यक्ति उनके पास बैठ गया तो उसकी यही इच्छा रहती थी कि महारावल साहब से निरन्तर बात चलती रहे ।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में भूतपूर्व रियासतों का विलीनीकरण होने के पश्चात अगर देश की राजनीति में निरन्तर कोई राजा या महाराजा सक्रिय रहा है तो महारावल लक्ष्मणसिंह जी का नाम सबसे आगे रहेगा । जिन परिस्थितियों में वह विधायक बने, जिन परिस्थितियों में संसद सदस्य बने, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य से, भावों से और विचारों से यह कभी भी लोगों को अनुभव नहीं होने दिया कि मैं किसी समय एक रियासत का मालिक था । मुझे याद है, विधान सभा में उन्होंने एक बार भाषण दिया था कि मैं रियासत का राजा नहीं था, उस समय की व्यवस्था का प्रतीक था । वो व्यवस्था समाप्त हो गई, प्रतीक स्रोत स्वयं ही अपने आप ही समाप्त हो गया । इसलिए पुरानी बातों को याद कर मैं अपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप जी नहीं जलाना चाहता और पुरानी बातों को याद कर दूसरे व्यक्तियों को आलोचना करने का भी अवसर नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय, एक बार उन्होंने इसी सदन में अपने सम्बन्ध में जिस प्रकार की बाते बताई, मैं ऐसा समझता हूं कोई आदमी इस प्रकार की बातें स्पष्ट रूप से कहने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का रत्ती भर भी उनको भय नहीं था कि जिस प्रकार की स्थितियों में रियासतों का विलीनीकरण हुआ, रियासतें बनी, कितना-किस समय उसका उपयोग था, आज कितना उपयोग है, इस सारे आधार पर उन्होंने कभी इस विषय में आलोचना नहीं की कि राजस्थान में या हिन्दुस्तान में जिस प्रकार से राजनीतिक आधार पर परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन नहीं आना चाहिये। वे लोकतन्त्र के हामी थे; लोकतन्त्र उनकी रग-रग में था। लोकतन्त्र के प्रति आस्था उनमें थी लेकिन दूसरों में आस्था जागृत करने की और आस्था बनाये रखने की भी उनमें क्षमता थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि महारावल साहब अपने क्षेत्र में या बाकी के क्षेत्रों में जब भी जाते थे, लोगों से जिस प्रकार का निकट सम्पर्क बनाने की उनकी एक प्रवृत्ति थी उससे लोगों में उनके प्रति एक प्रकार की श्रद्धा होना स्वाभाविक है। इस अवसर को उन्होंने कभी भी अपने आप से नहीं खोया।

अध्यक्ष महोदय, चैम्बर आफ प्रिंसेज में उनको अपनी बहुत ही अल्पायु में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। रियासत तो छोटी सी है और रियासतों के आकार की दृष्टि से, रियासत की हैसियत की दृष्टि से चैम्बर आफ प्रिंसेज में उनको कोई महत्वपूर्ण स्थान मिल जाय, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती लेकिन केवल अपनी योग्यता के आधार पर उस व्यक्ति ने उस समय यह स्थान प्राप्त किया और योग्यता के आधार पर ही उन्होंने उस काम का जो कर्त्तव्य था, उसका निर्वहन किया। वह व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, निश्चित रूप से हम सब दुःखी हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन की शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, श्री वीर बहादुर सिंह जी केन्द्रीय संचार मंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वह इस हिन्दुस्तान में इस लोकतन्त्र की देन थे। इस लोकतन्त्र में, इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में गरीब के घर में पैदा होकर सारी समस्याओं का साहसपूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ता हुआ कोई व्यक्ति चला जाय, यह किसी शासन व्यवस्था में इस प्रकार का अवसर नहीं मिल सकता। यह केवल लोकतन्त्र में ही इस प्रकार का अवसर मिलता है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो लोकतन्त्र की देन थे। अगर लोकतन्त्र नहीं होता तो वीर बहादुर सिंह जी जैसे और और मेरे जैसे व्यक्ति इस विधान सभा में आ जाय या विधान सभा में आकर बोल

(52)



(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लें या राज्य सभा में पहुँच जाय या लोक-सभा में मंत्री बन जाय, इस प्रकार की स्थिति पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं नहीं होता। वह व्यक्ति साधारण घर से जन्मा, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मृत्यु तक वो साधारण भाव लेकर ही चला। कभी भी इस बात का अभिमान नहीं आया कि मैं यू. पी. का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं केन्द्र का संचार मंत्री हूं और जैसा मुख्यमंत्री ने कि उनका आम दरबार इस बात का प्रतीक था कि मेरे यहां जनता के लिए मिलने या अपना दुःख दर्द समझाने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। कई बार सड़कों पर घूमते हुए भी मैंने देखा। मैंने एक बार उनसे कहा भी कि आप सड़क पर सी. आई. डी. करने के लिए घूम रहे हैं क्या ? जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको संचार व्यवस्था के साथ-साथ गुप्तचर शाखा का भी काम दिया हुआ है तो कहने लगे—गुप्तचर शाखा का प्रश्न नहीं हैं, मेरी आदत है साधारण व्यक्तियों में और आम नागरिकों में घूमने की 'और उनकी मनःस्थिति का अध्ययन करने की। मैं समझता हूं कि मैं बंगले में बैठा रहूंगा या कार में रहूंगा तो वास्तविक जनता की स्थिति क्या है, इसका अन्दाज नहीं लग सकता। इसलिए मेरी आदत मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, मैं निश्चित रूप से जनता में, जहां भी मुझे मौका मिला मिलता है उनमें शामिल होकर बातचीत करने में आनन्द लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का शासन उन्होंने चलाया, मैं ऐसा कह सकता हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से उस आदमी ने राज्य को एक स्थायित्व दिया। दिया। मैं यह भी कह सकता हूं-जिस समय वो मुख्य मंत्री बने थे, समाचार पत्रों में यह चर्चा आ रही थी कि एक महीना, दो महीना या तीन महीने। इससे ज्यादा यह व्यक्ति टिक नहीं पायेगा। लेकिन अपनी कार्य कुशलता से और जनता का सहयोग प्राप्त कर जिस तरह यू. पी. में उन्होंने स्थायित्व दिया, यू. पी. के लोग आज भी मानते हैं, भूरि-भूरि प्रशंसा भी करते हैं और यह भी कहते हैं कि यू.पी के गरीब की पहली बार किसी मुख्यमंत्री के दरबार में सुनवाई हुई है तो वीर बहादुर सिंह जी के कार्य-काल में हुई है। वह व्यक्ति अचानक हमारे बीच से चला गया, मुझे इसका दुख है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के दो साथी—एक श्री जगन्नाथ जी शर्मा और दूसरे श्री हरलालजी मीणा। इन दोनों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोनों से सम्पर्क भी रहा है। अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले अच्छे कार्यकर्ता थे। जगन्नाथजी शर्मा तो अपनी विद्वता के लिए माने हुए व्यक्ति थे। हरलाल जी ने अपने क्षेत्र में अपने ही आदिवासियों की और बाकी के लोगों की सेवा में जिस प्रकार का कार्य किया है, वो भी हम भूल नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकते । मैं उन दोनों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे ।

**श्री कल्याण सिंह कालवी** (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है महारावल लक्ष्मणसिंह जी के निधन पर, वीर बहादुर सिंह जी के निधन पर, श्री जगन्नाथ जी शर्मा व श्री हरलाल जी मीणा के निधन पर, उस शोक प्रस्ताव में मैं भी अपने आपको भागीदार करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि महारावल साहब के साथ रहने का मेरे को बहुत लम्बे समय तक अवसर प्राप्त हुआ । उनके मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ और जितना उनके साथ काम करने से हमने सीखा है, मैंने दूसरे किसी व्यक्ति से उतने लम्बे समय तक साथ रह कर के उतनी बात नहीं सीखी । हरदम उनका जो अनुभूत ज्ञान था, वो जो करना चाहते थे, वो जो कर रहे थे और जिस तरह से हम लोगों को, जो हम उनके साथ काम करते थे, उनको विश्वास में लेकर, उनकी गल्तियों में केवल डांटना ही नहीं, उनके समानान्तर चल करके उन गल्तियों को सुधारने में, हम जो कार्य करते थे, कार्य करने वाले लोगों को हर समय प्रोत्साहित करने में, मैं समझता हूं कि महारावल साहब के समकक्ष दूसरा कोई भी व्यक्ति हमको हमारे इस राजनैतिक कैरियर में नही मिला ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा में विधायक के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है वो आज विधान सभा के इतिहास में भुलाने योग्य नहीं है, वो चिरस्मरणीय हैं । विधान सभा में जिस तरह का उनका योगदान रहा, विधान सभा में वाद-विवाद के समय उनकी भागीदारी के माध्यम से जो जानकारी हम लोगों को तथा राजस्थान की जनता को मिली, वह भी भुलाने योग्य नहीं है, वह भी सदैव याद करने योग्य रहेगी, अमर रहेगी नरेन्द्र मण्डल के अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह का कार्य उन्होंने किया था वह कार्य आज इतिहास के पृष्ठों पर है । कला के क्षेत्र में जो काम उन्होंने किये वह भी प्रेरणा लेने योग्य है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक विद्वता के क्षेत्र में था । जब कभी भी वे इजी मूड में होते थे और उनके साथ बैठने का अवसर मिलता था, हिन्दी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, उर्दू का, उनकी स्थानीय वहां की भाषा का जिस तरह का उनका ज्ञान था और जिस तरह का भाषा का उनका कमाण्ड राजस्थान के इने गिने व्यक्तियों का इतनी भाषा पर एक साथ कमाण्ड रखने वाले राजनैतिक क्षेत्र में बहुत कम लोग ही रहे जब हम उनके अनुभव सुनते थे तो दिल यह चाहता था कि बैठे बैठे घंटों भर तक हम उनके अनुभव सुनते रहें और इतने भाव विभोर हो जाते थे कि कुछ करते कि

(54)



(श्री कल्याणसिंह कालवी)

इच्छा ही नहीं होती थी। महारावल साहब एक कुशल प्रशासक रहे थे। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खोकर के सतत् कार्य करने की प्रेरणा देने वाले महारावल साहब के संस्मरण आज भी हमको याद आते हैं और जब याद आते हैं तो उन संस्मरणों को याद करके हम आज भी प्रेरणा लेते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, धैर्य खोकर संकीर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। सतत् कार्यक्षेत्र में जुट जाना चाहिए, रास्ते अपने आप साफ होते रहेगे। यह प्रेरणा आज भी हमारे सामने रहती है। महारावल साहब का पार्थिव शरीर आज हमारे बीच में नहीं है। परन्तु महारावल साहब के बोले हुए वचन और और महारावल साहब के किये हुए कार्य आज भी हमारे बीच में बोल रहे हैं, जिन कार्यों से आज हम प्रेरणा लेते हैं, जिनसे आज हम शिक्षा लेते हैं और याद करते हैं, याद करके उन पर चलने के लिए संकल्पबद्ध होने की कोशिश करते हैं। महारावल साहब जितने मृदु भाषी राजनीतिज्ञ आपको नहीं मिलेंगे। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में चाहे उनके साथ रहने वाला आदमी हो, चाहे विपक्ष में बोलने वाला और काम करने वाला व्यक्ति हो सबके साथ वह समान व्यवहार करते थे, सबसे मीठी भाषा में बात करते थे और सबसे हंसकर के ही व्यक्ति का दिल जीतने की कोशिश करते थे, यह महारावल साहब का बहुत बड़ा गुण है, आज लोकतन्त्र की मान्यताओं की, यदि मैं यह कहूं कि वे मूर्तिमान स्वरूप थे तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। आज नीचे से नीचा कार्यकर्ता जो कार्यक्षेत्र में काम करते थे वह अपनी भावनाओं को मनवाने के लिये महारावल साहब के पास पहुँच जाता था और अपनी भावनाओं को महारावल साहब को कन्विस्ट कर देता था तो वे उनसे सहमत होकर के उसके अनुरुप कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आज उन्होंने जीवन के अन्दर जन सेवा को अपना संकल्प बना रखा था। राजनैतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किये वह कार्य आने वाली पीढ़ी सदैव याद रखेगी। जहां तक डूंगरपुर जैसे आदिवासी इलाका, जिसके विकास के लिए हरदम उनके दिल में तड़पन रहती थी डूंगरपुर के अन्दर जो हरियाली खत्म हो रही थी, वन कटते थे उनके लिए जब-जब भी होता था, उनका हृदय उद्वेलित होता था, पीड़ित होता था, वह पीडित भावनाएं भी हमने सुनी है और मेवाड के उस पहाडी इलाके के, आदिवासी इलाके के विकास के लिए उनके पास में जो ठोस योजनाएं थी आज वह भी सरकार के लिए क्रियान्वित करने के लिए आज एक सबसे बडा जिसको कहना चाहिए डाक्यूमेंट के रूप में हैं और उसके आधार पर उनके विचारों को क्रियान्वित करके उन आदिवासियों का बहुत फायदा किया जा सकता है उस इलाके का विकास किया जा सकता है, वहां के लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है मेरे को महारावल सा. के स्वर्गवास के पहले दिन उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं दल के कार्यवश डूंगरपुर में गया हुआ था, वहां महारावल के दर्शनार्थ पहुँच गया था और आखिरी समय में उनसे बातचीत करने का अवसर

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

मिला था। उनसे पांच सात मिनट बातचीत हुई, बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था फिर भी आहिस्ता-आहिस्ता हमारी बात-चीत हुई, उन्होंने कहा कि कमजोरी बहुत आ गयी है बीमारी के कारण से, यह हमको सौभाग्य उस दिन प्राप्त हुआ, दूसरे दिन जब मैं चित्तौड़ में था, मुझे पता चला कि महारावल साहब का आज स्वर्गवास हो गया है। दूसरे दिन सुबह हम दाह संस्कार में पहुँच गये थे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे उनके दाह-संस्कार में डूंगरपुर का जन मानस उमड़ पड़ा था। जन समूह उमड़ पड़ा था वह सारा का सारा यह बताता है कि महारावल साहब के किये हुये कार्यों के प्रति लोग कितने श्रृद्धावान थे, कितना लोगों का विश्वास था, कितने डिवोटेड थे, यह सारी की सारी बातें देखने को मिली। इतना ही मैं निवेदन करके महारावल साहब को श्रद्धांजली अर्पित करता हुआ परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

दूसरे जो हमारे वीर बहादुरसिंह जी, जो भारत के संचार मंत्री थे, अचानक उनका देहान्त हो गया। राजनैतिक क्षेत्र में कुछ व्यक्तित्व ऐसे उभरते हैं जो ग्रास रुट से उठते हैं और ग्रास रुट से उठने के बाद अपनी जड़े जमीन पर कायम रखते हैं जमीन के ऊपर वह जडों को उखड़ने नहीं देते। इस तरह के राजनेता वीर बहादुर सिंह जी थे। कभी भी चाहे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चाहे केन्द्रीय सरकार के मन्त्री रहे अपनी जड़ें उस जमीन के ऊपर ही उन्होंने कायम रखी जिस जमीन से वह उठे थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो समस्याओं को अपने सीने पर लेते थे, समस्याओं को पीठ पर धर कर चलने की उनकी आदत नहीं थी, समस्याएं सीने पर ली उनके समाधान के लिए रास्ते ढूंढते थे, समाधान करके ही दम लेते थे। इस तरह का व्यक्तित्व जिससे कि भारत को बहुत बड़ी उम्मीद हो सकती थी। जिनके निधन से उनके परिवार को ही क्षति नहीं हुई है, पूरे भारत को और भारत की जनता को क्षति हुई है। मैं ऐसे व्यक्ति को श्रृद्धांजलि अर्पित करता हुआ उनके शोक सन्तप्त परिवार को धैर्य धारण करने की प्रार्थना करता हूं।

तीसरे व्यक्ति जगन्नाथ जी शर्मा थे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सम्पर्क में आने का अजमेर के अन्दर मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरा दूसरे क्षेत्र में तो उनका परिचय नहीं है किन्तु साहित्यिक क्षेत्र में जितना उनका योगदान है वह योगदान सराहनीय है। वह योगदान जितने साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग हैं उन सबको प्रेरणा देने वाली वस्तु बना रहेगा। इतना ही मैं निवेदन करके उनको भी मैं अपनी श्रृद्धांजली अर्पित करना चाहता हूं।

साथ ही हरलाल जी मीणा, जिन्होंने अपना प्रिय क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र बना रखा था, आदिवासी क्षेत्र से ही चुनकर आये थे और आदिवासियों की मूल समस्याएं थी उन समस्याओं के प्रति हमेशा जागरूक रहते थे, संघर्षशील रहते थे, उन समस्याओं

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, ऐसे व्यक्ति के निधन पर मैं उनको भी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हुआ उनके शोक सन्तप्त परिवार को धैर्य धारण करने की प्रार्थना करता हूं।

**श्री शोपतसिंह** (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता महोदय ने महारावल लक्ष्मणसिंहजी, जगन्नाथ जी शर्मा, वीर बहादुर सिंह जी और हरलाल जी मीणा के निधन पर शोकाभिव्यक्ति प्रकट की है उसमें अपने आपको शामिल करते हुए कुछ शब्द कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, महारावल लक्ष्मणसिंह जी के साथ मुझे कुछ मौकों पर उनके साथ रहने का मौका मिला है, सन् 1962, 1977 में राजस्थान में और इस विधान सभा में, राजस्थान ने एक बहुत अच्छा पार्लियामेंटरी खो दिया है। उनकी भाषा एक फ्यूडल परिवार में पैदा होने के बाद जब हम उनसे बात करते थे और जब उनका व्यवहार बड़े नेताओं के साथ ही नहीं, आम विधायकों के साथ भी जो उनकी बात करने की शैली और वाक्-पटुता, बहुत कम लोगों में उस तरह के व्यवहार कुशल आदमी बहुत कम हमने देखें हैं। हमारी अपनी जिन्दगी में और इस तरह के व्यक्ति का राजस्थान के इस सदन से महरूम हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है।

इसके साथ ही जगन्नाथ जी शर्मा, वीर बहादुरसिंह जी जो संचार मंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, हिन्दुस्तान की राजनीति में वह अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे।

इसके साथ ही हरलाल जी मीणा जो हमारे सदन के सदस्य रहे हैं, मैं उन सभी महानुभावों के निधन पर अपनी पार्टी की तरफ से श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

**श्री विजेन्द्रपालसिंह** (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव सामने रखा गया है उसमें मेरी भावनाओं से मैं भी शामिल होना चाहता हूं। महारावल साहब को मैं पर्सनली जानता था दूसरे व्यक्तियों को तो मैं पर्सनली जानता नहीं, महारावल साहब इस हाउस में अपने आप में इन्सटीट्यूटशन थे He was the last of the noble Rulers of pre-Independence India to be a member of this house Members of this House are fortunate to have witnessed Maharawal Laxman Singh Ji participating in the debates, as it is history now.

मैं आखिर में महारावल साहब और दूसरे व्यक्तियों को श्रृद्धांजलि मेरे ग्रुप की ओर से अर्पित करता हूं धन्यवाद।

**श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : अध्यक्षजी, सदन के नेता महोदय की ओर से शोक प्रस्ताव जो माननीय महारावल लक्ष्मणसिंह जी, वीर बहादुर सिंहजी, जगन्नाथजी शर्मा, हरलालजी के सम्बन्ध में पेश किया है, मैं अपनी भावनाओं को उनके साथ जोड़ते हुए श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्षजी, मैं वीर बहादुर सिंह जी के

(श्री अब्दुल अजीज)

प्रति भी विशेष तौर से जो कि यू पी. कन्ट्रोलिंग स्टेट है, उसमें उनकी जो कारगुजारियां हैं और कई अहम् मुद्दे हैं, जो सरकार के सामने हैं, उनके दौर में गुजरे हैं, उन विचित्र परिस्थितियों में उन्होंने जो फैसले किये हैं और जिन पर गौर करना है, ऐसे मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि मैं विशेष तौर से अर्पित करता हूं।

खासतौर से महारावल लक्ष्मणसिंहजी जो सन् 1977 में जनता पार्टी के दौर में, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य था, मैंने करीब से उन्हें एक अदना-सा सदस्य के रूप में देखा है। जब जनता पार्टी का दौर था, भैरोंसिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एक ऐसा दौर था, शुरू में कि गवर्नर साहब की स्पीच पर वह कुछ बयान करना चाहते थे और मुझे उस जुम्मे के दिन आदरणीय महारावल लक्ष्मण सिंहजी, जो कि आप जहां बिराजे हैं वहां आसीन थे। मैं यह चाहता था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय। महारावल साहब ने आसन से फरमाया कि मिस्टर अजीज आपको हमने पुकारा था, आप यहा सीट पर नहीं थे, आपका समय निकल गया। मैंने उनसे पुनः निवेदन किया कि मैं जुम्मे की नमाज को गया था, वह भी मेरा एक फर्ज था मुझे दुबारा मौका दीजिए और उधर से भैरोंसिंहजी साहब बड़े कोसां थे बोलने के लिए, पहला उनका बयान था जनता पार्टी के राज का और प्रेस और सारे उसको गौर से सुनना चाहते थे लेकिन मेरी उस पुनः विचार की अपील पर उन्होंने गौर फरमाया और ऐसा फैसला सुनाया कि मेरे दिल को खुश किया, उन्होंने मुझे मौका दिया और भैरोंसिंहजी को कहा कि आप अभी बैठें। यह एक ऐसी बात थी जो कि मैं समझता हूं कि आसन ने एक बहुत ही आला फैसला सुनाया और मुझ जैसे आदमी को बोलने का मौका दिया, गवर्नर साहब की स्पीच पर मैं समझता हूं कि यह एक बुद्धिजीवी एक काबिल और इन्साफ पसन्द का ही फैसला हो सकता है। इस आसन को उन्होंने जो इज्जत बख्शी और जो उस दौर में रही यही वजह थी कि वह एक राजघराने से आम इन्सान से भी चुने गये, उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत में भी आप रहे और उन्होंने अन्तिम रूह अपनी कांग्रेस के एक कार्यकर्त्ता होने के लिए उसी पार्टी की कारगुजारियों को सही समझते हुए परवाज की। मैं उनकी रूह को और उनके घर के तमाम परिवार हैं, उन सब को सब्र की तनकीद करता हूं और सब्र के लिए उनको दुआएं देता हूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उन्हें जन्नत-तुल-फिरदोस बख्शी जाय -

**श्री अध्यक्ष** : सदन के माननीय नेता, विपक्ष के नेता और विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने श्री महारावल लक्ष्मण सिंहजी श्री जगन्नाथ शर्मा, श्री हरलाल मीणा जो इस विधान सभा के सदस्य थे और श्री वीर बहादुर सिंहजी उत्तरप्रदेश के भूत पूर्व मुख्यमंत्री और केबिनेट मन्त्री रहे, उनके सम्बन्ध में जो आपनी भावनायें व्यक्त की, उनमें मैं अपने को शामिल करता हूं शोक और दुःख के माहौल में डूबे इस सदन के, माननीय सदन के नेता, विरोधी दल के

(श्री अध्यक्ष)

नेता व अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान विधान सभा के सदस्य महारावल लक्ष्मणसिंह, विधान सभा के पूर्व सदस्य स्व. श्री जगन्नाथ शर्मा व हरलाल मीणा एवं केन्द्रीय संचार मन्त्री स्व. श्री वीर बहादुर सिंह के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना व्यक्त की हैं उसमें मैं अपने आपको भी भारी दिल से शरीक करता हूं।

स्व. श्री महारावल लक्ष्मण सिंहजी से तो इस सदन के सभी माननीय सदस्यगण भली-भांति परिचित रहे हैं। स्व. श्री महारावल को इंग्लैंड में कल्याणकारी कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने सी. सी. एस. आई. व जी. सी. आई. की उपाधि से अलंकृत किया। आप राज्य सभा के सदस्य रहे तथा स्वतन्त्र पार्टी के निर्माण के बाद उसके अध्यक्ष बने। आप एक दशक से भी अधिक समय तक स्वतन्त्र पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। आपने कई वर्षों तक इस विधान सभा में विपक्ष के नेता पद को सुशोभित किया। जनता पार्टी शासन काल में आप विधान सभा के गरिमामय अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे। सन् 1985 के चुनावो मैं वे कांग्रेस पार्टी से इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए, स्व. श्री महारावल लक्ष्मणसिंह विधान सभा में एक वयोवृद्ध सदस्य थे जो लम्बी अवधि से अस्वस्थ रहने के फलस्वरूप उनका आकस्मिक निधन हुआ। आपने आदिवासी तथा स्वर्ण जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी एवं डूंगरपुर में बागा सेवा समिति की स्थापना में आर्थिक सहयोग किया।

आप अपने जीवनकाल में जनता के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को उन्नत करने में काफी प्रयत्नशील रहे। स्व. श्री महारावल लक्ष्मणसिंहजी एक सुयोग राजनेता एवं प्रखर प्रवक्ता के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोशिएशन व क्रिकेट क्लब आफ इण्डिया के संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। आपने सिद्धान्तों तथा नीतियों के प्रति कभी किसी से समझौता नहीं किया। आप में विलक्षण प्रतिभा, प्रशासन क्षमता, ओजस्वी वाणी, समय बोधक एवं साहस कूट-कूट कर भरा हुआ था। ऐसे सुयोग्य व्यक्तित्व की कमी इस सदन को को हमेशा अखरती रहेगी।

मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को वह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

स्व. श्री जगन्नाथ शर्मा, अजमेर विधान सभा के लिए ब्यावर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और अजमेर राज्य के राजस्थान राज्य में विलय होने पर राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। वह जनलेखा समिति के सभापति रहे। स्व. श्री शर्मा का भारत विभाजन के समय बाहर से आये शरणार्थियों के पुनर्वास में सक्रिय योगदान रहा साथ ही वह गरीब एवं पिछड़ी जातियों के उत्थान में भी सतत प्रयत्नशील रहे।

(श्री अध्यक्ष)

मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को इस दुःख को वहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री हरलालजी मीणा का जन्म 1 मई, 1924 को जिला चित्तौडगढ़ में हुआ आप तीसरी, चौथी, एवं पांचवी विधान सभा के प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए। आपने हरिजन तथा आदिवासी संस्थाओं में अध्यापक रह कर विद्याध्यन करवाया। आप विधान सभा की कई समितियों के सदस्य रहे। पिछड़े वर्ग के उत्थान में आपकी विशेष अभिरुचि रही। दिनांक 21 जून, 1989 को आपका निधन हुआ।

परमात्मा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे और आपके परिवार जनों को इस दुःख को वहन करने की शक्ति प्रदान करे।

स्व. श्री वीर बहादुर सिंह ने छात्र जीवनकाल में ही छात्र आन्दोलन में भाग लेकर संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया। आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। इसके अतिरिक्त गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा अध्यक्ष पद पर रहे तथा बाद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। स्व. श्री वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश विधान सभा में लम्बे समय तक सदस्य रहे और उप मंत्री एवं केबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे रहे तथा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में संचार-मन्त्री के पद का दायित्व संभाला। उन्होंने अपने जीवनकाल में सदैव गरीबों असहायों के लिए यथार्थ कार्य किये और एक प्रमुख राजनीतिज्ञ, देशभक्त, योग्य प्रशासन एवं सत्यता के प्रति पक्के रहे। एकाएक पेरिस में सिटी यूनिवर्सिटी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका असामयिक निधन हो गया, जिसकी पूर्ति होना असंभव है। विकट परिस्थितियों में ऐसे प्रखर राजनीतिज्ञ के निधन पर दुःख होना स्वाभाविक है।

मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार जनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

इन चारों दिवंगत आत्माओं के लिए मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से इन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों को इस दुःख को सहन करने की शांति प्रदान करे यह कामना करता हू।

माननीय सदस्यगण दो मिनिट के लिये खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करे व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(श्री अध्यक्ष)

(तदनन्तर सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की )

सदन की बैठक दिनांक 30–6–89 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक मध्याह्न पश्चात् 1 बजकर 3 मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक 30 जून, 1989 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई )

# परिशिष्ट–1

परिशिष्ट–(क)

## तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची

राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधीन राजकीय उपक्रमों में वर्ष 1987–88 के शुद्ध लाभ/हानि, कुल संकलित हानि तथा वर्ष के अन्त में कुल संचय एवं आधिक्य की स्थिति।

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | वर्ष 1987–88 का शुद्ध लाभ/हानि (–) | वर्ष 1987–88 के अन्त तक कुल संकलित हानि | वर्ष 1987–88 के अन्त में कुल रक्षित कोष/आधिक्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 93.98 | 3002.60 | 328.21 |
| 2. | राजस्थान वित्त निगम | 223.00 | — | 1399.36 |
| 3. | राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम | 10.69 | — | 633.78 |
| 4. | राजस्थान आवासन मण्डल | 19.18 | — | 633.16 |
| 5. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. | 271.59 | — | 533.97 |
| 6. | राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. | 133.64 | — | 133.48 |

(61)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | राजस्थान राज्य होटल निगम लि. | 0.58 | — | 28.61 |
| 8. | राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लि. | 1.22 | — | 95.44 |
| 9. | राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. | 74.54 | — | 170.76 |
| 10. | राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. | 5.84 | — | 25.70 |
| 11. | राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ लि. | 30.18 | — | 91.65 |
| 12. | राजस्थान राज्य सहकारी हाऊसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि. | 0.57 | — | 78.19 |
| 13. | राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) | 5.67 | — | 167.34 |
| 14. | राजस्थान राज्य भेड़ एव ऊन विपणन संघ लि. | 26.79 | 44.81 | 33.60 |
| 15. | राजस्थान राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना | 4.39 | — | 231.82 |
| 16. | राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल | (–) 9012.05 | 34750.16 | 7049.70 |
| 17. | राजस्थान भूमि विकास निगम | (–) .97 | 1597.97 | — |
| 18. | दि गंगानगर शुगर मिल्स लि. | (–) 52.09 | — | 86.40 |
| 19. | दि राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. | (–) 59.71 | 451.78 | 0.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | दि राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. | (–) 46.28 | 289.16 | 4.84 |
| 21. | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. | (–) 20.00 | 366.89 | 26.47 |
| 22. | राजस्थान राज्य हरकरघा विकास निगम लि. | 16.62 | — | 66.84 |
| 23. | राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लि. | (–) 709.38 | 2193.41 | 306.00 |
| 24. | श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. | (–) 157.74 | 954.37 | 35.44 |
| 25. | राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. गुलाबपुरा [भीलवाड़ा] | (–) 162.10 | 848.31 | 268.89 |
| 26. | गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. गंगापुर (भीलवाड़ा) | (–) 157.49 | 508.53 | 15.08 |
| 27. | गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ [गंगानगर] | (–) 95.62 | 566.85 | 93.11 |
| 28. | राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना [सोडियम सल्फाइड फैक्टरी] | (–) 4.89 | — | 5.89 |
| 29. | राजस्थान राज्य बीज निगम लि. | (–) 48.04 | 428.50 | — |
| 30. | राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. | (–) 230.29 | 120.04 | 44.27 |
| 31. | राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि. | (–) 122.95 | 725.24 | 33.00 |
| 32. | राजस्थान जल संसाधन विकास निगम लि. | 6.79 | 26.04 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 33. | राजस्थान वन विकास लि. | (–) 1.33 | 8.95 | — |
| 34. | राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लि. | 113.21 | 188.58 | 249.71 |
| 35. | राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स लि. | 19.38 | 76.93 | .... |
| 36. | राजस्थान राज्य टंग्स्टन विकास निगम लि. | (–) 8.73 | 40.04 | — |
| 37. | श्रीगंगानगर सहकारी ग्रायल सीड प्रोसेसिंग मिल लि., गजसिंहपुर | (–) 25.88 | 149.27 | 85.13 |
| 38. | राजस्थान राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा | (–) 7.66 | — | 49.79 |
| 39. | राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. | 27.76 | — | 144.60 |
| | | लाभ 1183.40<br>हानि(–) 11379.60 | 47348.43 | 13152.62 |
| | | कुल लाभ/<br>हानि (–) 10196.20 | | |

## परिशिष्ट–2

**(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)**

**कला संस्कृति के विकास की योजनायें**

6. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या कला व संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत 5 वर्ष में कला एवं संस्कृति के विकास की दृष्टि से प्रदेश में किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन सी नई योजनायें चलाई गयी तथा वर्ष 1989-90 के लिये कौन-कौन सी नई योजनायें कहां कहां पर चलाये जाने का विचार है ?

(2) क्या कोटा जिले में कला संस्कृति के विकास हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या तथा इसे मूर्तरूप देने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ?

**उत्तर**

(1) विगत 5 वर्षों में कला एवं संस्कृति के विकास हेतु निम्न लिखित योजनायें चलाई गयी थी :–

1-माननीय प्रधानमंत्री महोदय की योजना अनुसार-अलग अलग सूत्रों के लोगों को संस्कृति के माध्यम से नजदीक लानें हेतु पश्चिम संभाग सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर का उद्घाटन 21 फरवरी 1986 को किया गया। इस सांस्कृतिक केन्द्र में राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दिप राज्य शामिल हैं। इसका कार्य एक रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा चलाया जाता है। तथा इसके अध्यक्ष राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य निम्न सांस्कृतिक केन्द्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है :–

(1) उत्तर सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला (पंजाब)

(2) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहबाद यह तीनों केन्द्र समय-समय पर राजस्थान में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये जगह-जगह बिखरी हुई पुरानी कलाओं को एकत्रित कर उन्हें प्रदर्शन हेतु जैसलमेर बैराठ एवं जयपुर स्थित हवामहल म्यूजियम की स्थापना की गई। ललित कला अकादमी द्वारा अजमेर में एक आर्ट गैलेरी का भी निर्माण किया गया। कलाकारों को बढ़ावा देते हेतु राज्य सरकार ने अनुदान देने की योजना भी चालू कर रखी है जिसके तहत सांस्कृतिक संस्थाओं एवं व्यक्तिगत कलाकारों को भी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1986-87 से वर्ष 1988-89 तक 11-87 लाख रुपये की राशि कलाकारों/संस्थाओं को स्वीकृत की गई है। कला और संस्कृति के और अधिक विकास हेतु जयपुर में "जवाहर कला केन्द्र" की स्थापना की जा रही है। इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर जो कि शास्त्रीय कलाओं, लोक कलाओं और समसामयिक कला-परम्परा दृश्य एवं श्रव्य रूप में उपलब्ध है उसे संरक्षित करने, जनसाधारण में इसके प्रति जागरूकता एवं प्रोत्साहन उत्पन्न करने की दृष्टि से एक बहुआयामी कला केन्द्र के रूप में की जा रही है।

(2) राज्य की सांस्कृतिक सम्पदा के

( श्री कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री )

संरक्षण एवं विकास हेतु क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जो निम्न क्षेत्रों में बिखरी हुई पुरानी कला संस्कृति के बारे में विचार करेगी :–

(1) जैसलमेर एवं उसके आस पास के क्षेत्र

(2) हाडौती क्षेत्र (कोटा, बून्दी एवं झालावाड़ जिले)

(3) मारवाड़ क्षेत्र (जोधपुर एवं नागौर जिले)

(4) शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुन्झुनू एवं चूरू)

(5) जयपुर

(6) सवाई माधोपुर।

(7) मेवाड़ एवं बागर क्षेत्र (उदयपुर डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा)

इसके अतिरिक्त एक राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया हुआ है। इन समितियों का गठन वर्ष 1986-87 में हुआ था। इसके अतिरिक्त पुरानी कला एवं संस्कृति को जीवित रखने हेतु पुराने भवनों को सुरक्षित करना एवं अवाप्त भी किया गया है जैसे भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा की बारहठ की हवेली को वर्ष 1988-89 में अवाप्त कर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया।

**वर्ष 1989–90 की नई योजनाएं निम्न है :—**

(1) परम्परागत आमेर की सांस्कृति धरोहर को उजागर करने हेतु आमेर में आर्ट गैलरी की स्थापना।

(2) पाली म्यूजियम एवं (3) डूंगरपुर म्यूजियम की स्थापना।

(4) राज्य सरकार द्वारा सृजात्मक कलाओं संगीत, चित्रकला एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

(5) राज्य के अभिलेखागार विभाग द्वारा 22 भूतपूर्व रियासतों के 164 स्वतन्त्रता सैनानियों के संस्मरण संकलन कर लिये गये है। इनमें से 8 भूतपूर्व रियासतों के 62 स्वतन्त्रता सैनानियों के संस्मरणों का प्रथम खण्ड प्रकाशित किया जा रहा है।

कोटा जिले में कला संस्कृति के विकास हेतु पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की चालू योजनाओं के अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य प्रस्तावित है :–

1– भण्डदेवरा रामगढ़ के मन्दिर का जीर्णोद्धार

2– राजकीय संग्रहालय, कोटा को ब्रजविलास भवन में स्थानान्तरण।

3– संग्रहालय कोटा की पुरावस्तुओं का फोटो डाकूमेण्टेशन।

4– भण्डदेवरा रामगढ एवं बूढादीत मन्दिर का फोटो डाकूमेन्टेशन।

5– कानूनी स्थल पर चौकीदार क्वार्टर

( कला एवं संस्कृति मंत्री )

टर एवं मूर्तियों की सुरक्षा हेतु प्रतिमा कक्ष (खलप्चर शेड) का निर्माण ।

### भरतपुर जिले का जल स्तर

7. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या भू जलराज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार को विदित है कि भरतपुर जिले में भूमिगत जल-स्तर निरन्तर तेजी से गिर रहा है ? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार को यह भी विदित है कि भरतपुर जिले में अधिकांश क्षेत्र में कड़वा पानी है और यह क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है ? इसके क्या कारण है?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि भरतपुर ज़िले में भूमिगत जल स्तर पिछले पांच वर्षों में औसतन 2.85 मीटर गिरा है । भू जल स्तर के आंकड़े पंचायत समिति वार ही एकत्रित किये जाते हैं, तहसीलवार नहीं, जो निम्न अनुसार है :-

| क्र. सं. | पंचायत समिति | पिछले 5 वर्षों में भू जल स्तर में औसतन गिरावट |
|---|---|---|
| 1- | बयाना | 2.99 मीटर |
| 2- | डीग | 2.71 मीटर |
| 3- | कामा | 1.49 मीटर |
| 4- | कुम्हेर | 2.80 मीटर |
| 5- | नदबई | 3.08 मीटर |
| 6- | नगर | 2.72 मीटर |
| 7- | रूपवास | 2.80 मीटर |
| 8- | सेवर | 2.66 मीटर |
| 9- | वैर | 4.32 मीटर |
| औसतन गिरावट | | 2.85 मीटर |

(2) भरतपुर जिले के लगभग 1/3 भाग में पानी खारा अथवा कृषि योग्य नहीं है इसके लगातार बढ़ने की सम्भावना तो नहीं है परन्तु यदि मीठे पानी के क्षेत्र से भू-जल की नकासी आवक से अधिक होती रही तो पास के क्षेत्र का खारा पानी मीठे पानी के क्षेत्रों को भी खारा कर सकता है ।

### निजी तौर पर विद्युत का वितरण

8. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने राज्य में कितनी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को विद्युत का होलसेल वितरण का कार्य सौंप रखा है ?

(2) क्या इन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को अस्थाई कनेक्शन देने के भी अधिकार हैं ? क्या यह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी कनेक्शन देने के लिए अधिकृत है ?

(3) क्या यह संस्थायें उपभोक्ताओं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

से अधिक दर पर वसूली करने के लिए भी सक्षम हैं ?

(4) यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार ने तीन ग्रामीण विद्युतिकरण सहकारी सहकारी समितियों को उनके कार्यक्षेत्र में विद्युत वितरण करने का कार्य करने के लिये अधिकृत किया है। ये समितियां निम्न लिखित है :-

1. ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति, कोटपूतली।

2. ग्रामीण विद्युतिकरण सहकारी समिति, टोडाभीम।

3. ग्रामीण विद्युतिकरण सहकारी समिति, महुआ।

(2) जी हां, ये समितियां अपने कार्य क्षेत्र में अस्थायी कनेक्शन देने के लिये अधिकृत है। ये समितियां राज्य सरकार की अनुमति से अपने कार्यक्षेत्र के बाहर भी विद्युत कनेक्शन दे सकती हैं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

**उर्दू शिक्षा एवं साहित्य**

9. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उर्दू अकादमी का कार्य संतोषजनक नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसको गतिशील बनाने के क्या उपाय कर रही है ?

(2) क्या राज्य में उर्दू शिक्षा एवं साहित्य से सम्बन्धित सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की कमी है ?

(4) नागौर जिले में कालेज-स्तर पर उर्दू कहां-कहां पढ़ाई जाती है ? यदि नहीं, तो कब तक उर्दू का विषय कालेज में शिक्षण हेतु शुरू कर दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं करवाया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) नागौर जिले में कालेज स्तर पर उर्दू कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती है। मांग आने पर विचार किया जा सकता।

**टोडारायसिंह में ए. सी. एम. कोर्ट**

10. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) :

(श्री नाथूसिंह)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या राज्य सरकार टोडारायसिंह जिला टोंक में ए.सी.एम. कोर्ट खोलने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त कोर्ट खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) क्या टोडारायसिंह क्षेत्र का ए. सी. एम. कार्यालय मालपुरा में स्थित है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है।

उत्तर

(1) टोडारायसिंह क्षेत्र के मुकदमों की संख्या को देखते हुए वहां ए. सी. एम. न्यायालय स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

(2) सामान्यतः लगभग 1000 तक मुकदमों की संख्या होने पर ही ए. सी. एम. न्यायालय की स्थापना पर विचार किया जाता है।

(3) मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के मुकदमों की संख्या को देखते हुये मालपुरा मुख्यालय पर ए. सी. एम. न्यायालय स्थापित है। उक्त न्यायालय के कार्यक्षेत्र में भी टोडारायसिंह क्षेत्र भी सम्मिलित है।

## नाकोड़ा—अहमदाबाद बस सेवा

11. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाकोड़ा (बालोतरा) से अहमदाबाद (गुजरात) तक परिवहन निगम की मात्र एक ही रात्रिकालीन बस चलती है जो अपर्याप्त है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त बसें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में बार-बार मांग की जाती रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार बढ़ते आवागमन एवं तीर्थ स्थल की दृष्टि में बस सेवा दिन एवं रात्रि में बढ़ाये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि निगम बस सेवा के अभाव में निजी बसें अवैध रूप से इस रास्ते पर चल रही हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी, उक्त सेवा को वर्तमान में 70 प्रतिशत यात्री भार ही उपलब्ध हो रहा है अतः यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस मार्ग पर परिवहन सेवा अपर्याप्त है।

(2) जी हां।

(3) जी, एक सेवा दिन में चलाये जाने का विचार है लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक गुजरात राज्य से पारस्परिक अन्तर्राज्यीय परिवहन करार कर प्रकरण

(यातायात मंत्री)

विचाराधीन है। आपसी करार होने के पश्चात् ही उक्त दिन की सेवा का संचालन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) उक्त मार्ग पर अवैध निजी वाहनें चल रही हैं। निगम अधिकारियों को इनकी रोकथाम के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। परिवहन विभाग तथा पुलिस की संयुक्त चैकिंग से अवैध रूप से चल रहे वाहनों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

**खेरखड़ी नदी पर पुलिया निर्माण**

12. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मण्डी कमेटी बारां, जिला कोटा द्वारा ग्राम कोपला पंचायत की नदी खेरखड़ी की पुलिया किस वर्ष में पक्की बनवाने की स्वीकृति हुई थी और इस पर अनुमानित व्यय कितना था ?

(2) क्या वह पुलिया पूरी हो चुकी है ? यदि नहीं तो उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है और बकाया कार्य कब तक पूरा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उस पुलिया का ऐसा डिजाइन है कि उसमें जो पानी निकास के गेट दिये हैं उसमें वर्षा ऋतु में बाढ़ के समय मवेशी फंसकर मरते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या का कब तक क्या समाधान करेगी ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1987-88 में ग्राम कोपला पंचायत की नदी खेरखेड़ी पर वेन्टेड काजवे के निर्माण की स्वीकृति थी। जिस पर अनुमानित व्यय 2.40 लाख रुपये था।

(2) जी नहीं। अब तक इस पर 1.60 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर शेष कार्य हेतु निविदाएं दिनांक 17-7-89 को प्राप्त की जावेगी। निविदाओं पर नियमानुसार वांछित कार्यवाही की जाकर कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

(3) सबमरसीबल काजवे होने के कारण मोखे छोटे हैं जिससे वर्षा ऋतु में पानी के बहाव के साथ जो मवेशी बहकर आते हैं वह फंस सकते हैं। मोखों में लोहे की छड़ लगाने से इस समस्या का समाधान हो जावेगा।

**राजकीय बालूराम कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर**

13. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) श्रीगंगानगर शहर में राजकीय बालूराम कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के रहने की क्या व्यवस्था है ?

(2) डिग्री कक्षाओं में क्या-क्या विषय पढ़ाये जाते हैं ?

(श्री केदारनाथ शर्मा)

(3) एम. ए. कक्षा खोलने के लिए राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि जिले भर में छात्राओं के लिये एक ही डिग्री कालेज है ?

उत्तर

(1) कालेज परिसर में ही छात्राओं के रहने के लिये छात्रावास की व्यवस्था है।

(2) डिग्री कक्षाओं की तीन संकाय में निम्न विषयों की सुविधा उपलब्ध है :—

| कला संकाय | वाणिज्य संकाय | विज्ञान संकाय |
|---|---|---|
| 1. हिन्दी | ए बी एस टी | भौतिक शास्त्र |
| 2. संस्कृत | 2. ई.ए.एफ. एम. | 2. रसायन शास्त्र |
| 3. राज. विज्ञान | 3. व्या. प्रशासन | 3. जीव विज्ञान. |
| 4. इतिहास | | 4. वनस्पति शास्त्र |
| 5. गणित | | |
| 6. अर्थशास्त्र | | |
| 7. समाज शास्त्र | | |
| 8. दर्शन शास्त्र | | |
| 9. अंग्रेजी | | |
| 10. गृह विज्ञान | | |

(3) इस वर्ष बजट में 10 नये विषय खोलने का प्रावधान रखा गया है। अतः राज्य सरकार इस पर अन्य महाविद्यालयों के प्रस्तावों के साथ विचार कर गुण-अवगुण के आधार पर कोई निर्णय लेगी।

(4) जी नहीं।

**बाड़मेर जिले में नई तहसील व उप-तहसीलें**

14. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडा-मालानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश बाड़मेर ने राज्य सरकार को पंचायत समिति बायतू मुख्यावास पर नई तहसील बायतू और पंचायत समिति धोरी मन्ना एवं सिणधरी मुख्यावास पर उप-तहसीलें खोलने हेतु प्रस्ताव राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत भेजे हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने तत्संदर्भ में इन स्थानों पर तहसील व उप-तहसील खोलने का कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार को राजस्व मंडल के मार्फत केवल बाड़मेर जिले के बायतू में

(राजस्व मंत्री)

नई तहसील खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 15-7-89 से बायतू में नई तहसील स्थापित किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार को राजस्व मण्डल के मार्फत धोरीमन्ना व व सिणधरी मुख्यालयों पर नई उप-तहसील खोलने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(2) भाग–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

**नवलगढ़ रोड़ (सीकर) रेल्वे क्रासिंग पर पुल**

15. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर में नवलगढ़ रोड़ पर रेल्वे क्रासिंग के कारण आवागमन में काफी बाधा पहुँचती है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र के समक्ष उस पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में दिनांक 13-4-89 एवं 19-6-89 को पश्चिम रेल्वे के अधिकारियों को लिखा गया है, उत्तर अपेक्षित है।

**राज्य में नयी तहसील**

16. **श्री मुरलीलाल मोदी** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में जिन तहसीलों की जनसंख्या करीब डेढ़ लाख से अधिक है क्या उन तहसीलों में राज्य सरकार सब-तहसील या अलग से नयी तहसील कायम करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) नई तहसीलों की स्थापना करते समय जनसंख्या के अलावा क्षेत्र की आवश्यकताओं, भौगोलिक स्थिति, भू-राजस्व, पटवार व गिरदावर हल्कों की संख्या, आवागमन की सुविधाओं इत्यादि पर विचार कर निर्णय लिया जाता है।

**वनस्पति उद्योग के लाइसेन्स**

17. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1981 से लेकर अब तक "रीको" द्वारा राजस्थान में वनस्पति उद्योग लगाने के लिये भारत सरकार से कब-कब लेटर ऑफ इन्टेंट/लाइसेन्स के लिये आवेदन-पत्र दिये गये ?

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(2) इनमें किन-किन आवेदन-पत्रों पर लेटर ऑफ इन्टेंट या लाइसेन्स प्राप्त हुआ और कब-कब और नहीं, तो क्यों ? कृपया ऐसे आवेदन-पत्रों तथा भारत सरकार की स्वीकृति/अस्वीकृति से सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको ने 1 अप्रेल, 1981 से अब तक वनस्पति उद्योग लगाने के लिये लेटर ऑफ इन्टेंट/लाइसेन्स प्राप्ति के लिए भारत सरकार को दिनांक 27 जुलाई, 1988 को केवल मात्र, एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

(2) रीको द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 1988 को प्रेषित आवेदन पत्र पर भारत सरकार द्वारा रीको को दिनांक 27 सितम्बर, 1988 को लेटर ऑफ इन्टेंट स्वीकृति किया गया। आवेदन पत्र एवं स्वीकृत लेटर ऑफ इन्टेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(आवेदन पत्र एवं स्वीकृत लेटर ऑफ इन्टेन्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**ग्राम बेड़ (लाडनूं) की भूमि पर अतिक्रमण**

18. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बेड़ तहसील लाडनूं, जिला नागौर के खसरा नम्बर 177 कटाण के रास्ते पर किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना ने, तहसीलदार लाडनूं को अपने पत्र क्रमांक 1881 दिनांक 15-6-1988 को आदेश दिया था ? यदि हां, तो उसकी अनुपालना कब और किस प्रकार से की गयी ? उक्त आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश की पालना तहसीलदार द्वारा नहीं किये जाने के कारण उप-खण्ड अधिकारी, डीडवाना ने फिर तहसीलदार को दिनांक 3-6-1989 व 12-6-1989 को भी आदेश दिया था ? यदि हां, तो उनकी पालना कहां तक की गयी ? उक्त आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस मामले में नायब तहसीलदार, लाडनूं ने दिनांक 19-6-1989 को मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की तथा उप-खण्ड अधिकारी के मांगने पर भी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई। उक्त मौका रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) ग्राम बेड़ तहसील लाडनूं जिला नागौर के ख. नं. 177 कटाणी रास्ते पर किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने के लिये उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना ने पत्रांक 1881 दिनांक 15-6-1988 के द्वारा

(राजस्व मंत्री)

तहसीलदार, लाडनूं को आदेश दिया था जिसकी अनुपालना में नायब तहसीलदार, लाडनूं ने मौके पर कार्यवाही कर दिनांक 17-9-1988 को निर्माण बन्द करवा दिया था, आदेश क्रमांक 1881 दिनांक 15-6-1988 एवं 17-6-1988 को मौका रिपोर्ट सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के आदेश की पालना में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 17-6-1988 को मौके पर कार्य बन्द करवा दिया गया परन्तु रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के कार्यालय में नहीं भिजवाई। परिणामस्वरूप दिनांक 3-6-1989 व 12-6-1989 को रिपोर्ट भिजवाने के लिये तहसीलदार, लाडनूं को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, लाडनूं ने अपने पत्रांक 378 दिनांक 20-6-1989 से उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना को रिपोर्ट भिजवाई। जो उनके यहां दिनांक 22-6-1989 को पहुँची। आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) यह सही नहीं है कि दिनांक 18-6-1989 को नायब तहसीलदार ने मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की। वास्तव में नायब तहसीलदार ने दिनांक 17-6-1988 को ही मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की थी परन्तु उस समय मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी कार्यालय को नहीं भिजवाई गई बल्कि तहसीलदार, लाडनूं द्वारा दिनांक 20-6-1989 को भिजवाई गई। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रतियां अस्पष्ट होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**ग्राम छानीबड़ी से भिरानी (भादरा) तक विद्युत लाइन**

19. **श्री लालचन्द डूडी (भादरा)** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या तहसील भादरा में गांव छीनीबड़ी से ग्राम भिरानी तक बिजली की लाइन खिंची हुई है? यदि हां, तो कब से?

(2) किन-किन गांवों के राजस्व हिस्से में से यह लाइन गुजरती है?

(3) इस लाइन पर पड़ने वाले भिरानी तक के गांवों को बिजली न देकर इसके बाद खिंची हुई लाइन पर पड़ने वाले गांवों को पहले बिजली क्यों दी गई?

**उत्तर**

(1) जी हां, ग्राम छानीबड़ी से ग्राम भिरानी तक जन-स्वास्थ्य-अभियान्त्रिकी विभाग के कुएँ को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये उनके ही खर्चे पर मण्डल द्वारा इस लाइन का निर्माण कार्य वर्ष 1980 में सम्पादित किया गया था।

(2) संभवतः इस लाइन के मार्ग में भैरुछानी, गढ़ीछानी, सवाइचना, लाखनवास एवं सागरा अस्वीकृत ग्रामों की राजस्व सीमायें पड़ती हैं।

(3) यह लाइन जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की जलदाय योजना के लिये कुएँ को विद्युतिकृत करने के लिये

( उर्जा मंत्री )

उनके खर्चे पर खिची गई थी न कि ग्रामों के विद्युतिकरण के लिये। अतः इस लाइन के मार्ग में पड़ने वाले अस्वीकृत ग्रामों के विद्युतिकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्वीकृत योजना में सम्मिलित होने के कारण अन्य गांवों को बिजली दी जा सकती है।

**विद्युत मण्डल की उद्योगों में बकाया.**

20. **श्री मोहन छंगाणी** (फलोदी) एवं **श्री शोपत सिह** (हनुमानगढ़) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1-4-1986 से अब तक राज्य विद्युत मण्डल की 10 हजार रूपये से अधिक किन-किन उद्योगों में किस-किस वर्ष की कितनी-कितनी बकाया है ? जिलेवार उद्योगों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वसूली के सम्बन्ध में किन-किन उद्योगों के लिए किस-किस न्यायालय से कब-कब स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) इन स्थगन आदेशों को निरस्त कराने के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

(4) उक्त वसूली के सम्बन्ध में विद्युत मण्डल द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(5) इस समय कितने कारखानों के विद्युत कनेक्शनस नॉन पेमेंट के कारण काटे गये हैं ?

**उत्तर**

(1) एच. टी. (हाई टेन्शन) उद्योगों में दिनांक 1/4/1986, 1/4/1987, 1/4/1988 व 1/4/1989 को मण्डल की कुल क्रमशः 5139.72, 5494.39, 5929.624 एवं 6493.500 रूपये की राशि बकाया थी। 1/4/1989 को जिन एच. टी. उद्योगों में दस हजार रूपये से अधिक राशि बकाया है उसकी वृतवार सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त उद्योगों में से वसूली न करने हेतु जिन उद्योगों के मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं उसकी सूचना उक्त परिशिष्ट "ब" में सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) इन स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने हेतु मण्डल द्वारा अभिभाषक तथा आफिसर इन्चार्ज नियुक्त किये हुये हैं जो समय पर न्यायलय में उपस्थित होकर स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने हेतु प्रयास करते हैं।

(4) किसी उद्योग द्वारा बिलों का भुगतान नहीं करने पर उसे नियमानुसार नोटिस दिया जाता है। फिर भी यदि भुगतान नहीं करें तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। उक्त उद्योगों में से न्यायालय में चल रहे विवादग्रस्त उद्योगों को छोड़कर अधिकांश सभी उद्योगों के कनेक्शन निर्धारित आदेशों/नियमों के अनुरूप

( उर्जा मंत्री )

काट कर उपभोक्ता की सिक्योरिटी का समायोजन करके, बकाया वसूली हेतु ई. यू. डी आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

(5) उपरोक्त में से जिन उद्योगों के कारण कनेक्शन नॉन पेमेन्ट के कारण कटे हुए है उसकी सूचना उक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दी गई है।

(सूचियां अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**ग्रामीण विद्युतीकरण योजना**

21. **श्री माणक डाणी** (ब्यावर) : क्या उर्जा मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे :

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम ने गत पांच वर्षों में कितने-कितने गांवों की कितनी योजनाएं स्वीकृत की ? सूची स्वीकृत गांवों के नाम व लागत के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निश्चित समयानुसार स्वीकृत योजनाएं अपनें स्वीकृत कार्यकाल में पूर्ण की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन योजनाओं पर स्वीकृत ऋण राशि को ग्रामीण विद्युतिकरण निगम से प्राप्त किया जाकर इन योजनाओं पर खर्च नहीं करके अन्य उपयोग में ले लिया गया ? यदि हां, तो कितनी ऋण राशि किस मद में किस उद्देश्य हेतु खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार एक मद की स्वीकृत राशि को अन्य मद में खर्च करना सरकारी नियमों के अनुसार गलत है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं तथा सरकार इन दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

**उत्तर**

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम ने गत पांचों वर्षों में (1984-85 से 1988-89 तक) कुल 3743 गांवों की 108 योजनाएें स्वीकृत की है। इन योजनाओं की कुल लागत 5233.342 लाख रुपये है। वर्षवार योजनाओं में स्वीकृत गांवों की संख्या सूची मय योजना की लागत के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। निश्चित समयावधिनुसार स्वीकृत ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजनाओं का कार्य सीमित मात्रा में उपलब्ध उर्जा तथा वित्तीय साधनों के कारण नहीं किया जा सकता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा विद्युतिकरण हेतु राज्य के योजना मद में आवंटित वित्त एवं निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य वर्षवार वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित कर राज्य सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशन के अनुरूप किया जाता है, जिसके कारण स्वीकृत ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजनाओं में स्वीकृत काल में योजनाओं का कार्य पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

(3) जी नहीं। ग्रामीण विद्युतिकरण

(उर्जा मंत्री)

निगम द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग योजनाओं के क्रियान्वयन पर ही किया जाता है।

(4) स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग योजनाओं के क्रियान्वयन पर ही किया गया है, अतः ही प्रश्न नहीं उठता।

**वर्षवार स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाएं/उनमें प्रस्तावित ग्रामों एवं स्वीकृत ऋण राशि का विवरण**

| क्र. सं. वर्ष | स्वीकृत योजनाओं की संख्या | स्वीकृत योजनाओं में प्रस्तावित ग्रामों की संख्या | स्वीकृत कुल ऋण राशि (रु. लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. 1984-85 | 28 | 1299 | 1316.942 |
| 2. 1985-86 | 13 | 378 | 451.950 |
| 3. 1986.87 | 22 | 476 | 848.317 |
| 4. 1987.88 | 14 | 292 | 578.284 |
| 5. 1688.89 | 31 | 1298 | 2037.849 |
| कुल योग | 108 | 3743 | 5233.342 |

## परिशिष्ट–3

### अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची

वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिकानुसार माह मार्च, 1989 तक जिलेवार विद्युतीकृत ग्रामों के प्रतिशत की सूची

| क्रमांक | जिले का नाम | ग्राम विद्युतीकरण प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अजमेर | 78.06 |
| 2. | अलवर | 80.28 |
| 3. | बांसवाड़ा | 59.26 |
| 4. | बाड़मेर | 60.88 |
| 5. | भरतपुर | 66.64 |
| 6. | भीलवाड़ा | 91.01 |
| 7. | बीकानेर | 71.03 |
| 8. | बूंदी | 75.94 |
| 9. | चित्तोड़गढ | 65.21 |
| 10. | चूरू | 64.56 |
| 11. | धोलपुर | 58.95 |
| 12. | डूंगरपुर | 69.89 |
| 13. | जयपुर | 79.25 |
| 14. | जैसलमेर | 17.48 |
| 15. | जालौर | 88.40 |
| 16. | झालावाड़ | 53.74 |
| 17. | झुन्झुनूं | 96.24 |
| 18. | जोधपुर | 91.36 |
| 19. | कोटा | 68.65 |
| 20. | नागौर | 81.43 |
| 21. | पाली | 96 29 |
| 22. | सवाईमाधोपुर | 73.26 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23. | सीकर | 100.00 |
| 24. | सिरोही | 100.00 |
| 25. | श्रीगंगानगर | 30.62 |
| 26. | टोंक | 56.11 |
| 27. | उदयपुर | 65.44 |
| | कुल ग्रामों का विद्युतीकरण का प्रतिशत | 67.38 |

परिशिष्ट 'अ'

## परिशिष्ट–4

### अतारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

सहायक अभियन्ता, कुचामन सिटी के कार्यालय के अन्तर्गत माह मार्च, 1989 में एक पोल/सर्विस लाइन स्कीम के तहत दिए गए विद्युत कनेक्शनों की सूची

| क्र सं. | उपभोक्ता का नाम | गांव का नाम | डिमाण्ड नोटिस जारी करने की तारीख | जोब आर्डर जारी करने की तारीख | विद्युत सम्बन्ध जारी करने की तारीख | रिमार्क्स |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री हरिदास चेला टीकमदास | नगवाड़ा | 16-11-88 | 24-12-88 | 26-3-89 | |
| 2. | ,, नारायण पुत्र श्री सदा | कुचामन सिटी | 27-1-89 | 14-02-89 | 26-3-89 | |
| 3. | ,, नारायणराम पुत्र धन्नाराम | नालौट | 23-3-89 | — | ,, | सर्विस लाईन |
| 4. | ,, कुम्भाराम पुत्र श्री मुन्नाराम | नगवाड़ा | ,, | — | ,, | ,, |
| 5. | ,, भंवरलाल/शिवजीराम | हिराणी | ,, | — | ,, | ,, |
| 6. | ,, हणुताराम/बालूराम | हुडिल | ,, | — | ,, | ,, |
| 7. | ,, भेरूराम, गोमाराम | आसपुरा | ,, | — | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | श्री गोविन्द/रोडाराम | सबलपुरा | 23–3–89 | — | 26–3–89 | सर्विस लाइन |
| 9. | ,, भंवरलाल/मोहनलाल | अड़कसर | ,, | — | ,, | ,, |
| 10. | ,, किशनाराम/रामूराम | अड़कसर | ,, | — | ,, | ,, |
| 11. | ,, मांगूराम/गंगाराम | चितावा | ,, | — | ,, | ,, |
| 12. | ,, भोमाराम/भीमाराम | चितावा | ,, | — | ,, | ,, |
| 13. | ,, बहादुरसिंह/जवारसिंह | केरपुरा | ,, | — | 28–3–89 | ,, |
| 14. | ,, उगमसिंह/लखसिंह | हुडिल | 29–3–89 | — | 29–3–89 | ,, |
| 15. | ,, पेमाराम/कानाराम | जिलिया | 23–3–89 | 24–3 89 | ,, | ,, |
| 16. | ,, भेरूराम/बोदूराम | ,, | ,, | — | ,, | ,, |
| 17. | ,, शिवजीराम/मूलाराम | ,, | ,, | — | ,, | ,, |
| 18. | ,, जवानाराम/बुद्धाराम | (जि.) चारणवास | ,, | 24–3–89 | ,, | ,, |
| 19. | ,, नाथूदान/शिवजीदान | चारणवास (हु) | 29–3–89 | 29–3–89 | ,, | ,, |
| 20. | ,, लखाराम/मोहनराम | आनन्दपुरा | ,, | — | ,, | ,, |
| 21. | ,, धन्नाराम/नानूराम | गुगड़वार | 23–3–89 | — | ,, | ,, |
| 22. | ,, दुदाराम लिछमणराम | टोडास | 23–3–89 | 26–3–89 | 29–3–89 | ,, |
| 23. | ,, उदाराम/लिछमणराम | चितावा | 23–3–89 | 25–3–89 | 29–3–89 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | श्री लिखमाराम/भेरूराम | जिलिया | 23–3–89 | 26–3–89 | 31–3–89 | सर्विस लाइन |
| 25. | ,, मोहनराम/हनुमानराम | जिलिया | 23-3–89 | 26–3–89 | 31–3–89 | ,, |
| 26. | ,, ग्रासुराम/पन्नाराम | काकरिया | 31-3–89 | 26–3–89 | 31–3–89 | ,, |
| 27. | ,, बुद्धाराम/दलाराम | लालास | 31–3–80 | 26–3–89 | 31–3–89 | ,, |
| 28. | ,, चुनाराम/नुन्दाराम | शिव | 23–2–89 | 23–3–89 | 31–3-89 | ,, |
| 29. | ,, पन्नाराम/फेफाराम | नगवाड़ा | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 30. | ,, मोहनराम/कानाराम | हरिपुरा | ,, | 28–3-89 | ,, | ,, |
| 31. | ,, भेरूराम/पूसाराम | नारायणपुरा | 31–3–89 | ,, | ,, | ,, |
| 32. | ,, नानुराम/दल्लाराम | कुकनवाली | 23–3–89 | ,, | ,, | ,, |
| 33. | ,, हीरालाल/रतनलाल | कुकनवाली | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 34. | ,, जनन्नाथसिंह/फतेसिंह | खारिया | 31–3–89 | ,, | ,, | ,, |
| 35. | ,, मदनलाल/लादूराम | खारिया | 31–3–89 | ,, | ,, | ,, |
| 36. | ,, तुलछाराम/हुक्माराम | लाम्बा | 23–3 89 | 24–3–89 | ,, | ,, |
| 37. | ,, केसरसिंह/चिमनसिंह | चितावा | ,, | 31–3–89 | ,, | ,, |
| 38. | ,, नानुराम/ग्रमराराम | हिराणी | 31–3–89 | ,, | ,, | ,, |
| 39. | ,, फेफसिंह/उम्मेदसिंह | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | श्री छोटुलाल/रामधन | जसराणा | 31-3-89 | 31-3-89 | 31-3-89 | सर्विस लाइन |
| 41. | ,, मदनमोहन/राजूराम | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 42. | ,, उम्मेदसिंह/सुरजनसिंह | चावंडिया | ,, | — | ,, | ,, |
| 43. | ,, बुद्धाराम/हीराराम | ,, | ,, | — | ,, | ,, |
| 44. | ,, मांगुराम/घोसाराम | भिलाल | 23-3-89 | 29-3-89 | ,, | |
| 45. | ,, समरसिंह/बालसिंह | ,, | 31-3-89 | 31-3-89 | ,, | |
| 46. | ,, रामदेव/मैराराम | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| 47. | ,, टीकुराम/मंगाराम | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| 48. | ,, हरलाराम/बालूराम | आनन्दपुरा | ,, | ,, | ,, | |
| 49. | ,, मोहन/बोदु | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| 50. | ,, मोतीराम/दल्लाराम | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| 51. | ,, सम्पतसिंह/बहादुरसिंह | जिलिया | ,, | ,, | ,, | |
| 52. | ,, पेमाराम/भैरूराम | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| 53. | ,, जीवणराम/भैरूराम | ,, | ,, | — | ,, | |
| 54. | श्रीमती सुगनकंवर पत्नी श्री भूरीसिंह | ,, | ,, | 31-3-89 | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | श्री मांगीलाल/रामदेव | पाचवा | 23-3-89 | 29-3-89 | 31-3-89 | |
| 56. | ,, चेलाराम/हनुमानाराम | ,, | 31-3-89 | 31-3-89 | ,, | |
| 57. | ,, सेवाराम/शिवजीराम | ,, | 23-3-89 | 29-3-89 | ,, | |
| 58. | ,, पोकरराम/कजाराम | ,, | ,, | 30-3-89 | 30-3-89 | |
| 59. | ,, हनुमानराम/नुन्दाराम | ,, | 31-3-89 | 31-3-89 | 31-3-89 | |
| 60. | ,, किशनाराम/लच्छाराम | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| 61. | ,, मोटाराम/केसाराम | ,, | ,, | ,, | ,, | स. ला. |
| 62. | ,, प्रभूलाल/गणपतलाल | ,, | ,, | — | ,, | ,, |
| 63. | ,, चुनाराम/रामूराम | ,, | ,, | 31-3-89 | ,, | |
| 64. | ,, नानुराम/बिरदीराम | ,, | ,, | — | ,, | स. ला. |

हस्ताक्षर/–

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता, नावां सिटी के कार्यालय के अन्तर्गत माह मार्च, 1989 में एक पोल/सर्विस लाइन स्कीम के तहत दिए गए विद्युत कनेक्शनों की सूची

परिशिष्ट "म"

| क्र. सं. | उपभोक्ता का नाम | गांव का नाम | डिमाण्ड नोटिस जारी करने की तारीख | जोब आर्डर जारी करने की तारीख | विद्युत संबंध जारी करने की तारीख | रिमार्क्स |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री लिखमाराम/लालाराम | नावांशहर | 31-12-88 | 13-2-89 | 1-3-89 | |
| 2. | ,, हनुमान/तेजाराम | बोंजापुरा | 20-12-88 | 7-1-89 | 7-3-89 | |
| 3. | ,, मांगूराम/बालूराम | लूणवा | 31-12-88 | 13-2-89 | ,, | |
| 4. | ,, नारायणराम/चोखाराम | बाजणा | ,, | 4-3-89 | ,, | |
| 5. | श्रीमती इन्द्रकंवर पत्नी श्री श्योलसिंह | पांचोता | 20-12-88 | 7-2-89 | 17-3-89 | सर्विस लाइन |
| 6. | श्री रामलाल/किशनाराम | रघुनाथपुरा | 4-3-89 | — | 18-3-89 | ,, |
| 7. | ,, नानुराम/परसाराम | भुवाना | ,, | — | ,, | ,, |
| 8. | ,, कानाराम/जीवणराम | रेवासा दलेलपुरा | 28-2-89 | 7-3-89 | 20-3-89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | श्री पूसाराम/हनुमानराम | खुशिया | 4–3–89 | — | 20–3–89 | स. ला. |
| 10. | ,, आनन्ददास/बालदास | पांचोता | 20–12–88 | — | 17–3–89 | ,, |
| 11. | श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री रामचन्द्र | आबास | 31–12–88 | 13–2–89 | 30–3–89 | |
| 12. | श्री तेजाराम/गोरधनराम | ठीकरीया खुर्द | 28–3–89 | — | ,, | स. ला. |
| 13. | ,, गणपतसिंह/सोभागसिंह | बरजन | ,, | 31–3–89 | 31–3–89 | |
| 14. | ,, बंशीलाल/शिवदान | महाराजपुरा | ,, | ,, | ,, | |
| 15. | ,, कालूराम/घीसाराम | धरवानी | ,, | — | ,, | स. ला, |
| 16. | ,, गोपीराम/खेताराम | मारोठ | ,, | 31–3–89 | ,, | |
| 17. | ,, रूपाराम/दूलाराम | मोण्डा | 29–3–89 | — | ,, | स. ला. |
| 18. | ,, भंवरलाल/शिवदान | श्यामगढ़ | 31–3–89 | 31–3–89 | ,, | |
| 19. | ,, तनाराम/नेपाराम | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| 20. | रतनलाल/शिवनाथ | महाराजपुरा | ,, | ,, | ,, | |
| 21. | बक्साराम/गोदाराम | मातासुखा | ,, | ,, | ,, | |

## परिशिष्ट "ब"

| क्र. सं. | गांव का नाम | माह मार्च, 1989 में एक पोल श्रेणी में विद्युत सम्बन्ध दिए गये उपभोक्ताओं के नाम | विद्युत सम्बन्ध की श्रेणी | इसी कुएँ पर माह फरवरी, 1989 तक दिए गए विद्युत संबंध के उपभोक्ता नाम | विद्युत सम्बन्ध की श्रेणी | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. उप खण्ड, कुचामन सिटी | | | | | | |
| 1. | अड़कसर | भंवरलाल/मोहनलाल | कृषि | रघुनाथ जी का मन्दिर | नान डामेस्टिक | पेयजल हेतु |
| 2. | चितावा | मांगुराम/गंगाराम | कृषि | सरपंच, ग्राम पंचायत, चितावा | लघु औद्योगिक | पेयजल हेतु |
| 3. | नालोट | नारायणराम/पन्नालाल | कृषि | सरपंच, ग्राम पंचायत, टोडास | लघु औद्योगिक | पेयजल हेतु |
| 4. | पांचवा | मोटाराम/केसाराम | कृषि | सरपंच, ग्राम पंचायत, पांचवा | लघु औद्योगिक | पेयजल हेतु |
| 5. | पांचवा | प्रभुलाल/गणपत लाल | कृषि | सरपंच, ग्राम पंचायत, पांचवा | लघु औद्योगिक | पेयजल हेतु |
| उप खण्ड, नावा शहर | | शून्य | | | | |

हस्ताक्षर

## परिशिष्ट-5

### अतारांकित प्रश्न संख्या 7 की सूची

निम्नलिखित स्थानों पर राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है:—

| क्र. सं. | संस्थान का नाम | स्थान | पुरुष/महिला | जिला |
|---|---|---|---|---|
| (1) | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | अजमेर | पुरुष | अजमेर |
| (2) | राजकीय ,, ,, | अजमेर | महिला | अजमेर |
| (3) | राजकीय ,, ,, | जयपुर | पुरुष | जयपुर |
| (4) | राजकीय ,, ,, | जयपुर | महिला | जयपुर |
| (5) | राजकीय ,, ,, | शाहपुरा | पुरुष | जयपुर |
| (6) | राजकीय ,, ,, | कोटपूतली | पुरुष | जयपुर |
| (7) | राजकीय ,, ,, | कोटा | पुरुष | कोटा |
| (8) | राजकीय ,, ,, | कोटा | महिला | कोटा |
| (9) | राजकीय ,, ,, | उदयपुर | पुरुष | उदयपुर |
| (10) | राजकीय ,, ,, | उदयपुर | महिला | उदयपुर |
| ( 1) | राजकीय ,, ,, | नाथद्वारा | पुरुष | उदयपुर |
| (12) | राजकीय ,, ,, | बीकानेर | ,, | बीकानेर |

| क्र. सं. | संस्थान का नाम | | | स्थान | पुरुष/महिला | जिला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (13) | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | | | जोधपुर | पुरुष | जोधपुर |
| (14) | राजकीय | ,, | ,, | अलवर | ,, | अलवर |
| (15) | राजकीय | ,, | ,, | भिवाड़ी | ,, | अलवर |
| (16) | राजकीय | ,, | ,, | भरतपुर | ,, | भरतपुर |
| (17) | राजकीय | ,, | ,, | बयाना | ,, | भरतपुर |
| (18) | राजकीय | ,, | ,, | भीलवाड़ा | ,, | भीलवाड़ा |
| (19) | राजकीय | ,, | ,, | भीलवाड़ा | महिला | भीलवाड़ा |
| (20) | राजकीय | ,, | ,, | गुलाबपुरा | पुरुष | भीलवाड़ा |
| (21) | राजकीय | ,, | ,, | माण्डलगढ़ | ,, | भीलवाड़ा |
| (22) | राजकीय | ,, | ,, | नागौर | ,, | नागौर |
| (23) | राजकीय | ,, | ,, | पाली | ,, | पाली |
| (24) | राजकीय | ,, | ,, | श्रीगंगानगर | ,, | श्रीगंगानगर |
| (25) | राजकीय | ,, | ,, | खेतड़ी | ,, | झुंझुनूं |
| (26) | राजकीय | ,, | ,, | चिड़ावा | ,, | झुंझुनूं |
| (27) | राजकीय | ,, | ,, | रतनगढ़ | ,, | चूरू |
| (28) | राजकीय | ,, | ,, | सिरोही | ,, | सिरोही |

| क्र. सं. | संस्थान का नाम | स्थान | पुरुष/महिला | जिला |
|---|---|---|---|---|
| (29) | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | आबूरोड | पुरुष | सिरोही |
| (30) | राजकीय ,, ,, | सीकर | ,, | सीकर |
| (31) | राजकीय ,, ,, | बांसवाड़ा | ,, | बांसवाड़ा |
| (32) | राजकीय ,, ,, | बाड़मेर | ,, | बाड़मेर |
| (33) | राजकीय ,, ,, | बूंदी | ,, | बूंदी |
| (34) | राजकीय ,, ,, | डूंगरपुर | ,, | डूंगरपुर |
| (35) | राजकीय ,, ,, | सागवाड़ा | ,, | डूंगरपुर |
| (36) | राजकीय ,, ,, | प्रतापगढ़ | ,, | चित्तौड़गढ़ |
| (37) | राजकीय ,, ,, | कपासन | ,, | चित्तौड़गढ़ |
| (38) | राजकीय ,, ,, | जैसलमेर | ,, | जैसलमेर |
| (39) | राजकीय ,, ,, | जालौर | ,, | जालौर |
| (40) | राजकीय ,, ,, | झालावाड़ | ,, | झालावाड़ |
| (41) | राजकीय ,, ,, | टोंक | ,, | टोंक |
| (42) | राजकीय ,, ,, | धौलपुर | ,, | धौलपुर |
| (43) | राजकीय ,, ,, | करौली | ,, | सवाई माधोपुर |

माडा एवं टाडा योजनान्तर्गत राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं:—

| क. सं. | नाम | स्थान | जिला |
|---|---|---|---|
| **टाड़ा क्षेत्र** | | | |
| 1. | मिनी आई. टी. आई. | सलूम्बर | उदयपुर |
| 2. | मिनी ,, | कुशलगढ़ | बांसवाड़ा |
| 3. | मिनी ,, | माण्डों की पाल | डूंगरपुर |
| 4. | मिनी ,, | सराड़ा | उदयपुर |
| 5. | मिनी ,, | सिम्बलवाड़ा | डूंगरपुर |
| 6. | मिनी ,, | झाडोल | उदयपुर |
| 7. | मिनी ,, | गढ़ी | बांसवाड़ा |
| 8. | मिनी ,, | अरनोदा | चित्तौड़ |
| 9. | मिनी ,, | आसपुर | बांसवाड़ा |
| 10. | मिनी ,, | कोटड़ा | उदयपुर |
| **माड़ा क्षेत्र** | | | |
| 1. | मिनी आई. टी. आई. | पिण्डवाड़ा | सिरोही |
| 2. | मिनी ,, | भिण्डर | उदयपुर |

| क्र. सं | नाम | स्थान | शिक्षा |
|---|---|---|---|
| 3. | मिनी आई. टी. आई. | वजीरपुर | सवाईमाधोपुर |
| 4. | मिनी ,, | चित्तौड़ | चित्तौड़ |
| 5. | मिनी ,, | तालेड़ा | बूंदी |
| 6. | मिनी ,, | जहाजपुर | भीलवाड़ा |
| 7. | मिनी ,, | अकलेरा | झालावाड़ |
| 8. | मिनी ,, | बारां | कोटा |
| 9. | मिनी ,, | फालना | पाली |
| 10. | मिनी ,, | गोगुन्दा | उदयपुर |

**परिशिष्ट-6**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची**

**परिशिष्ट-'क'**

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उन गांवों की सूची जहां बस सुविधा उपलब्ध नहीं है।

1. चक निम्बा की ढाणी
2. करालिया बेरा
3. लोगों की ढाणी
4. निम्बे की ढाणी
5. पाना देवड़ा
6. गगरी
7. बिठी
8. तलवा गोपलान
9. चेनपुरा
10. दोलाणी
11. कमार चारणन्
12. सांभरा
13. खट्टू
14. चांदेसरा
15. मेकराना
16. बोस्वास
17. कपूरिया
18. बगीया चारणान्
19. रणिया
20. बाका का बाड़ा
21. बागलोग
22. धर्मसर
23. ढूढाणी
24. नेहली
25. मोहनपुरा
26. आसरा बाउडा
27. दानपुरा
28. खारड़ा
29. सुन्तला
30. जाखड़ा
31. जालमालिया

## परिशिष्ट-7

### अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची

**अनुसूचित जाति के अधिकारी —**

| | |
|---|---|
| 1. श्री एस. बी. भीम | कार्य व्यवस्थापक |
| 2. श्री नारायण दत्त बलाई | लेखाधिकारी |
| 3. श्री लादूराम वर्मा | सहाय संभाग प्रबन्धक |
| 4. श्री नारायण सिंह कालिया | आगार प्रबन्धक |
| 5. श्री छोगाराम | आगार प्रबन्धक |
| 6. श्री ताराचन्द वर्मा | आगार प्रबन्धक |
| 7. श्री नैनूराम जयपाल | आगार प्रबन्धक |
| 8. श्री मोहनलाल अडालिया | आगार प्रबन्धक |
| 9. श्री सोहनलाल यादव | आगार प्रबन्धक |
| 10. श्री भगवती लाल यादव | श्रम कल्याण अधिकारी |

**अनुसूचित जनजाति के अधिकारी —**

| | |
|---|---|
| 1. श्री राम नारायण मीणा | प्रबन्ध निदेशक |
| 2. श्री चन्द्र सैन मीणा | लेखाधिकारी |
| 3 श्री रामस्वरूप मीणा | सहायक संभाग प्रबन्धक |
| 4. श्री राम सहाय मीणा | आगार प्रबन्धक |

## परिशिष्ट-8

### अतारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूची

परिशिष्ट—"क"

### राजकीय उपक्रमों की सूची

| क. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम |
|---|---|
| (1) | राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल |
| (2) | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम |
| (3) | राजस्थान वित्त निगम |
| (4) | राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम |
| (5) | राजस्थान आवासन मण्डल |
| (6) | राजस्थान भूमि विकास निगम |
| (7) | राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड |
| (8) | दि गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड |
| (9) | दि राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. |
| (10) | राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लि. |
| (11) | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. |
| (12) | राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. |
| (13) | दि राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. |
| (14) | राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. |
| (15) | राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि. |
| (16) | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. |
| (17) | राजस्थान राज्य बीज निगम लि. |
| (18) | राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लि. |
| (19) | राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकाम विकास लि. |
| (20) | राजस्थान राज्य जल संसाधन विकास निगम लि. |
| (21) | राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि. |

| 1 | 2 |
|---|---|

(22) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि.

(23) राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि.

(24) राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लि.

(25) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि.

(26) राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ लि.

(27) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड

(28) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन संघ लिमिटेड

(29) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.

(30) राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ लि.

(31) राजस्थान स्टेट सहकारी हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि.

(32) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. केशोरायपाटन

(33) राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

(34) गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., गंगापुर (भीलवाड़ा)

(35) गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., हनुमानगढ़

(36) श्री गंगानगर सहकारी आयल सीड प्रोसेसिंग मिल्स लि. गजसिंहपुर

(37) राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाईड फैक्टरी)

(38) राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स)

(39) राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना

(40) राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा

**परिशिष्ट "ख"**

**राजकीय उपक्रमों में वर्ष 1987-88 के अन्त में पूंजी विनियोजन**
**(चुकता पूंजी + संचय एवं आधिक्य + दीर्घकालीन ऋण - संकलित हानि)**

| क्र सं. राजकीय उपक्रमों के नाम | | पूंजी विनियोजन (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल | | 122671 70 |
| (2) " राज्य पथ परिवहन निगम | | 3518.11 |
| (3) राजस्थान वित्त निगम | | 28496.95 |
| (4) " राज्य भण्डार व्यवस्था निगम | | 1230.26 |
| (5) " आवासन मण्डल | | 10251.10 |
| (6) " भूमि विकास निगम | | 5732.63 |
| (7) दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. | | 319.98 |
| (8) दी राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. | (-) | 205.23 |
| ( ) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. | | 1231·86 |
| (10) " राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. | | 13877.71 |
| (11) राजस्थान खनिज विकास निगम लि. | | 7 : 1.48 |
| (12) दी राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. | | 239,21 |
| (13) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. | | 80.36 |
| ( 4) " पर्यटन विकास निगम लि. | | 1141.76 |
| (15) " राज्य कृषि उद्योग लि. | (-) | 206.01 |
| (16) " राज्य बीज निगम लि. | (-) | 272.67 |
| (17) " राज्य पुल एवं निर्माण निगम लि. | | 409.88 |
| (18) " राज्य हाथकरघा विकास निगम लि. | | 412-31 |
| (19) " राज्य जल ससाधन विकास निगम लि. | | 61.23 |
| (20) " राज्य वन विकास निगम लि. | | 5.05 |
| (21) " इलेक्ट्रोनिक्स लि. | | 98.29 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (22) | राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. | 89.90 |
| (23) | " सहकारी डेयरी फैडरेशन | 4135.54 |
| (24) | " अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. | 549.05 |
| (25) | " जनजाति विकास सहकारी संघ लि. | 459.48 |
| (26) | " राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. | 146.05 |
| (27) | " राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन संघ लि. | 111.64 |
| (28) | " राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि. | 692.16 |
| (29) | " राज्य क्रय विक्रय संघ लि. | 4885.28 |
| (30) | " स्टेट सहकारी हाऊसिंग फाइनेन्सिग सोसायटी लि. | 2130.76 |
| (31) | श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. केशोरायपाटन | (−) 266.66 |
| (32) | राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) | 192.67 |
| (33) | गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल लि. गंगापुर (भीलवाड़ा) | 617.55 |
| (34) | गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल लि. हनुमानगढ़ | 368.53 |
| (35) | श्री गंगानगर सहकारी आयल सीड प्रोसेसिंग मिल लि., गजसिंहपुर | 61.86 |
| (36) | राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री) | 21.04 |
| (37) | राजस्थान स्टेट केमीकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) | 168.98 |
| (38) | राजस्थान राज्य. लवण उद्योग, डीडवाना | 263.20 |
| (39) | " राज्य लवण उद्योग, पचपदरा | 55.27 |

## परिशिष्ट—9

### अतारांकित प्रश्न संख्या 20 की सूची

**भवन निर्माण**

वर्ष 1987-88 की कुल 93 पंचायत समितियों एवं शहरी क्षेत्र में जो निर्माण कार्य कराया जाना था उसका प्रगति विवरण निम्नानुसार है—

| क्रम सं. | आइटम | विद्यालयों की संख्या | विद्यालयों की संख्या जिनमें कार्य पूर्ण हो चुका | कार्य प्रगति वाले विद्यालयों की संख्या | कार्य जिनमें प्रारम्भ किया जाना है की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | विद्यालय भवन/कक्षाकक्ष निर्माण | 4293 | 2146 | 1203 | 944 |
| 2. | टायलेट सेट्स | 10620 | 1936 | 1657 | 7027 |

वर्ष 1988-89 में 48 पंचायत समितियों के 2413 प्राथमिक विद्यालयों में नवें वित्त आयोग की प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त 1936 लाख रुपये से निर्माण कार्य कराना प्रस्तावित किया हुआ है।

**न्यूनतम अध्ययन-अध्यापन सामग्री एवं फर्नीचर**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों की संख्या एवं औसतन राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

| चयन वर्ष | पंचायत समितियों की संख्या | सुविधा की औसत दर | प्राथमिक विद्यालयों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1987-88 | 47 | 6589.00 | 6575 |
| 1987-88 | 46 | 6495.00 | 5612 |
| 1988-89 | 48 | 7403.00 | 5011 |

वर्ष 1987-88 के लिए स्वीकृत 797.80 लाख रुपये की राशि का सामान क्रय समिति द्वारा क्रय किया जाकर वितरित किया गया। वर्ष 1988-89 में स्वीकृत राशि से सामग्री क्रय किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

## परिशिष्ट -10

### अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची

परिशिष्ट–I

माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 से वर्ष 1988–89 तक पंचायत समिति जहाजपुर व माण्डलगढ़ में आवंटित राशि का कार्यानुसार ब्यौरा

| क. सं | नाम योजना | आवंटित राशि | |
|---|---|---|---|
| | | पंचायत समिति, जहाजपुर | पंचायत समिति माण्डलगढ़ |
| 1. | शिक्षा प्रोत्साहन | 2,62,919.00 | 28,340.00 |
| 2. | परिवार कल्याण | — | 2,000.00 |
| 3. | गृह निर्माण | 1,90,500.00 | 1,12,500.00 |
| 4. | एनीकट निर्माण | 5,74,127 00 | 8,35,500.00 |
| 5. | वृक्षारोपण | 1,96,179.00 | 1,32,000.00 |
| 6 | बुक बैंक | – | 10,000 00 |
| 7. | दुकानों हेतु अनुदान | 32,000.00 | 22,000.00 |
| 8. | पेट्रोल एवं आयल | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 9. | खनन उपकरण | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 10. | फल विकास | - | 6,000.00 |
| 11. | पेयजल | 1,05,750.00 | — |
| 12. | आश्रम स्कूल संचालन | 25,000.000 | --- |
| 13 | कुएं गहरे कराना | 1,50,00 .00 | — |
| 14. | प्राथमिक शाला भवन | 5,50,000.00 | — |
| | योग | 21,00,891.00 | 11,72,340 00 |

नोट :- जिला परिषदों द्वारा शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त पोशाकें, पुस्तकें एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाती हैं जिसे उक्त आवंटित राशि में सम्मिलित नहीं किया गया है।

**परिशिष्ट-II**

**पंचायत समिति--माण्डलगढ़ :**

| क्रम सं. | नाम योजना जिस कार्य हेतु राशि आवंटित की गई | आवंटित राशि 1981-82 से 88-89 तक | उपयोग राशि | शेष राशि | पूर्ण/अपूर्ण कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | शिक्षा प्रोत्साहन | 19,340 | 18,309 | 1,031 | पूर्ण |
| 2. | परिवार कल्याण | 2,000 | 1,536 | 464 | पूर्ण |
| 3. | गृह निर्माण | 1,12,500 | 1,57,500 | –45,000 | पूर्ण |
| 4. | एनीकट | 8,35,500 | 5,05,633 | 3,28,867 | पूर्ण |
| 5. | वृक्षारोपण | 1,32,000 | 1,87,577 | –55,577 | पूर्ण |
| 6. | बुक बैंक | 10,000 | 5,464 | 4,536 | पूर्ण |
| 7. | दुकानों हेतु अनुदान | 22.000 | 20,033 | 1,967 | पूर्ण |
| 8. | पेट्रोल एवं आयल | 4,000 | 4,000 | — | पूर्ण |
| 9. | खनन उपकरण | 20,000 | 46,558 | –26,558 | पू० |
| 10. | फल विकास (नर्सरी) | 6,000 | — | 6,000 | अपूर्ण |

**पंचायत समिति माण्डलगढ क्षेत्र में अपूर्ण व पूर्ण कार्य की तालिका :—**

1. रूपपुरा एनीकट — अपूर्ण
2. गोलमगढ एनीकट — पूर्ण
3. कास्या एनीकट — पूर्ण
4. आंट एनीकट — पूर्ण
5. सतकुण्डिया एनीकट — पूर्ण
6. करलाव एनीकट — अपूर्ण
7. गोविन्दपुरा एनीकट — पूर्ण
8. हरिपुरा एनीकट — पूर्ण

पूर्ण

**पंचायत समिति जहाजपुर :**

| क्र. सं. | नाम योजना जिस कार्य हेतु राशि आवंटित की गई | आवंटित राशि 1981-82 से 1988-89 तक | उपयोग राशि | शेष राशि | पूर्ण/अपूर्ण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | पेयजल | — | 87,830 | —17920 | पूर्ण |
| 2. | शिक्षा प्रोत्साहन | 2,50,919 | 2,16,500 | — 1344419 | पूर्ण |

102

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | फार्म फोरेस्ट्री | 1,96,179 | 2,39,127 | 42,948 | पूर्ण |
| 4. | एनीकट निर्माण | 5,74,127 | 4,44,585 | 1,29,542 | पूर्ण |
| 5. | आश्रम स्कूल संचालन | 25,000 | 6,780 | 18,220 | पूर्ण |
| 6. | फ्री ब्लास्टिंग | 1,50,416 | 94,667 | 55,749 | पूर्ण |
| 7. | ग्रामीण आवास | 1,90,500 | 1,85,250 | 5,250 | पूर्ण |
| 8. | प्राथमिक शाला भवन | 5,50,000 | 3,98,201 | 151,799 | पूर्ण |
| 9. | दुकानों हेतु अनुदान | 32,000 | 35,325 | -3,325 | पूर्ण |
| 10. | पेट्रोल एवं आयल | 4,000 | 1,988 | 2,012 | पूर्ण |
| 11. | माईनिंग टूल्स | 10,000 | 9,920 | 80 | पूर्ण |

**नोट** ।--

1. उपरोक्त तालिका में कुछ राशि पंचायत समितियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से सीधी आवंटन हुई है तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी सीधे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को आवंटित राशि के विपरीत भिजवाये गये हैं ।

2. पंचायत समिति जहाजपुर को पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 1,05,750/- रुपये की राशि आवंटित की गई थी परन्तु उस आवंटित राशि का उपयोग पंचायत समिति द्वारा वर्ष 1981-82 में करने से व्यय वाले कालम में 87,830 रुपये दर्शाये गये हैं ।

प सवत सामात जहाजपुर क्षेत्र में अपूर्ण/पूर्ण कार्य की तालिका —

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1. सुजानपुरा एनीकट | पूर्ण |
| 2. बीजेठा एनीकट | पूर्ण |
| 3. मेडिया एनीकट | पूर्ण |
| 4. रजवास एनीकट | अपूर्ण |
| 5. भीकली एनीकट | पूर्ण |
| 6. ओडिया खेड़ा एनिकट | पूर्ण |
| 7. तरनीखेड़ा | अपूर्ण |
| 8. लालडूंगरी | अपूर्ण |

**परिशिष्ट-III**

पंचायत समिति जहाजपुर में निम्न कार्य ठेकेदारों द्वारा, पंचायत समिति द्वारा एवं पंचायत द्वारा कराये गये :—

**एनीकट निर्माण :**

| क्र. सं. | नाम कार्य | कार्य का माध्यम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बीजेठा एनीकट | ठेकेदार द्वारा |
| 2. | मेडिया एनीकट | ठेकेदारों द्वारा |
| 3. | सुजानपुरा एनीकट | पंचायत समिति द्वारा |
| 4. | झीकली एनीकट | ,, ,, |
| 5. | ओडिया खेड़ा एनीकट | ,, ,, |
| 6. | रजवास एनीकट | ,, ,, |
| 7. | तरनी खेड़ा | पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा |
| 8. | लाल डूंगरी एनीकट | ,, ,, |

**प्राथमिक शाला भवन**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | टीकड़ | ठेकेदारों द्वारा |
| 2. | बीजेठा | ठेकेदारों द्वारा |
| 3. | रोजड़ी | ठेकेदारों द्वारा |
| 4. | सरम्या | पंचायत द्वारा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | बीरामाता | पंचायत द्वारा |
| 6 | मेवासा | |
| 7. | नाथादण्ड | " " |
| 8. | तरनीया खेड़ा | " " |
| 9. | झाजलों का खेडा | " " |
| 10. | बृज की डूंगरी | " " |

## परिशिष्ट—11

### अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची

झोपड़ी बीमा योजना अन्तर्गत प्रदान की राहत का जिलेवार विवरण

| जिले का नाम | आग की घटनाओं की संख्या | परिवारों की संख्या जिन्हें राहत प्रदान की गई | राशि जो बीमा कंपनी द्वारा राहत के रूप में प्रदान की गई |
|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. चूरू | 2 | 2 | 2,800–00 |
| 2. उदयपुर | 8 | | 11,600–00 |
| 3. अलवर | 50 | 50 | 75,000–00 |
| 4. बाड़मेर | 1 | 1 | 1,500–00 |
| 5. चित्तौड़गढ़ | 37 | 37 | 41,575–00 |
| 6. पाली | 72 | 72 | 1,08,000–00 |
| 7. भीलवाड़ा | 59 | 59 | 87,700–00 |
| 8. झुन्झुनू | 9 | 9 | 13,500–00 |
| 9. जैसलमेर | 2 | 2 | 3,000–00 |
| 10. नागौर | 8 | 8 | 12,000–00 |
| 11. बीकानेर | 5 | 5 | 7,500–00 |
| 12. जयपुर | 59 | 59 | 84,050–00 |
| 13. जालौर | 5 | 5 | 7,500–00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | सीकर | 44 | 44 | 64,850-00 |
| 15. | जोधपुर | 45 | 45 | 57,525-00 |
| 16. | सवाईमाधोपुर | 18 | 18 | 18,725-00 |
| 17. | भरतपुर | 2 | 2 | 3,000-00 |

नोट—शेष अन्य 10 जिलों में एक भी परिवार को अभी तक राहत प्रदान नहीं की गई है।

110 (109)

# शुद्धि पत्र

| क्रम सं. | स्कम्भ सं. | पंक्ति सं. | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | 62 | 3 | सुश्री पुष्पा जैन | सुश्री पुष्पा जैन |
| 3. | 67 | 17 | श्री केशरदेव | श्री केशरदेव |
| 4. | 99 | 12 | शेखानत | शेखावत |
| 5. | 136 | 21 | महाविद्यलय | महाविद्यालय |